



सौता जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन



आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान,
नवा रायपुर (छ.ग.)

शासकीय उपयोग हेतु



प्रतिवेदन क्रमांक - 25

सौता जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

निर्देशन
शम्मी आबिदी (आई.ए.एस.)
संचालक

मार्गदर्शन
श्रीमती उषा लकड़ा
उप संचालक

अध्ययन एवं प्रतिवेदन
विजय सिंह कंवर (सहायक संचालक)
रूपेश्वर सिंह (अनुसंधान सहायक)

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान,
नवा रायपुर (छ.ग.)

अनुक्रमणिका

अध्याय — 1	पृष्ठभूमि	पृष्ठ 1—9
1.1	प्रस्तावना	
1.2	अध्ययन का उद्देश्य	
1.3	अध्ययन पद्धति	
1.3.1	निवासरत क्षेत्र	
1.3.2	उत्तरदाताओं का चयन	
1.4	अध्ययन प्रविधि	
1.5	सौँता जनजाति : उत्पत्ति एवं परिचय	
1.6	जनसंख्या	
अध्याय — 2	भौतिक संस्कृति	10—30
2.1	ग्राम की बसाहट	
2.2	आवास निर्माण	
2.3	आवास विभाजन	
2.4	घर की सजावट एवं आवास व्यवस्था	
2.5	घर की स्वच्छता एवं सफाई	
2.6	व्यैक्तिक स्वच्छता	
2.7	वस्त्र—विन्यास	
2.8	साज—श्रृंगार एवं आभूषण	
2.9	घरेलू उपकरण	
2.10	कृषि उपकरण	
2.11	शिकार एवं मत्स्य आखेट उपकरण	
2.12	संगीत के उपकरण	
2.13	आग प्रज्ज्वलन के उपकरण	
2.14	आवागमन के साधन	
2.15	भोजन	
अध्याय — 3	आर्थिक जीवन	31—59
3.1	सम्पत्ति	
3.2	सम्पत्ति हस्तांतरण	
3.3	प्राथमिक एवं गौण व्यवसाय	
3.4	आर्थिक संरचना	

सौता जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

3.5	समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय	
3.6	कुल वार्षिक आय में समस्त मदों की सहभागिता	
3.7	कुल वार्षिक आय का वितरण	
3.8	व्यय	
3.9	कुल वार्षिक व्यय में विभिन्न मदों की सहभागिता	
3.10	कुल वार्षिक व्यय का वितरण	
3.11	ऋण की स्थिति	
3.12	ऋण का उद्देश्य एवं स्रोत	
3.13	श्रम विभाजन	
3.14	बाजार व्यवस्था	
अध्याय — 4	सामाजिक संरचना	60—74
4.1	जाति	
4.2	उपजाति	
4.3	वंश समूह	
4.4	नातेदारी	
4.5	परिवार	
4.6	मित/मितान संबंध	
4.7	अंतर्जातीय संबंध	
4.8	महिलाओं की स्थिति	
अध्याय — 5	शैक्षणिक स्थिति	75—77
अध्याय — 6	जीवन संस्कार	78—94
6.1	जन्म	
6.2	बाल्यावस्था	
6.3	युवावस्था	
6.4	विवाह	
6.5	दाम्पत्य जीवन	
6.6	वृद्धावस्था	
6.7	मृत्यु संस्कार	
अध्याय — 7	जाति पंचायत संगठन	95—104
7.1	संगठन का स्वरूप	
7.2	जाति पंचायत में महिलाओं की भागीदारी	
7.3	जाति पंचायत में दण्ड प्रावधान	
7.4	प्रथागत कानून अंतर्गत निर्धारित जुर्माना अथवा दण्ड	

अध्याय — 8 धार्मिक जीवन	105—114
8.1 गृह देवी—देवता	
8.2 ग्राम देवी—देवता	
8.3 प्रमुख त्यौहार	
8.4 आत्म एवं भूत—प्रेत	
8.5 रोग निदान एवं उपचार	
8.6 शुभ एवं अशुभ विचार	
8.7 विभिन्न सम्प्रदायों का प्रभाव	
अध्याय — 9 लोक परम्परायें	115—118
अध्याय — 10 परिवर्तन एवं समस्याएँ	119—123
10.1 परिवर्तन	
10.2 समस्याएँ	

अध्याय —1

पृष्ठभूमि

1.1 प्रस्तावना

भारत की कुल जनसंख्या का कुछ भाग शहरी एवं ग्रामीण सभ्यता से दूर घने जंगलों, पर्वतों, घाटियों, तराईयों, एवं तटीय क्षेत्रों में निवासरत है। दुर्गम वन्य क्षेत्रों में निवासरत होने के कारण इन्हें आदिवासी, वनवासी, गिरीजन, आदिमजाति, वन्य जाति या जनजाति आदि नामों से जाने जाते हैं। यह समुदाय हजारों वर्षों से सुन्दर वन अंचलों में प्रकृति की उदारता पर निर्भर जीवन व्यतीत करते आ रहे हैं। इनकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य संबंधी स्थिति अन्य समाजों की तुलना में पिछड़ी हुई है। इतिहासकार इन्हें भारत के प्राचीनतम निवासी मानते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार इन जनजातियों की कुल जनसंख्या 104281034 है। जो देश की कुल जनसंख्या का 08.61 प्रतिशत है। और देश की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 15 प्रतिशत भाग पर निवास करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारतीय संविधान में अनुच्छेद 342 के तहत देश में कुल 532 आदिवासी समूहों को चिन्हित कर अनुसूचित जनजाति का नाम देकर सूचीबद्ध किया गया। और इनकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक उन्नति एवं संरक्षण हेतु अनेक विकास योजनाएं संचालित किये गये। किन्तु आज पर्यन्त तक जनजातियों के कमजोर तबके को संवैधानिक आरक्षण का अपेक्षित लाभ प्राप्त नहीं हो सका है। इनके विकास तथा इनके संरक्षण हेतु भारतीय संविधान में अनेक प्रावधान किये गये हैं।

इनके पिछड़े होने में भौगोलिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों का भी विशेष योगदान रहा है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के जनजातीय समुदाय निवास करती हैं। जिनमें कुछ समानताओं के बावजूद अपनी अलग-अलग सामाजिक-सांस्कृतिक विशेषताओं के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

भारतीय समाज में ग्रामीण एवं नगरीय संस्कृतियों के अतिरिक्त जनजातीय संस्कृति का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आदिवासी संस्कृति की विविधता एवं विशिष्टता को न केवल भारतीय समाजशास्त्रियों ने वरन विभिन्न यूरोपियन समाज वैज्ञानिकों ने भी सूक्ष्म अध्ययन किया है। जिनमें वेरियर एल्विन, रसेल, रिजले, ग्रिगसन, हट्टन, क्रोबर एवं गिडिंग्स का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। वही भारतीय मानवशास्त्री एवं समाजशास्त्रियों में जी.एस. धुरिये, राधाकमल मुखर्जी, डी.एन. मजूमदार, टी.बी. नायक, एल.पी. विद्यार्थी, श्यामाचरण दुबे, ए. आर. देसाई एवं योगेन्द्र सिंह आदि का योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय इकाई बिलासपुर (छ.ग.)

सौंता जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

आदिवासी समाज आज भी संस्कृति के प्राथमिक धरातल पर जीवनयापन कर रहे हैं। वे सामान्यतः क्षेत्रीय समूहों में रहते हैं। और उनकी संस्कृति अनेक दृष्टियों से परिपूर्ण रहती है। इनकी संस्कृति में ऐतिहासिक जिज्ञासा के अभाव के कारण कुछ पीढ़ियों का ही यथार्थ इतिहास किवदंतियों और पौराणिक कथाओं के रूप में मिलता है। सीमित परिधि एवं लघु जनसंख्या के कारण इनकी संस्कृति में स्थिरता पायी जाती है। किसी एक काल में होने वाले आदिवासी सांस्कृतिक परिवर्तन अपने प्रभाव एवं व्यापकता में अपेक्षाकृत सीमित होते हैं।

नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य के लिए मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत जारी अनुसूचित जनजाति की सूची में 42 जनजाति समूहों को अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग एक तिहाई (31.76 प्रतिशत) भाग अनुसूचित जनजातियों का है, इस प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य एक जनजातीय बाहुल्य राज्य है। **छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजाति की सूची में अनुक्रमांक 39 पर सौंता जनजाति शामिल है**, जो छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यतः बिलासपुर, कोरबा, सरगुजा व जशपुर आदि जिलों में निवासरत हैं। यह जनजाति छत्तीसगढ़ की अल्पसंख्यक जनजातियों में से है। यह जनजाति राज्य के उत्तरीय एवं मध्य आदिवासी क्षेत्र में उरांव, अगरिया, कंवर एवं बैगा जनजाति के साथ निवास करती है। इस क्षेत्र में निवासरत लोगो द्वारा स्थानीय बोली में सौंता / सोन्ता से भी सम्बोधित किया जाता है।

विभिन्न समाजशास्त्रियों एवं मानवशास्त्रियों ने समय के बदलते तस्वीर के साथ विभिन्न जनजातियों के सामाजिक और सांस्कृतिक पक्षों का अध्ययन किया है। जिसमें आदिवासी समुदाय की बोली/भाषा, रहन-सहन, खान-पान, रीति-रिवाज, मान्यताएं, लोकगीत, नृत्य-संगीत तथा परिवार एवं विवाह के प्रतिमान आदि में समय के साथ होने वाले परिवर्तन प्रमुख हैं। आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान नवा रायपुर के आदेश क्रमांक/टी.आर.आई./अनु./कार्य. विभा/196/2020/707 दिनांक 07.10.2020 के माध्यम से सौंता जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन करने के लिए प्राप्त हुआ था जिसके परिपालन में “सौंता जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन” करने का प्रयास किया गया है।

1.2 अध्ययन का महत्व

वर्तमान में हमारा देश विकास की ओर निरन्तर अग्रसर है। लेकिन जनजातीय जनसंख्या का विकास की प्रक्रिया में पीछे रह जाना, उनका पूर्ण सहभागिता का अदा न कर पाना एक सामाजिक चिंतन का विषय है। अशिक्षा, संचार साधनों का अभाव, दूरस्थ निवास स्थान एवं जागरूकता का अभाव आदि ऐसे कारण हैं, जो देश की

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय इकाई बिलासपुर (छ.ग.)

सौता जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

जनजातीय उन्नति के मार्ग में सहभागी बनने में बाधक सिद्ध हो रहे हैं। अतः इन समूहों का गहन अध्ययन हमारी आवश्यकता एवं कर्तव्य भी है।

सैद्धांतिक तौर पर प्रस्तुत अध्ययन की उपयोगिता ज्ञान के विकास एवं बोध के विस्तार में निहित है। अध्ययन में सौता जनजाति की सामाजिक—आर्थिक एवं सांस्कृतिक दशाओं से संबंधित नवीन तथ्यों की प्राप्ति होगी। जिससे उनकी समस्याओं के संबंध में अनेक संभावित समाधान प्राप्त हो सकता है। यह अध्ययन का व्यावहारिक पक्ष है। उनमें होने वाले परिवर्तन एवं विकास में आने वाली बाधाओं में सुधारात्मक उपाय सुझाना अध्ययन का उद्देश्य है, जिससे जनजातीय समाज की विशिष्ट सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखा जा सके। इस प्रकार यह अध्ययन सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक रूप से एक महत्वपूर्ण मानवशास्त्रीय अध्ययन है।

1.3 अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्य निम्नानुसार हैं :—

1. सौता जनजाति का मानवशास्त्रीय (सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक) अध्ययन करना।
2. सौता जनजाति की समस्याएं एवं परिवर्तन का अध्ययन करना।

1.4 अध्ययन पद्धति

प्रत्येक अध्ययन कुछ निश्चित उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है, और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए योजनाबद्ध रूप से शोध कार्य करना होता है। परिवर्तन प्रकृति की शाश्वत नियम होने के कारण मानव जीवन की परिवर्तनशील प्रकृति का अध्ययन एवं वास्तविक निष्कर्ष की प्राप्ति के लिए एक क्रमबद्ध वैज्ञानिक पद्धति की आवश्यकता होती है। प्रस्तुत अध्ययन “सौता जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन” विषय पर आधारित है। अतः अध्ययन का स्वरूप “वर्णनात्मक” है। किसी भी नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए संबंधित घटनाओं एवं परिस्थितियों का वास्तविक अध्ययन एवं विश्लेषण आवश्यक है। अतः प्रस्तुत अध्ययन में अध्ययन पद्धति को निम्नलिखित भागों में विभक्त कर स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है।

1.4.1 निवासरत क्षेत्र

सौता जनजाति छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर, मुंगेली, गौरेला पेण्ड्रा मरवाही, कोरबा, रायगढ़, सरगुजा व जशपुर आदि जिलों में निवासरत है। 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी कुल जनसंख्या 3502 है, जिसमें

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय इकाई बिलासपुर (छ.ग.)

सौंता जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

1760 (50.26 प्रतिशत) पुरुष एवं 1742 (49.74 प्रतिशत) महिला जनसंख्या है। जो कि राज्य की कुल जनजातीय जनसंख्या 7822902 का लगभग 0.04 प्रतिशत है। सौंता जनजाति की साक्षरता दर 26.04 प्रतिशत है जिसमें 31.76 प्रतिशत पुरुष साक्षरता एवं मात्र 20.26 प्रतिशत महिला साक्षरता है। जनगणना 2011 के अनुसार सौंता जनजाति में लिंगानुपात 990 (प्रति हजार पुरुषों में महिलाओं की संख्या) है।



छत्तीसगढ़ राज्य में सौंता जनजाति निवासरत जिलें

1.4.2 उत्तरदाताओं का चयन

अध्ययन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य में सौंता जनजाति की जनसंख्या के वितरण अनुसार बिलासपुर संभाग में निवासरत सौंता जनजाति बाहुल्य 03 जिलों के 03 विकासखण्ड के अन्तर्गत 12 ग्रामों में निवासरत 133 परिवारों का अध्ययन में शामिल किया गया है। जिसे निम्नलिखित तालिका में दर्शित किया गया है:—

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय इकाई बिलासपुर (छ.ग.)

सौता जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

तालिका क्रमांक-01
उत्तरदाताओं का वितरण

क.	जिला	विकासखंड	सर्वेक्षित ग्राम	परिवार संख्या	कुल परिवारों का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1.	बिलासपुर	1. कोटा	1. छुइया	13	09.77
			2. चिखलाडबरी	13	09.77
			3. सरगोड़	16	12.03
			4. कुपाबांधा	9	06.77
			5. झरना	8	06.02
2.	मुंगेली	2. लोरमी	6. कारीड़ोगरी	13	09.77
3.	कोरबा	3. पाली	7. बतरा	20	15.04
			8. पोलमी	10	07.52
			9. शिवपुर	7	05.26
			10. सिल्ली	7	05.26
			11. केराझरीया	7	05.26
			12. डोंगानाला	10	07.52
योग		3	12	133	100.00

ग्रामों का चुनाव सविचार निदर्शन विधि (उद्देश्य मूलक प्रविधि) द्वारा किया गया है। इन ग्रामों में निवासरत लगभग 90 प्रतिशत सौता परिवारों को उत्तरदाता के रूप में चिह्नंकित कर तथ्यों का संकलन किया गया है।

सौता जनजाति के कुल सर्वेक्षित परिवारों में से सर्वाधिक 46.87 प्रतिशत कोरबा जिले में किया गया, तत्पश्चात 44.36 प्रतिशत बिलासपुर जिले में एवं 09.77 प्रतिशत मुंगेली जिले में निवासरत सौता परिवारों का अध्ययन किया गया।

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय इकाई बिलासपुर (छ.ग.)

1.5 अध्ययन प्रविधि

अध्ययन हेतु बिलासपुर, मुंगेली एवं कोरबा जिलों के सौंता निवासरत वाले ग्रामों में जाकर क्षेत्र अध्ययन विधि से संपन्न किया गया है। प्राथमिक तथ्यों का संकलन साक्षात्कार निरीक्षण तथा साक्षात्कार प्रविधि द्वारा किया गया। सामाजिक-आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति ज्ञात करने हेतु 'अनुसूची विधि' का उपयोग करते हुए 3 जिलों में 3 विकासखण्डों के 12 ग्रामों में निवासरत 133 सौंता परिवारों का अध्ययन किया गया है।

द्वितीयक तथ्यों के रूप में प्रकाशित पुस्तकों, जनगणना प्रतिवेदन व शासकीय प्रतिवेदनों का उपयोग किया गया है। सर्वेक्षण से प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण, सारणीयन कर प्रतिवेदन लेखन का कार्य किया गया।

1.6 सौंता जनजाति : उत्पत्ति एवं परिचय

सौंता जनजाति की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इनकी उत्पत्ति के संबंध में किवदंतियां समुदाय में प्रचलित हैं। किवदंती के अनुसार ब्रम्हाजी ने जब सृष्टि की रचना की। तब उस समय भगवान शिव के द्वारा “नागा बैगा एवं नागा बैगिन” नामक दो व्यक्तियों का श्रृजन किया और दोनों घने घोर जंगलों में रहने लगे, और इसी तरह घने जंगलों में जीवन व्यतीत करते रहे। कुछ समय पश्चात इनके दो संतान का जन्म हुआ।

संतान जन्म उपरांत अपने ज्येष्ठ पुत्र का नाम बालक व कनिष्ठ पुत्र का नाम भूरा रखा। ये अपनी जीवन जंगलों में विचरण करते हुए मैकल श्रेणी पर्वतमाला में सोनचंगुरी व मासचंगुरी नामक स्थान पर जंगली कंदमुल खाते व्यतीत करते रहे। दोनों संतान के विवाह योग्य होने पर इनकी विवाह तय कर दी गई। जिसमें ज्येष्ठ पुत्र बालक का विवाह नोनी मसवासी तथा कनिष्ठ पुत्र भूरा का विवाह भूरी के साथ सम्पन्न हुआ। दोनों पुत्र के विवाह के कुछ ही समय पश्चात आकस्मिक कारणों से इनके ज्येष्ठ पुत्र बालक की मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद इनके कनिष्ठ पुत्र भूरा द्वारा अपनी भाभी नोनी मसवासी को अपनी पत्नि भूरी के साथ सौंता बनाकर रख लिया। इन्हीं की संताने आगे जाकर सौंता कहलाये।

इसके अलावा एक अन्य दंतकथा के आधार पर अपनी उत्पत्ति उड़ीसा के जगन्नाथपुरी से बताते हैं। पुरी के राजा के सेना में दो भाई वीर सिपाही जो खंडायत जाति के थे। इनमें छोटा भाई स्थानीय आदिवासी महिला से विवाह किया। जिसके बाद बड़े भाई द्वारा इसे अलग कर दिया गया। इनकी संताने ही आगे जाकर

सौंता जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

सौंता कहलाई ।

एक और दंतकथानुसार आदिवासी समूह के कुछ सदस्यों के अपने जाति समुदाय से अलग होकर एक नए समुदाय बनाया जो **सौंता** समुदाय कहलाया ।



सौंता जनजाति एक वृद्ध पुरुष

1.7 जनसंख्या

2011 की जनगणना के अनुसार सौंता जनजाति की छत्तीसगढ़ राज्य में कुल जनसंख्या 3502 है । सर्वेक्षित सौंता समुदाय के परिवारों की सर्वेक्षण के दौरान जनसंख्या की स्थिति निम्नलिखित है ।

(अ) कुल जनसंख्या

सर्वेक्षित 133 परिवारों में सौंता जनजाति की कुल जनसंख्या निम्नानुसार तालिका में दर्शित है:—

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय इकाई बिलासपुर (छ.ग.)

सौता जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

तालिका क्रमांक-02

कुल जनसंख्या

क्र.	विवरण	कुल संख्या	प्रतिशत
1	पुरुष	289	50.17
2	महिला	287	49.83
	कुल जनसंख्या	576	100.00
कुल सर्वेक्षित परिवार - 133			

सर्वेक्षित 133 परिवारों में सौता जनजाति की जनसंख्या 576 पायी गई, जिसमें पुरुष जनसंख्या 289 (50.17 प्रतिशत) व महिला जनसंख्या 287 (49.83 प्रतिशत) पायी गई।

(ब) उम्र-लिंग अनुसार जनसंख्या वर्गीकरण

सर्वेक्षित सौता समुदाय की कुल जनसंख्या का उम्र-लिंग अनुसार वर्गीकरण निम्नांकित है :-

तालिका क्रमांक-03

उम्र-लिंग अनुसार जनसंख्या वितरण

क्र.	उम्र समूह (वर्षों में)	व्यक्ति					
		पुरुष		महिला		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	0-5	23	07.96	31	10.80	54	09.38
2.	6-14	53	18.34	54	18.82	107	18.58
3.	15-21	46	15.92	43	14.98	89	15.45
4.	22-35	69	23.88	65	22.65	134	23.26
5.	36-50	46	15.92	43	14.98	89	15.45
6.	51-60	35	12.11	37	12.89	72	12.50
7.	60 से अधिक	17	05.88	14	04.88	31	05.38
	योग	289	100.00	287	100.00	576	100.00

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय इकाई बिलासपुर (छ.ग.)

सौता जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

सर्वेक्षित तालिका से स्पष्ट होता है कि सर्वेक्षित सौता जनजाति परिवारों में सर्वाधिक 23.26 प्रतिशत व्यक्ति 22—35 वर्ष उम्र समूह के हैं, तत्पश्चात् 18.58 प्रतिशत व्यक्ति 6—14 वर्ष उम्र समूह के, 15.45 प्रतिशत व्यक्ति 15—21 व 36—50 वर्ष उम्र समूह के एवं 12.50 प्रतिशत व्यक्ति 51—60 वर्ष उम्र समूह में पाये गये। 09.38 प्रतिशत 0—5 वर्ष उम्र समूह में व सबसे कम 05.38 प्रतिशत व्यक्ति ही 60 वर्ष से अधिक की उम्र-समूह में पाये गये।

0—5, 6—14, 50—60 वर्ष के उम्र समूहों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं का प्रतिशत अधिक दिखाई देता है। किन्तु 15—21, 22—35, 36—50 व 60 से अधिक उम्र समूहों में महिलाओं की जनसंख्या की तुलना में पुरुषों की संख्या तुलनात्मक रूप से अधिक दिखाई देती है।

(स) लिंगानुपात

सर्वेक्षित सौता परिवारों में प्राप्त आँकड़ों के अनुसार प्रति हजार पुरुषों पर 993 महिलाएँ हैं।

—000—

अध्याय —2

भौतिक संस्कृति

मनुष्य प्रगतिशील प्राणी है, जो अपने बुद्धि का उपयोग कर चारों ओर की प्राकृतिक परिस्थितियों का निरन्तर सुधार और उन्नत करता रहा है। इस प्रकार जीवन पद्धति, रहन-सहन, रीति-रिवाज, आचार-विचार, नवीन अनुसंधान एवं आविष्कार आदि जो हमें पशुओं से उच्च स्थान प्रदान करता है, और हमें सभ्य बनाता है। सभ्यता संस्कृति का ही अंग है। मनुष्य अपने चारों ओर उपलब्ध प्राकृतिक वस्तुओं से अपने जीवन को सरल बनाने के लिए वस्तुओं का आविष्कार एवं विकास करता है।

सौता जनजाति अधिकांश वनों, पहाड़ों की तलहटी एवं मैदानी पठार में निवास करते हैं। वे अपने लिए प्राकृतिक संसाधनों से सहज एवं सरल भौतिक वस्तुओं का निर्माण स्वयं करते हैं जिससे उनके सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक एवं भौतिक संस्कृति में पर्यावरण का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है।

सौता जनजाति की भौतिक संस्कृति निम्न है :—

2.1 ग्राम की बसाहट

सौता जनजाति का पृथक् ग्राम नहीं होता है। सामान्यतः गोड़, बैगा, कंवर, धनवार एवं अगरिया जनजातियों के साथ ग्राम में निवास करते हैं। यह जाति ग्राम में अलग पारा, टोला बनाकर निवास करती है, जिसे सौता पारा कहते हैं। प्रत्येक सौता पारा में मकान आमने-सामने होते हैं। कई ग्रामों में इस जनजाति के लोगो के घर कतार में न होकर विभक्त रहते हैं और कई ग्रामों में लगभग 10-15 घर एक साथ कतार में होते हैं।

ग्रामों की संरचना में प्रायः एकरूपता पायी जाती है। ग्राम आयताकार अथवा लम्बवत बसाये जाते हैं, जिसमें एक चौड़ा कच्चा मुख्य मार्ग होता है। मार्ग के दोनों ओर मकान बसे होते हैं। मुख्य रास्ता से छोटी-छोटी पगडंडी अन्य पारे टोले हेतु निकली होती है। सौता पारा में बरगद, आम, इमली, नीम, जामुन, साल, महुआ आदि वृक्ष बहुतायत में पाये जाते हैं।

सौंता जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन



सौंता जनजाति ग्राम पहुंच मार्ग

ग्राम के मध्य में बड़ा चबूतरा (चौरा) बना होता है जहां चबूतरा नहीं होता वहां खुला मैदान जहां छायादार स्थान होता है जहां ग्राम की बैठक, नाटक आदि कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। ग्राम के खाली स्थान पर गाय चराने हेतु 'चरागन' (चारागाह) पाया जाता है। प्रायः ग्राम के बाहर तालाब भी देखा गया जहां लोग स्नान करते हैं एवं मवेशियों (पशुओं) को पानी पिलाते हैं। ग्रामों के मुख्य भाग में स्कूल, पंचायत भवन आदि होते हैं। वर्तमान में पारे/टोले, स्कूल/हाट बाजार के समीप शासकीय हैण्डपंप स्थापित किया गया है।



सौंता जनजाति निवासरत ग्राम

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय इकाई बिलासपुर (छ.ग.)

सौता जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

ग्राम सीमा में बसाहटों के पीछे सामुदायिक निस्तारी हेतु एक दो तालाब पाये जाते हैं। ग्राम सीमा के अंदर 'देवालय' होता है, जिसमें ग्राम देवी-देवता स्थापित किये जाते हैं। मसान बस्ती से बाहर नदी या नाले के समीप होता है। वहां मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है। पारा या टोला से लगे हुए अथवा दूर वनों से लगे छोटे-छोटे जोत की कृषि भूमि पर खेती की जाती है।



सौता जनजाति निवासरत ग्राम

2.2 आवास निर्माण

सौता समुदाय में आवास निर्माण में निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है :—

(अ) भूमि चयन

आवास का निर्माण जातीय धार्मिक बैगा द्वारा बताये स्थान पर किया जाता है। मकान बनाने के पूर्व बैगा द्वारा नारियल, सिंदूर, गुड़ तथा धूप आदि का प्रयोग मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन करता है तथा चयनित स्थान पर परिवार के सदस्य संख्या, पालतु पशुओं की उपलब्धता एवं अन्य अनिवार्य आवश्यकताओं के आधार पर आवास में कमरों के निर्माण की रूपरेखा तैयार करते हैं।

(ब) आवास निर्माण

आवास निर्माण के लिए सर्वप्रथम भूमि पर रस्सी एवं फावड़े द्वारा भूमि चिह्नित कर ली जाती है, तत्पश्चात् चिह्नित लाईन में 2 से 2½ फीट की गहरी नींव खोदते हैं। नींव को पत्थर और मिट्टी से अच्छी तरह भरा जाता है, नींव पक्की होने पर दीवाल बनाने हेतु मिट्टी तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ किया जाता है। आवास निर्माण हेतु मटासी अथवा लाल मिट्टी का उपयोग बहुतायत में किया जाता है, जिसे पानी में भिंगोकर पैरा के पुवाल के साथ चिकना होने तक पैरों से कुचला जाता है।

इस मिट्टी को सीधे नींव के आकार में भरा जाता है। दीवाल निर्माण प्रातःकाल से किया जाता है तथा 1–2 फीट की ऊँचाई तक प्रतिदिन दीवाल पर मिट्टी चढ़ाई जाती है ताकि दिनभर की धूप से दीवाल पर्याप्त सूखती रहे। लगभग 3–4 फीट ऊँचाई तक दीवाल निर्माण हो जाने पर छोटी खिड़की या रोशनी हेतु झरोखा बनाया जाता है। लगभग 6–7 फीट दीवाल की निर्धारित ऊँचाई पूर्ण होने पर गोल लकड़ी की “म्यार” रख दी जाती है। पुनः दीवाल की ऊँचाई लगभग 2 फीट बढ़ायी जाती है। “म्यार” के बीचों-बीच लकड़ी की बल्ली लगायी जाती है, जिसके ऊपर मोखेन बनाया जाता है जो घर की छत का निर्माण करता है। मोखेन के चारों ओर दीवाल पर लकड़ी की “कांड” चढ़ायी जाती है, जिसके ऊपर बांस की चट्टियां बिछा दी जाती है, जिस पर पैरा की बनी ‘खदर’ (घास-फूस) अथवा देशी खपरैल से “छा” दिया जाता है।



सौता जनजाति स्व:निर्मित आवास

सौता जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

घर के सामने आंगन में पशुओं की उपलब्धतानुसार एक ओर पशुओं को रखने का स्थान “कोठा” बनाया जाता है। अधिकांश घरों में पिछे की ओर बाड़ी पायी जाती है, जिसमें मौसमी साग-भाजी आदि लगायी जाती है।

आवास निर्माण हेतु मिट्टी बनाने का कार्य महिलाएँ एवं दीवाल में मिट्टी चढ़ाने, म्यार रखने एवं छत बनाने का कार्य पुरुषों द्वारा किया जाता है आवास हेतु दरवाजे एवं खिड़कियों स्थानीय बढ़ई द्वारा निर्माण करायी जाती है। सर्वेक्षित सौता जनजाति परिवारों में आवास की स्थिति निम्नानुसार पाया गया :-

तालिका क्रमांक-04
आवास की स्थिति

क.	विवरण	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	कच्चा	102	76.69
2	पक्का	28	21.05
3	अर्धपक्का	3	02.26
योग		133	100

तालिका अनुसार 76.69 प्रतिशत मकान कच्चे हैं। अर्धपक्के मकानों की तुलना में पक्के मकानों की संख्या अधिक है। जहां पक्के मकानों की प्रतिशत 21.05 प्रतिशत है। अर्धपक्के मकानों का प्रतिशत मात्र 02.26 है सौता जनजाति में सर्वाधिक पक्के आवास शासकीय योजना इंदिरा आवास व प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से निर्माण हुए हैं।

2.3 आवास विभाजन

सौता जाति में आवास आवश्यकता के अनुसार 2-3 कमरों का होता है, जिसमें सबसे अंदर (भीतरी भाग) को “कुरिया” कहते हैं। “कुरिया” से लगा हुआ बरामबद या दालान होता है, जिसे “परछी” कहा जाता है। परछी के एक काने में रसोई घर पाया जाता है, जिसे “रंधनी कुरिया” कहते हैं।

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय इकाई बिलासपुर (छ.ग.)

सौंता जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

गाय, बैल एवं अन्य पशुओं को रखने हेतु आंगन में एक ओर “कोढ़ा” बनाया जाता है और दूसरी ओर धान कुटाई हेतु “ढेकी सार” पायी जाती है। इसी के एक कोने में पशुओं के “चारा” रखने हेतु स्थान होता है।

2.4 घर की सजावट एवं आवास व्यवस्था

सौंता समुदाय की आवास के आंतरिक एवं बाह्य सजावट हेतु चिकनी मिट्टी या गोबर में पैरा को जलाकर प्राप्त काली राख मिलाकर पहले दीवारों में मोटी छबाई की जाती है। तत्पश्चात् “छुही” (सफेद मिट्टी) से दीवारों की पुताई की जाती है। पुताई करते समय हाथों से एक विशिष्ट प्रकार की लहरदार प्रतिकृति सुन्दरता की दृष्टि से बनायी जाती है। फर्श की लिपाई प्रारंभ में चिकनी मिट्टी, गीली मिट्टी से की जाती है। बाद में सामान्यतः गोबर के घोल से लिपाई की जाती है।

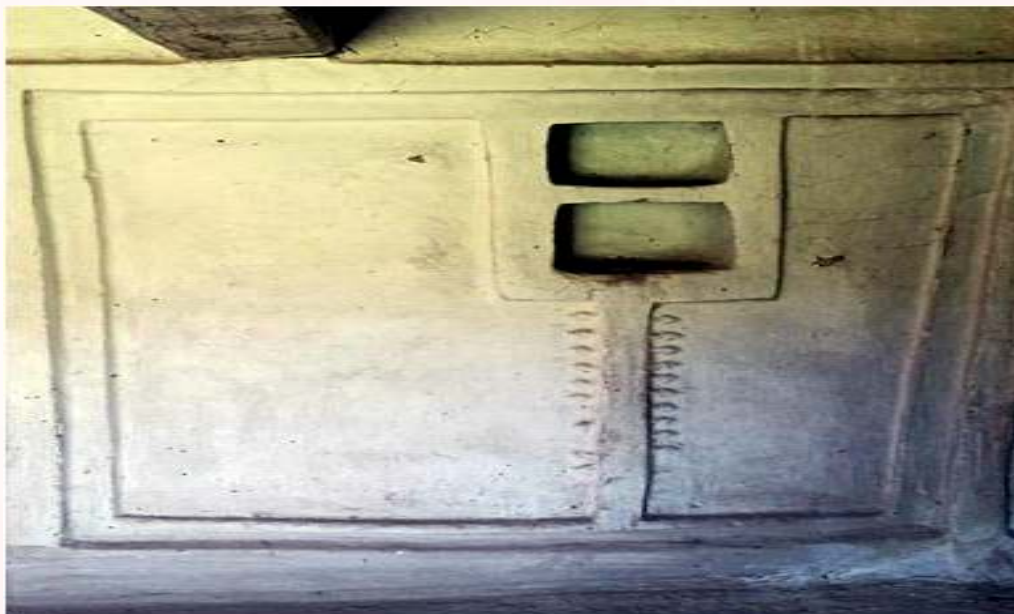


घर में आंगन को गोबर की घोल से लिपाई करती सौंता महिला



सौंता जनजाति आवास के पीछे कोठार में धान फसल की खरही

घर की सजावट के लिए दीवार में विभिन्न आकृति का चित्रण किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से हिरण, शिकार करता हुआ शिकारी आदि अनेक प्रकार के चित्रकारी किया जाता है। टूटे हुए कांच की चूड़ी से फर्श पर विभिन्न प्रकार के सुंदर आकृति बनाई जाती है।



आवास के अंदर की दिवाल पर निमित पठेरा

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय इकाई बिलासपुर (छ.ग.)

आवास के भीतरी कक्ष में एक ओर अनाज रखने हेतु “कोठी” एवं दूसरी ओर पितृदेव एवं कुल देवी-देवताओं का स्थान निश्चित होता है। बरामदे में अतिथियों के बैठने, ठहरने व सोने की व्यवस्था की जाती है। वहीं “रंधनी कुरिया” में भोजन बनाने का कार्य किया जाता है। रंधनी कुरिया के एक कोने पर दो मुंहा चुल्हा लगा होता है, जबकि दूसरे कोने में पानी रखने की हंडिया एवं अन्य बर्तन रखे जाते हैं। घर के भीतरी कक्ष में संबंधित गोत्र के सदस्य ही प्रवेश कर सकते हैं। उस कक्ष में अन्य समाजों के सदस्य एवं घर की व्याहता पुत्री को भी विवाह पश्चात् “पर गोत्री” हो जाने के कारण प्रवेश वर्जित होता है।

2.5 घर की स्वच्छता एवं सफाई

सौता समुदाय में घर की स्वच्छता एवं सफाई का दायित्व महिलाओं का होता है। महिलायें प्रातः उठकर रसोई घर साफ कर घर के अन्य कक्षों एवं आंगन में झाड़ू लगाती हैं। तत्पश्चात् गोबर से घर एवं आंगन की लिपाई कर पशुओं के कोठे की साफ-सफाई करती हैं। गोबर से “छेना” (कंडा) थापती हैं, भोश कचड़े को बाड़े में स्थित “गोबर गढ़ड़ा” पर फेंकती हैं।

इस समुदाय की महिलाओं नवा खाई, कार्तिक-पूर्णिमा, होली जैसे विशिष्ट त्यौहारों तथा जन्म, मृत्यु एवं विवाह जैसे विशेष संस्कारों में दीवाल आदि की पोताई (छुही एवं गोबर पानी से) की जाती है।

2.6 व्यक्तिगत स्वच्छता

इस समुदाय में दांतों की सफाई दातून से की जाती है। आधुनिकता के प्रभाव के कारण वर्तमान में युवा वर्ग ब्रश एवं टूथपेस्ट आदि का उपयोग करने लगे हैं।

पुरुष सदस्य सुबह उठकर नदी, नाले अथवा तालाब आदि में दातून करते हैं। वहीं घरेलू महिलायें कामकाज निपटाकर नहाने के समय दातून करती हैं।

सौता महिलायें सुबह घर के कामकाज, झाड़ू, लिपाई, कोढ़ा आदि की सफाई पश्चात् स्नान करने जाती हैं। बाल धोने हेतु चिकनी मिट्टी का उपयोग करती हैं। नहाने हेतु नदी, नाला, कुंआ, तालाब या शासकीय हैंडपंप का उपयोग किया जाता है।

पुरुष सदस्य अपने दैनिक कार्य से लौटते समय या वन विचरण से वापस लौटते समय ही नदी, तालाब आदि से नहाते हुए घर वापस आते हैं। बच्चे शीतकाल एवं वर्षाकाल को छोड़कर प्रतिदिन नहाते हैं।

सौता जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

छोटे बच्चों को स्नान प्रायः घर पर ही बाड़ी आदि में करा दिया जाता है।

स्नान पश्चात् सिर व शरीर पर डोरी का तेल अथवा नारियल आदि का तेल उपयोग किया जाता है। महिलाओं में सौन्दर्य प्रसाधन जैसे—बिन्दी, पाउडर, क्रीम आदि का उपयोग करते देखा जा सकता है।

2.7 वस्त्र विन्यास

इस समुदाय में उम्र लिंग अनुसार वस्त्र विन्यास निम्नलिखित पाये गये :—

(अ) पुरुषों के वस्त्र

इस समुदाय में नवजात शिशु को छठी के पूर्व तक नये गमछे, लुंगी या अन्य कपड़ों में लपेटकर रखा जाता है। छठी के बाद ही बाजार से प्राप्त “झबला” आदि कपड़े पहनाये जाते हैं। स्कूल जाने वाली उम्र के बच्चों को हाफ पैंट व कमीज पहनाया जाता है।

वयस्क पुरुष लुंगी या घुटने तक धोती पहनते हैं। ऊपरी भाग पर बनियान या कमीज पहनते हैं। आधुनिक परिवेश में अब कुछ व्यक्ति फुल पैंट व कमीज पहने देखे जा सकते हैं।

वृद्ध व्यक्ति सामान्यतः घुटने तक लंगोटी अथवा लुंगी पहनते हैं। ऊपरी भाग प्रायः खुला रहता है। सिर पर गमछा की पगड़ी बांधे रहते हैं। अतिथि अथवा अन्य कार्य हेतु गांव से बाहर जाने पर घुटने के नीचे तक की धोती एवं कमीज पहनते हैं तथा कंधे पर गमछा रखते हैं।



सौता जनजाति बुजुर्ग व्यक्ति

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय इकाई बिलासपुर (छ.ग.)

(ब) स्त्रियों के वस्त्र

इस समुदाय में छोटी लड़कियों को फ्राक या स्कर्ट कमीज पहनायी जाती है। स्कूल उम्र की लड़कियां प्रायः स्कर्ट एवं ब्लाऊज का उपयोग करती है। वहीं अन्य किशोरी महिलायें घुटने से थोड़ी नीचे तक की “लुगड़ी” अथवा सलवार कमीज पहनती है। महिलायें घुटने के नीचे तक रंग-बिरंगी साड़ी व ब्लाऊज पहनती हैं। वृद्ध महिलायें घुटने तक की “लुगड़ा” पहनती हैं। कुछ वृद्ध महिलायें ब्लाऊल पहनती नहीं पायी गयी। शरीर के ऊपरी भाग को लुगड़ी की पल्लू से ढका जाता है।

पति की मृत्यु पश्चात् विधवा महिलायें दशकर्म (दशगात्र) तक सामाजिक संस्कारों के तहत सफेद साड़ी पहनती हैं। इसके बाद वह किसी भी रंग की साड़ी इच्छानुसार पहन सकती हैं।

इनमें परिवार के प्रत्येक सदस्यों के पास लगभग 2-3 जोड़ी कपड़े पाये जाते हैं। महिलायें प्रायः नहाते समय साबून या कास्टिक सोडा से कपड़े धोती हैं।

इस समुदाय में अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार विशेष त्यौहारों एवं विवाह आदि विशेष अवसरों पर नये वस्त्र खरीदे जाते हैं।

(स) ओढ़ने बिछाने के कपड़े

इस समुदाय में ओढ़ने-बिछाने हेतु पुरानी कटी-फटी साड़ियाँ लुगाड़ा, लंगोटी, लुंगी, आदि की सिलाई कर “गोदरी” बनायी जाती है। प्रति परिवार 3-4 “गोदरी” पायी जाती है। कभी-कभी खजूर के छिन्द पत्तों से बनाई गई चटाई का उपयोग बिछाने के लिए किया जाता है। ओढ़ने हेतु स्थानीय गड़रिया द्वारा निर्मित अथवा बाजार से क्रय किया गया रूएं का कंबल प्रयोग किया जाता है, जिसका बाजार मूल्य 200 से 1000 रु. तक होता है। गोदरी का उपयोग भी ओढ़ने हेतु किया जाता है। आधुनिक परिवेश में ओढ़ने के लिए आर्थिक स्थिति के आधार पर चद्दर भी खरीदने लगे हैं।

2.8 साज श्रृंगार एवं आभूषण

इस समुदाय की महिलायें स्नान उपरांत शरीर एवं बालों में नारियल तेल या अन्य सुगंधित तेल का उपयोग करती है। बालों में “कंधी” कर चोटी बनाकर रंगीन फीता या रबर बांधती हैं। कानों के ऊपरी भाग में बालों में चिपकन लगाती हैं। श्रृंगार में माथे में बिंदिया, आँखों में काजल व सुहागन के परिचायक के रूप में रंग-बिरंगी कांच की चुड़िया पहनती है पैरों में पैयरी (पायल) पहनती हैं। सधवा महिलायें मनके की माला

सौता जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

पहनती हैं, बालों में अधिकांश महिलाएँ गर्दन पर लटकता “खोसा” (जूड़ा) भी बनाती है।



सौता महिलाओं के साज-श्रृंगार की वस्तुएँ

क्र.	आभूषण	उपयोग	धातु	बजार-मूल्य (रु. में)
1.	कलदार	गले में	गिलट	300-50
2.	सुता	गले में	गिलट	200-400
3.	ठार, करछी	कान में	गिलट/चांदी	1500-2000
4.	बहुटा, नागभोरी	बाजू में	गिलट/चांदी	150-2000
5.	ककनी, हरईया	कलाई में	गिलट/चांदी	300-1500
6.	मुंदरी	हाथ की उंगली में	गिलट/चांदी	20-100
7.	करधन	कमर में	गिलट/चांदी	300-2500
8.	चुड़ा	पैर में	गिलट/चांदी	150-1200
9.	चुटका	पैर की उंगली में	गिलट/चांदी	20-150
10.	बिन्दी (चिकली)	माथे में	रबर	5-10

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय इकाई बिलासपुर (छ.ग.)

सौंता जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

उपरोक्त आभूषण साप्ताहिक हाट—बाजार अथवा स्थानीय फेरीवाले से खरीदे जाते हैं। विधवा महिलायें हाथों में ककनी (चांदी/एल्युमिनियम/गिल्ट की बनी) पहनती हैं। अविवाहित बालिकाएँ श्रृंगार की दृष्टि से गले में चैन कान में ढार या कराठी एवं पैरों में पायल आदि पहनती हैं।

श्रृंगार की दृष्टि से पुरुष वर्ग भी गले में माला, गुरुमाला, कान में बारी, कलाई में चूड़ा एवं हाथ की उंगलियों में अंगूठी पहने देखे जा सकते हैं, जिसे स्थानीय बाजार या मेले में लगी दुकानों से खरीदते हैं।

गोदना/गोदा

सौंता समुदाय में गोदना को पवित्र तथा आवश्यक माना जाता है। गोदना स्त्रियों में अधिक प्रचलित है। पुरुष वर्ग शौकिया तौर पर हाथ की कलाईयों में गुदवाते हैं। इस समुदाय में मान्यता है कि गोदना पक्का या स्थायी श्रृंगार होता है, जो सदैव मायके पक्ष की स्मृति बनाये रखता है तथा मृत्यु पश्चात् भी दूसरे लोक तक साथ जाता है। माना जाता है कि जो महिलायें गोदना नहीं गुदवाती हैं उनकी मृत्यु पश्चात् स्वर्ग लोक में गर्म सब्बल से गोदना गोदा जाता है। शरीर के अंगों में गोदना के संबंध में ऐसी मान्यता है कि यदि हाथ में गोदना गोदवाया न हो तो अपने हाथ से पानी नहीं पी सकेंगे। यदि घुटना में न गोदवाया हो तो चल नहीं सकेंगे। इनमें मान्यता है कि “माता—पिता” द्वारा भेंट स्वरूप जो भी अपनी कन्या को दिया जाता है। एक न एक दिन वह टूट—फूट जावेगा किन्तु गोदना मृत्यु तक साथ रहता है।



सौंता महिला के हाथ में
गोदना की एक आकृति

सौता जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

इस समुदाय में गोदना प्रायः 12–15 वर्ष की आयु तक गुदवा लिया जाता था विवाह पश्चात् गोदना निषेध होता है। इनमें गोदना निम्न प्रकार का होता है : जैसे – हाथों की भुजाओं में “बिच्छु”, हाथों पर “डोरा”, घुटने के ऊपर जांघ पर “पीपरपान”, उल्टी हथेली में बिल्ली या खरगोश के तलवे की प्रतिकृति, पिंडली के चारों ओर विभिन्न आकृतियां तथा पैर के पंजे के ऊपर बिन्दी, बिच्छु, नाग आदि आकृतियों की गोदना गुदवाती है।

पूर्व में गोदना गुदवाने हेतु 5–7 रु. या चावल दिया जाता था लेकिन वर्तमान में गोदना गुदवाने के लिए 50–100 रु. दिया जाता है। स्थानीय देवारिनों (देवार जाति की स्त्रियां) द्वारा साप्ताहिक बाजार या मेले आदि में गोदने का कार्य किया जाता है।



2.9 घरेलू उपकरण

सौता परिवार अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विभिन्न आवश्यक उपकरणों/वस्तुओं का संग्रह करता है जिनका उपभोग दैनिक क्रियाकलापों को सम्पादित करने में आवश्यक होता है। सौता समुदाय निम्नानुसार घरेलू उपकरण पाये जाते हैं :—

सौता जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

क्र.	उपकरण का नाम	मूल्य	निर्माण सामग्री	निर्माण	उपयोग
1.	हाड़ी	20-50	मिट्टी	कुम्हार	भात बनाने
2.	कड़ाही	100-200	एल्युमिनियम	बाजार	साग (सब्जी) बनाने
3.	तवा	75-150	लोहा	बाजार	रोटी बनाने
4.	डोकसी	20-30	मिट्टी	कुम्हार	साग (सब्जी) चलाने
5.	डेचकी	100-150	एल्युमिनियम	बाजार	पानी लाने, भात बनाने
6.	करछुल	20-30	एल्यू/लोहर	बाजार	साग सब्जी निकालने
7.	चाटू	—	लकड़ी	स्वनिर्मित	साग सब्जी निकालने
8.	डूवा	25-50	लोहा	बाजार	दाल निकालने
9.	कन्नौजी	20-40	मिट्टी	कुम्हार	पानी देने
10.	लोटा	150-200	कांसा	बाजार	पानी पीने/देने
11.	गिलास	40-100	कांसा/स्टील	बाजार	खाना खाने
12.	थाली	100-400	स्टील/कांसा	बाजार	सब्जी रखने
13.	माली/कटोरी	10-30	स्टील/कांसा	बाजार	पानी, पीने/देने
14.	हऊला	400-1000	पीतल	बाजार	खाना खाने
15.	बाल्टी	150-300	एल्युमिनियम	बाजार	सब्जी रखने
16.	टोकिया/झऊहा	—	बांस	स्वनिर्मित	पानी रखने, भरने
17.	सुपा	—	बांस	स्वनिर्मित	पानी भरने
18.	ढेकी	—	लोहा/लकड़ी	स्वनिर्मित	सब्जी रखने
19.	सिलबट्टा	50-100	पत्थर	स्व./बाजार	अनाज आदि साफ करने
20.	जाता	50-75	पत्थर	स्व./बाजार	धान कुटने हेतु
21.	पडेश	—	लकड़ी	स्वनिर्मित	चटनी/मसाला पीसने
22.	चटई	100-150	खजूर, छिंदपत्ता	बाजार	चावल/दाल आदि पीसने
23.	पीढ़ा	—	लकड़ी	स्वनिर्मित	तेल, मसाला रखने
24.	बहरी	—	बिरनी घास	स्वनिर्मित	सोने, बैठने हेतु

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय इकाई बिलासपुर (छ.ग.)



सौंता आवास में घरेलु बर्तन

2.10 कृषि उपकरण

सौंता समुदाय के सदस्य परम्परागत पद्धति से कृषि करते हैं, जिसके लिए उन्हें कुछ पारंपरिक कृषि उपकरणों की आवश्यकता होती है। यह समुदाय आर्थिक रूप से सुदृढ़ न होने के कारण सीमित व पारम्परिक उपकरणों के माध्यम से ही कृषि कार्य करती हैं। कृषि उपयोग किये जाने वाले प्रमुख कृषि उपकरण निम्नानुसार हैं :-



सौंता जाति के लोगो के कृषि उपकरण

सौंता जनजाति के कृषि उपकरण

क्र.	कृषि उपकरण	उपयोग	निर्मित वस्तु	निर्माण	बाजार मूल्य (रु. में)
1.	नागर (हल)	भूमि जुताई हेतु	लकड़ी, लोहा	स्वनिर्मित	300-400
2.	जुड़ा	बैल जोतने हेतु	लकड़ी	स्वनिर्मित	100-150
3.	कोपर	मिट्टी समतल करने में	लकड़ी	स्वनिर्मित	200-400
4.	रापा (फावड़ा)	मिट्टी खोदने, समतल	लोहा / लकड़ी	बाजार	100-150
5.	गैती	भूमि खोदने	लोहा / लकड़ी	बाजार	150-300
6.	कुदाल	भूमि खोदने	लोहा / लकड़ी	बाजार	50-100
7.	साबल	भूमि खोदने	लोहा	बाजार	100-400
8.	हसिया	फसल काटने	लोहा	बाजार	50-150
9.	दवरी	मिंजाई हेतु बैल बांधने	रस्सी	स्वनिर्मित	—
10.	सूपा	अनाज साफ करने हेतु	बांस	स्वनिर्मित	40-50
11.	गाड़ी	फसल लाने हेतु	लकड़ी	बढ़ई	4000-5000

2.11 शिकार एवं मत्स्य आखेट उपकरण

शिकार पर प्रतिबंध के कारण इस समुदाय द्वारा वर्तमान में शिकार (खेदा) नहीं किया जाता है। फसलों की रक्षा करने व मनोरंजन के उद्देश्य से पक्षियों का शिकार किया जाता है। यह समुदाय नदी, नालों, तालाबों एवं वर्षाकाल में खेतों आदि में मत्स्य आखेट करता है। शिकार एवं मत्स्य आखेट हेतु निम्नलिखित उपकरणों का प्रयोग किया जाता है :-

सौता जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

क्र.	शिकार उपकरण	उपयोग	निर्माण
1.	धनुष, बाण	पक्षी, जानवर, मछली मारने	लकड़ी, लोहा
2.	टंगिया	काटने	लकड़ी, लोहा
3.	चोप गवा	पक्षी फसाने	बांस, गोंद
4.	गुलेल	फल गिराने, चिड़िया मारने	रबर, लकड़ी
5.	जाल	मछली फसाने	तांत (रस्सी)
6.	चोरिया	मछली फसाने	बांस
7.	गरी	मछली फसाने	बांस
8.	झोलनी जाल	मछली फसाने	तात (जाल)
9.	पेलनी	मछली फसाने	बांस+तांत



आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय इकाई बिलासपुर (छ.ग.)



2.12 संगीत के उपकरण

सौता समुदाय में गीत एवं संगीत का विशेष महत्व है। समय-समय पर त्यौहारों, धार्मिक अनपछानों, विवाह संस्कार आदि अवसरों पर परम्परागत रूप से लोक गीतों को वाद्ययंत्रों की मदद से गाया जाता है। वाद्ययंत्रों में लकड़ी, तार, दो तुमड़ी से बनी “नकरी बाजा” तथा लकड़ी एवं चमड़े से बनी “ढोलक” का उपयोग प्रमुखता से किया जाता था। वर्तमान में “नकरी” वाद्ययंत्र प्रचलन में नहीं है। लेकिन “ढोलक” के साथ-साथ मंजीरा, तंमुगा एवं थाली आदि का उपयोग किया जाता है।

2.13 आग प्रज्ज्वलन के उपकरण

सौता समुदाय में आग जलाने हेतु पारम्परिक रूप से दो विधियों का प्रयोग किया जाता था।

प्रथम विधि में लकड़ी के चौड़ें व समतल टुकड़ों के बीच में लगभग एक इंच गहरा गोल छेद कर उसमें सूखी घास डालते हैं तथा एक फीट लम्बी लकड़ी को दोनों हथेली के बीच में दबाकर नीचे की ओर दबाव डालते हैं और तेजी से घुमाते हैं, जिससे नीचे छेद में घर्षण के कारण आग उत्पन्न हो जाती है।

सौंता जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

दूसरी विधि में बांस के दो सूखे टूकड़े लेकर आग उत्पन्न की जाती है। बांस की एक टूकड़े को जमीन पर रखा जाता है और दूसरे टूकड़े को उसके ऊपर “कमचील” के गोलाई का खांच बनाकर लकड़ी को तेज चलाया जाता है, जिसके घर्षण से सुखी लकड़ी होने के कारण आग उत्पन्न हो जाती है, जिसे पैरा अथवा जंगली घास-फुंस के माध्यम से फुंक कर तैयार कर लिया जाता है। वर्तमान में आग जलाने हेतु माचीस का उपयोग किया जा रहा है।

सौंता समुदाय घर में प्रकाश हेतु चिमनी में मिट्टी तेल डालकर एवं डोरी तेल का उपयोग दिया जलाकर करते हैं। शीत ऋतु में ठंड से बचने हेतु साल या अन्य लकड़ी का “अंगेठा” तापने के लिए बरामदे में जलाया जाता है, जिसकी आग से भी रोशनी होती है।

2.14 आवागमन के साधन

सौंता समुदाय वर्तमान समय में प्रमुख सड़कों से दूर वनांचल में निवासरत है। कुछ सौंता समुदाय निवासित ग्राम कच्ची सड़कों से लगे पाये गये। अतः उन्हें दैनिक उपयोग की वस्तुएँ की पूर्ति हेतु हाट-बाजार आदि जाना होता है। अधिकांश परिवार बाजार पैदल जाते हैं। वर्तमान में सायकल आदि का उपयोग भी किया जाने लगा है।

चिकित्सा हेतु शहर जाने, अधिक दूरी की यात्रा करने आदि के लिए उपलब्धता के अनुसार बस, ट्रैक्टर आदि का उपयोग किया जाने लगा है।

2.15 भोजन

सौंता समुदाय के भोजन में चावल, दाल तथा मौसमी सब्जियाँ मुख्य हैं। चावल का “भात” बासी तथा चावल आटा की रोटियाँ (चीला) आदि भी खाया जाता है। बच्चे दो या अधिक बार भोजन करते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों में दाल व सब्जी नियमित रूप से नहीं बनायी जाती हैं। इन परिवारों में सब्जियों को रसदार बनाकर या टमाटर, मिर्च, नमक आदि की चटनी के साथ भोजन किया जाता है।

(अ) दैनिक भोजन

सामान्यतः दिन में दो बार भोजन किया जाता है। बीच में भूख लगने पर पेज, मुर्दा, रोटी आदि भी खाते हैं। कई बार सब्जी व दाल के अभाव में टमाटर, मिर्च की चटनी के साथ भी खाते हैं।

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय इकाई बिलासपुर (छ.ग.)

सौंता जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

मौसमी सब्जियों में बाड़ी, जंगल आदि से प्राप्त की गई साग भाजी का उपयोग किया जाता है, साग भाजी, टमाटर, करील, पुटु आदि को सुखाकर भी अन्य दिनों के लिए रखा जाता है।

(ब) मांसाहार

इस समुदाय में मांसाहार नियमित नहीं किया जाता है। प्रायः अतिथि आगमन, त्यौहारों, विशेष अवसरों, साप्ताहिक हाट-बाजार के दिन ही इसका सेवन किया जाता है।

(स) मद्यपान/तम्बाकू

इस समुदाय में मद्यपान सामान्यतः सभी के द्वारा किया जाता है। स्वयं का बनाया हुआ “शराब” का सेवन महिला-पुरुष व कभी-कभी बच्चे भी करते हैं। इनमें पुरुष वृद्धजन तम्बाकू को तेन्दूपत्ता में लपेटकर बीड़ी के रूप में सेवन करते हैं। गुड़ाखू का प्रचलन विशेषकर महिलाओं में अधिक करते पाया गया। किशोर व युवावर्ग तम्बाकू युक्त गुटखा का सेवन करते हैं।

शराब बनाने की विधि

सौंता समुदाय में “शराब” बनाने के लिए मिट्टी या एल्यूमिनियम की हांडी या बर्तन में “महुआ” के सुखे फूलों को पानी में भिगोकर रखा जाता है, फिर महुआ और पानी को बराबर मात्रा में हांडी में डाल दिया जाता है, इस हांडी के ऊपर एक पारदर्शी कपड़ा बांध दिया जाता है जिसके ऊपर एक छोटा पात्र रखा जाता है। इसके पश्चात् एक और हांडी को उल्टाकर उसके ऊपर ढक दिये जाते हैं और महुआ युक्त हांडी को नीचे से ताप दिया जाता है।

जैसे-जैसे महुआ उबलता है, तो उससे निकलने वाली भाप पारदर्शी कपड़े से निकलकर ऊपर ढकी हांडी में ठंडी होती जाती है और ठंडी होने के पश्चात् पारदर्शी कपड़े के ऊपर रखी छोटी हंडी में एकत्रित होती रहती है। पात्र भर जाने पर शराब को निकालकर अलग पात्र में रखा जाता है। इस प्रक्रिया को बार-बार दोहराया जाता है और प्राप्त पेय को ठंडा होने दिया जाता है, जिसे “दारू/मंद” (शराब) कहते हैं।

इसके पश्चात् उपभोग के लिए जितनी मात्रा का आवश्यकता होती है उसे निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी मिलाकर सेवन किया जाता है।

(इ) दूध/मिठाईयाँ

इस समुदाय द्वारा दूध का सेवन घर में उपलब्धतानुसार चाय आदि बनाने में किया जाता है। दूध अधिक

सौंता जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

मात्रा में उपलब्ध होने पर विक्रय कर दिया जाता है। इस जाति में मिठाई बहुत ही कम मात्रा में उपयोग की जाती है। मिठाई त्यौहारों, हाट बाजार के दिन अथवा विशेष अवसरों पर ही क्रय की जाती है।

(फ) भोजन बनाने की प्रविधि

चावल

मिट्टी की बनी चुल्हे में हांडी पर आवश्यकतानुसार पानी को डालकर उबलने दिया जाता है, जिसे “अंधना आना” कहा जाता है। इसके पश्चात् चावल धोकर उबलते हुए पानी में डाल देते हैं फिर ढक्कन से ढक दिया जाता है। पकने की स्थिति में चम्मच से बीच-बीच में निकालकर हाथों से दबाकर देखा जाता है। चावल पकने के पश्चात् पसाया जाता है। पानी निकल जाने पर पके हुए भोजन को “भात” कहा जाता है।

सब्जी

कड़ाही में आवश्यकतानुसार तेल डालकर कटी हुई सब्जी या भाजी को डालकर भून लिया जाता है। अच्छी तरह से भूनने के बाद नमक, हल्दी, मिर्च, मसाला आदि डाला जाता है तथा उसे पकने दिया जाता है।

मांसाहार (शिकार)

कड़ाही में तेल डालकर मुर्गे/मछली आदि को इच्छानुसार टुकड़े में करके हल्की आंच में भूना जाता है। इसके बाद लेहसुन, प्याज, मिर्च, हल्दी नमक आदि का मसाला बनाकर उसमें डाला जाता है। पकने के बाद सेवन किया जाता है। उसी प्रकार सामूहिक भोज आदि के समय बकरा को मारकर आग में भूनकर साफ-सफाई कर इच्छा अनुरूप काटा जाता है, कटे हुए मांस को पहले भुनकर मसाले आदि में पकाया जाता है।

अध्याय —3

आर्थिक जीवन

सौता जनजाति की अर्थ व्यवस्था सीमित एवं सरल है, जो मुख्य रूप से कृषि एवं वन पर आधारित होता है। ये वर्तमान में भी प्राकृतिक आय के स्रोतों पर निर्भर है। इनका आर्थिक जीवन ऋतुओं से संबंधित क्रियाकलापों पर आधारित होता है। कृषि, मजदूरी, वनोपज संग्रहण, आखेट, पशुपालन और जंगलों से लकड़ी एकत्र करना इनके अर्थव्यवस्था के साधन हैं। इनका कार्य वर्ष पर्यन्त तक चलता है, और जितना आर्थिक लाभ होता है, उससे ही अपना गुजर-बसर करते हैं।

सौता समुदाय के सदस्य मुख्यतः वनोपज संकलन, कृषि, कृषि मजदूरी, पशुपालन, मछली मारना आदि कार्यों से जीविका चलाते हैं। इस समुदाय में आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साधनों को ही सम्पत्ति माना जाता है। सम्पत्ति स्वार्जित एवं पूर्वजों से हस्तांतरण द्वारा प्राप्त होती है।

3.1 सम्पत्ति

सौता जाति में स्वामित्व के आधार पर सम्पत्ति को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है :—

- i) व्यक्तिगत सम्पत्ति
- ii) पारिवारिक सम्पत्ति
- iii) सामूहिक सम्पत्ति

i) व्यक्तिगत सम्पत्ति

समाज में परिवार के सदस्य द्वारा स्वयं की मेहनत से अर्जित अथवा क्रय की गयी अथवा प्राप्त वस्तुयें व्यक्तिगत सम्पत्ति मानी जाती हैं। इसमें वाद्य यंत्र, शिकार के उपकरण, सायकल, घड़ी आदि आते हैं।

ii) पारिवारिक सम्पत्ति

परिवार के सदस्यों द्वारा परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्राप्त सम्पत्ति अथवा पारिवारिक विभाजन से प्राप्त पैतृक सम्पत्ति आदि पारिवारिक सम्पत्ति के अंतर्गत आती हैं। इसके अंतर्गत, जमीन, मकान, पशु, अनाज, बैलगाड़ी आदि आते हैं।

iii) सामूहिक सम्पत्ति

इस समुदाय में नदी—नाला, तालाब, चारागाह, वन—पहाड़, ग्राम, मंदिर आदि को सामूहिक सम्पत्ति माना

सौता जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

जाता है, जिस पर सभी लोगों का समान अधिकार एवं स्वामित्व होता है।

3.2 सम्पत्ति हस्तांतरण

सौता समुदाय में पितृवंशीय सामाजिक व्यवस्था होने के कारण सत्ता या सम्पत्ति का उत्तराधिकार पिता से पुत्रों को प्राप्त होता है। पिता द्वारा स्वअर्जित सम्पत्ति व पैतृक सम्पत्ति में उसके सभी पुत्रों का समान अधिकार होता है। सम्पत्ति वितरण में सौता जनजाति में बड़े पुत्र को अन्य छोटे पुत्रों की तुलना में कुछ ज्यादा सम्पत्ति (जमीन) हस्तांतरित की जाती है, जिसे “डेसोसी” कहा जाता है। सौता समाज में यह मान्यता है कि बड़ा पुत्र अपने छोटे भाई बहनों की परवरिश, शिक्षा, विवाह आदि में पिता का सहयोग करता है। सम्पत्ति वितरण की इस प्रक्रिया में छोटे भाइयों को भी आपत्ति नहीं होती एवं सामाजिक नियम मानते हुए पालन भी करते हैं। पिता की सम्पत्ति पर पुत्रियों का अधिकार प्रायः नहीं पाया जाता।

विशेष परिस्थिति में यदि पिता की कोई पुत्र संतान न हो और केवल पुत्री संतान हो, तो पिता कोशिश करता है कि पुत्री के विवाह पचात् दामाद (पुत्री का पति) उसी के घर पर रहे अर्थात् वह ‘घरजिया’ विवाह को प्राथमिकता देता है तथा सम्पत्ति का हस्तांतरण अपनी पुत्री एवं दामाद को करता है। “घरजिया” विवाह में दामाद द्वारा “वधू मूल्य (सुकपैसा)” चुकाना नहीं पड़ता है।

यदि किसी सम्पत्ति की कोई भी संतान न हो तो वह अपने भाई के पुत्र अथवा बहन के पुत्र (भांजा) को गोद लेता है और सम्पत्ति का हस्तांतरण करता है।

3.3 प्राथमिक एवं गौण व्यवसाय

सौता समुदाय की अर्थव्यवस्था कृषि, वनोपज संग्रहण, मजदूरी आदि पर आधारित होती है। आय की मुख्य निर्भरता के आधार पर प्राथमिक व द्वितीयक व्यवसाय के रूप में विभाजित किया जा सकता है। सौता जनजाति के सर्वेक्षित परिवारों में प्राथमिक व्यवसाय को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है :-

सौंता जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

तालिका क्रमांक-05

प्राथमिक व्यवसाय

क्र.	व्यवसाय	परिवार संख्या	प्रतिशत
1	कृषि	49	36.84
2	वनोपज	13	9.77
3	मजदूरी	61	45.86
4	नौकरी	1	00.75
5	अन्य	9	06.77
	योग	133	100.00

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सौंता जनजाति के सर्वेक्षित परिवारों में सर्वाधिक 45.86 प्रतिशत परिवार मजदूरी, कृषि मजदूरी को प्राथमिक व्यवसाय के रूप में करते पाये गये, 36.84 प्रतिशत परिवार कृषि कार्य को प्राथमिक व्यवसाय के रूप में करते हैं। वनोपज संग्रहण को प्राथमिक व्यवसाय के रूप में 9.77 प्रतिशत परिवार करते पाये गये। नौकरी (शासकीय एवं गैर-शासकीय) को प्राथमिक व्यवसाय के रूप में 0.75 प्रतिशत परिवार के मुखिया करते पाये गये, जबकि 06.77 प्रतिशत परिवार अन्य कार्यों जैसे- राजमिस्त्री, ईट भट्टी में कार्य, किराना दुकान आदि को प्राथमिक व्यवसाय के रूप में करते पाये गये।

गौण व्यवसाय

सौंता जनजाति में प्राथमिक व्यवसाय से वर्ष भर परिवार के सदस्यों का भरण-पोषण एवं आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होने के कारण आय के अन्य स्रोतों पर भी निर्भर रहना पड़ता है जिसके फलस्वरूप वे अन्य गौण व्यवसाय में संलग्न रहकर आय अर्जित की जाती है। सर्वेक्षित परिवारों में पाये जाने वाले गौण व्यवसाय को निम्न तालिका में दर्शाया गया है:-

सौता जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

तालिका क्रमांक-06

गौण व्यवसाय

क.	व्यवसाय	परिवार संख्या	प्रतिशत
1	कृषि	27	20.30
2	वनोपज	41	30.83
3	मजदूरी	48	36.09
4	नौकरी	—	—
5	अन्य	17	12.78
योग		133	100.00

तालिका से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित परिवारों में सर्वाधिक 36.09 प्रतिशत परिवार मजदूरी को द्वितीयक व्यवसाय के रूप में करते पाये गये। जबकि 30.83 प्रतिशत परिवार वनोपज संकलन को, 20.30 प्रतिशत परिवार कृषि कार्य को एवं 12.78 प्रतिशत परिवार अन्य कार्य को द्वितीयक व्यवसाय के रूप में करते पाये गये।

3.4 आर्थिक संरचना

सौता समुदाय की आर्थिक संरचना मानव एवं पर्यावरण की अंतःक्रिया का प्रतीक है अर्थात् अर्थव्यवस्था प्रकृति पर आधारित है। यह समुदाय समयानुसार व भूमि उपलब्धतानुसार कृषि कार्य भी करता है। साथ ही वनोपज संकलन, बांस की बनी वस्तुएँ, मजदूरी, शिकार — मत्स्य आखेट, कृषि मजदूरी आदि कार्य कर अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।

(अ) कृषि

(1) भूमि धारिता :— सर्वेक्षित परिवार में भूमि धारिता का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है:—

तालिका क्रमांक-07

भूमिधारिता

क.	विवरण	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	भूमिधारक	120	90.23
2	भूमिहीन	13	09.77
योग		133	100.00

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय इकाई बिलासपुर (छ.ग.)

सौंता जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित सौंता परिवारों में 90.23 प्रतिशत परिवारों के पास कृषि भूमि उपलब्ध है। 09.77 प्रतिशत परिवार भूमिहीन पाये गये।

(2) कृषि भूमि वितरण

सर्वेक्षित सौंता परिवारों में कृषि भूमि का वितरण असमान पाया गया। किसी परिवार के पास वर्ष भर के अनाज उत्पादन हेतु कृषि भूमि उपलब्धता नहीं है तो दूसरी ओर किसी परिवार के पास पर्याप्त कृषि भूमि होते हुए भी अनेक कारणों की वजह से आवश्यकता पूर्ति लायक उत्पादन भी नहीं ले पाता है। सर्वेक्षित परिवारों में कृषि भूमि के वितरण को निम्न तालिका में दर्शाया गया है:-

तालिका क्रमांक-08

कृषि भूमि का वितरण

क.	भूमि (एकड़ में)	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	भूमिहीन	13	9.77
2	0.01 — 1 एकड़	25	18.80
3	1.01 — 2 एकड़	45	33.83
4	2.01 — 3 एकड़	27	20.30
5	3.01 — 4 एकड़	6	4.51
6	4.01 — 5 एकड़	15	11.28
7	5.01 से अधिक	2	1.50
योग		133	100.00

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि सर्वेक्षित सौंता परिवारों में सर्वाधिक 33.83 प्रतिशत परिवारों के पास 1.01—2 एकड़ कृषि भूमि उपलब्ध है। 20.30 प्रतिशत परिवारों के पास 2.1—3 एकड़ कृषि भूमि पायी गई। 18.80 प्रतिशत परिवारों के पास 0.01—1 एकड़ व 11.28 प्रतिशत परिवारों के पास 4.01—5 एकड़ कृषि भूमि पायी गई। मात्र 01.50 प्रतिशत परिवारों के पास ही 5.0 एकड़ से अधिक की कृषि भूमि पायी गई। सर्वेक्षित

सौंता जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

भूमिधारक सौंता परिवारों के पास कुल 287.6 एकड़ कृषि भूमि पायी गई। जो औसतन प्रति परिवार 2.39 एकड़ है। अधिकांश भूमि मानसूनी वर्षा पर निर्भर है, जिसके फलस्वरूप एक ही फसल लेते हैं।



मौसमी सब्जी-भाजी लगाते सौंता जाति के लोग

(3) मुख्य फसल

सौंता समुदाय की संपूर्ण कृषि विधि पारम्परिक है। यह समुदाय पारम्परिक स्रोतों के माध्यम से कृषि कार्य करता है। कृषि भूमि में समुदाय के बहुत ही कम लोग आधुनिक खाद जैसे— फॉस्फेट, यूरिया व कीटनाशकों का उपयोग करते हैं, साथ ही साथ आर्थिक स्थिति का कमजोर होना, भूमि की उर्वरता का कम होना, पारम्परिक विधि से पैदावार करना आदि माना जाता है। सर्वेक्षित परिवारों में कृषि उपज में संलग्नता को निम्न तालिका में दर्शाया गया है :—

सौंता जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

तालिका क्रमांक-09

कृषि उपज में संलग्नता

क.	कृषि उपज (फसल)	संलग्न परिवार (133 परिवारों में से)	
		संख्या	प्रतिशत
1	धान	97	72.93
2	कोदो-कुटकी	38	28.57
3	ज्वार-बाजरा	11	08.27
4	गेहूँ	15	11.28
5	दलहन (अरहर, उड़द, तिवड़ा)	42	31.58
6	तिलहन (सरसो तिल)	23	17.29
कुल सर्वेक्षित परिवार - 133			

(i) धान

सौंता समाज की मुख्य फसल धान है। धान की फसल हेतु बीज प्रायः जून-जुलाई में लगाया जाता है। धान की फसल मानसूनी वर्षा पर निर्भर है। मानसूनी वर्षा होने पर खेतों को “नागर” (हल) द्वारा जोता जाता है, जिस परिवार में बैल नहीं होता है, वे निकट संबंधियों के हल बैल की सेवा लेते हैं। इनके खेत छोटे-छोटे “डोली” में विखण्डित होते हैं। दो बार जुताई कर गोबर की खाद छिड़कर धान बोया जाता है।

धान की बुआई

धान की फसल हेतु कृषि भूमि को तैयार कर निम्नांकित विधियों के धान बोया जाता है :-

(1) बतराहा

इस विधि में प्रथम वर्षा के पश्चात् जुताई कर धान को छिड़क देते हैं। तत्पश्चात् ‘कोपर’ (समतल करने का पाटा) से खेत को समतल कर देते हैं, जिससे एक जगह पर पानी का जमाव न हो सके।

(2) लहियारा

इस विधि में वर्षा के पानी से खेतों की जुताई कर मिट्टी को लसलसा (कीचड़) बनाकर तैयार कर लिया

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय इकाई बिलासपुर (छ.ग.)

सौंता जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

जाता है, बोने वाले बीज को 24 घंटे पानी में भिगोकर रखने के पश्चात् खेतों में बुआई कर दी जाती है। जिससे धान का अंकुरण शीघ्र होकर जड़ पकड़ लेता है। इसके 8–10 दिनों बाद खेतों में पानी भर दिया जाता है।



(3) रोपा

रोपा विधि में किसी एक स्थान को तैयार कर धान की “धरहा/थरहा” (नर्सरी) लगायी जाती है। 20–30 दिनों पश्चात् धान के पौधे रोपाई हेतु तैयार हो जाते हैं, जिसे जुताई कर तैयार किये हुए खेत पर रोपाई कर दी जाती है। धान के पौधे के जड़ पकड़ने एवं सीधे होने के बाद खेत में पानी भर दिया जाता है।

बियासी

धान बोने के प्रथम दो विधियों में धान बोनी के 30–40 दिन बाद “बियासी” किया जाता है, जिसमें बोये गये धान के पौधों वाले खेतों पर हल चलाया जाता है जिससे मिट्टी पोला (ढीली) हो जाये और जड़ का फैलाव गहराई तक मजबूती से पकड़ सके। बियासी के बाद खेत के समतलीकरण हेतु कोपर चला दिया जाता है।

निंदाई

बियासी के 15–20 दिनों पश्चात् धान के पौधों के बीच उगे हुए अन्य घास खरपतवार की निंदाई की जाती है, जिससे धान के पौधे पूर्ण विकसित हो सके। घुटने की ऊँचाई तक खेतों में पानी भर दिया जाता है। कार्तिक माह (अक्टूबर–नवम्बर) तक फसल पक कर तैयार हो जाती है।



खेत में धान की फसल से घास (खरपतवार) की सफाई करती सौंता महिलाएं कटाई

फसल पक जाने पर “धरती माता” एवं “लक्ष्मी माता” की नारियल, धूप, अगरबत्ती आदि के पूजा कर कटाई प्रारंभ की जाती है। इस कार्य में सगे संबंधी परस्पर एक–दूसरे का सहयोग करते हैं।

मिंजाई एवं भंडारण

कटी फसल को एक जगह सुरक्षित रखा जाता है, जिसे “कोठार” (खलिहान) कहते हैं। कोठार में “दवरी” विधि द्वारा फसल की मिंजाई की जाती है। “दवरी” विधि में 4–5 बैलों को ‘दवरी’ में बांधकर फसल पर चलाया जाता है। मिंजाई पूर्ण होने पर धान का भण्डारण “कोठी” में भरकर किया जाता है और पैरा को पशुओं

सौता जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

के चारा के रूप में पृथक कर “कोठार” के एक कोने में रखा जाता है, जिसे “पैरा गादा” कहते हैं।

कृषि की पारम्परिक पद्धति के कारण एवं मानसूनी वर्षा पर आश्रित होने के कारण इनमें धान का औसत उत्पादन लगभग 6–10 क्विंटल प्रति एकड़ होता है। धान का बाजार मूल्य प्रति किलो 10–12 रु. होता है।

तालिका क्र. 9 अनुसार सर्वेक्षित परिवारों में से सर्वाधिक 72.93 प्रतिशत परिवारों द्वारा धान का उत्पादन करना पाया गया।

(ii) कोदो-कुटकी

कोदो-कुटकी की फसल का उत्पादन प्रायः टिकरा (भांठा) जमीन पर किया जाता है। “अकरस” जुताई कर आषाढ़-सावन में इसकी बोनी कर दी जाती है। उपलब्धतानुसार गोबर खाद का छिड़काव किया जाता है। वर्षा के पानी से आश्विन माह तक फसल पककर तैयार हो जाती है। नवाखाई त्यौहार के पूर्व तक कटाई कर फसल को लकड़ी आदि से पीठकर मिंजाई की जाती है। कोदो-कुटकी का उत्पादन स्वयं की उपभोग की दृष्टि से किया जाता है, जिसे “पेज” के रूप में खाया जाता है।

तालिका क्र. 9 से स्पष्ट है कि 28.57 प्रतिशत परिवार कोदो-कुटकी का उत्पादन करते पाये गये।

(iii) ज्वार-बाजरा

ज्वार-बाजरा का उत्पादन घर के समीप बाड़ी में किया जाता है। वर्षा के प्रारंभ में बाड़ी को जोतकर गोबर खाद डाल दिया जाता है। इसके पश्चात् ज्वार-बाजरा की बीज को बुआई कर “कोपर” चला दिया जाता है। ज्वार-बाजरा की फसल भादो-आश्विन माह में पक कर तैयार हो जाता है, जिसे काटकर गुच्छे बनाकर मिंजाई करके सुरक्षित रखा जाता है। सर्वेक्षण में 08.27 प्रतिशत परिवार ज्वार-बाजरा का उत्पादन करते पाये गये।

(iv) गेहूँ

सर्वेक्षित कुछ ग्रामों में गेहूँ की फसल ली जाती है। सिंचाई हेतु पानी की व्यवस्था होने पर खेतों में धान की छोटी किस्मों या कोदो-कुटकी की फसल जल्दी कट जाने पर नवम्बर-दिसम्बर माह में गेहूँ की बोनी की जाती है। मार्च-अप्रैल माह तक फसल पक कर तैयार हो जाती है, जिसकी मिंजाई कर भण्डारण प्लास्टिक की बोरी आदि में किया जाता है।

तालिका क्र. 9 के अनुसार सर्वेक्षित 11.28 प्रतिशत परिवारों द्वारा गेहूँ का उत्पादन किया जाना पाया गया।

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय इकाई बिलासपुर (छ.ग.)

(v) दलहन (अरहर, उड़द, तिवड़ा)

अरहर एवं उड़द के लिए भरी भूमि या टिकरा भूमि उपयुक्त होती है। जून-जुलाई माह में अरहर एवं उड़द के बीज बोये जाते हैं और गोबर खाद को छिड़काव कर दिया जाता है। उड़द की फसल सितम्बर-अक्टूबर माह तक तैयार हो जाती है। जबकि अरहर की फसल दिसम्बर तक पक कर तैयार हो जाती है। पकने के पश्चात् उड़द एवं अरहर को उखाड़कर सुखा दिया जाता है। बाद में लकड़ी से पीटकर मिंजाई कर ली जाती है। तिवड़ा का उत्पादन के लिए अलग से जमीन तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए धान की बालियां आने के समय तिवड़ा के बीज को खेत में छिड़काव कर देते हैं। धान काटे जाने के समय तिवड़ा के पौधे विकसित हो जाते हैं। और फरवरी-मार्च तक फसल पककर तैयार हो जाती है, जिसे उखाड़ कर मिंजाई कर भण्डारण कर लिया जाता है। इन फसलों का उत्पादन उपभोग हेतु किया जाता है। सर्वेक्षित 31.58 प्रतिशत परिवारों द्वारा दलहन की फसल लेते पाये गये।

(vi) तिलहन (सरसों, तिल)

सरसों एवं तिल की फसल कुछ क्षेत्रों के सौंता परिवारों द्वारा ली जाती है। सरसों की फसल प्रायः बाड़ी या कृषि भूमि पर आश्विन-कार्तिक माह में बोई जाती है। जबकि तिल को खेतों की मेढ़ आदि में आषाढ़-सावन में बोनी कर दी जाती है। सरसों की फसल माघ-पूस (जनवरी-फरवरी) में पक कर तैयार हो जाती है। जबकि तिल की फसल कार्तिक-अग्रहन में तैयार हो जाती है। सरसों एवं तिल का उपयोग नगद विक्रय हेतु व स्वयं का उपभोग हेतु तेल निकालकर किया जाता है। इनका बाजार मूल्य 30-100 रु. प्रति किलो पाया गया। सर्वेक्षित 17.29 प्रतिशत परिवारों द्वारा तिलहन की खेती करते पाये गये।

(ब) वनोपज

सौंता समुदाय के आर्थिक जीवन में वन एवं वनोत्पादों का विशेष महत्व है। वनोत्पादों के संकलन एवं विपणन से जीविका चलाते हैं। संकलन का कार्य सामूहिक रूप से किशोर, युवा एवं वयस्क स्त्री-पुरुषों द्वारा किया जाता है। वनों से ईंधन, पशुओं के लिए चारा, चार-चिरौंजी, महुआ, तेन्दूपत्ता, सरई बीज, ईमली, आंवला, आम, हर्षा, बहेड़ा, कंदमूल जैसे गैठ कांदा, पीठा कांदा, सुकड़ी, पुटू, बिरनी घास, खजूर, छिंद पत्ता, बांस एवं अन्य विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी वनौषधियां आदि का संग्रहण किया जाता है, सर्वेक्षित सौंता परिवारों में वनोपज में संलग्नता को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:-

सौंता जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

तालिका क्रमांक-10

वनोपज में संलग्नता

क.	कृषि उपज (फसल)	संलग्न परिवार (133 परिवारों में से)	
		संख्या	प्रतिशत
1	महुआ	107	80.45
2	तेन्दूपत्ता	93	69.92
3	सालबीज	23	17.29
4	चिरौंजी	10	07.52
5	बांस की वस्तुएं	46	34.59
6	अन्य	19	14.29
कुल सर्वेक्षित परिवार — 133			

(1) महुआ

सौंता समुदाय में महुआ वृक्षों का धार्मिक एवं आर्थिक रूप से विशिष्ट महत्व पाया जाता है। इसकी टहनियों, पत्तों को विवाह आदि अवसरों पर पवित्र मानकर मण्डप में लगाया जाता है। वहीं इसके फल-फूल, बीज आदि से अर्थोपार्जन किया जाता है।

महुआ फूल का संग्रहण प्रायः मार्च-अप्रैल माह में व इसके फलों (डोरी) का संकलन मई-जून में किया जाता है। इस कार्य में विशेषकर, महिलाएँ एवं बच्चों की संलग्नता अधिक पायी गयी।

तालिका क्र. 10 के आधार पर सर्वेक्षित सौंता परिवारों में से 80.45 प्रतिशत परिवारों द्वारा महुआ का संग्रहण करते पाये गये। संग्रहण पश्चात् सुखाकर इसका विक्रय स्थानीय हाट-बाजार या बिचौलियों को 20-25 रु. प्रति किलों की दर पर किया जाता है।

(2) तेन्दुपत्ता

वनोपज संकलन में तेन्दुपत्ता का संग्रहण अप्रैल-मई माह में किया जाता है, जिससे इन्हें नगद राशि प्राप्त होती है। इस कार्य में महिलाओं एवं बच्चों की सहभागिता अधिक पायी जाती है। प्रातः 9-10 बजे तक

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय इकाई बिलासपुर (छ.ग.)

सौंता जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

संकलन के पश्चात् पत्तों को गिनकर बंडल बांधने का कार्य किया जाता है। तत्पश्चात् ग्राम में ही या निकट ग्राम में समिति या ठेकेदार को विक्रय कर दिया जाता है।

शासकीय दर प्रति सैकड़ा निर्धारित दर पर विक्रय किया जाता है। कुछ पत्तों का उपयोग वृद्ध पुरुषों द्वारा तम्बाकू भरकर बीड़ी बनाकर पीने में किया जाता है।

सर्वेक्षित परिवारों में से 69.92 प्रतिशत परिवारों द्वारा तेन्दूपत्ता का संग्रहण करना पाया गया।

(3) सरई बीज (साल बीज)

सरई बीज का संग्रहण कुछ परिवारों द्वारा बीजों की उपलब्धतानुसार किया जाता है। मई-जून में संकलन कर वनोपज संग्रहण केन्द्र में विक्रय किया जाता है। बिचौलियों द्वारा 4-5 रु. प्रति किलों में खरीदने के कारण ज्यादा आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से बिचौलियों को ही विक्रय किया जाता है।

तालिका क्र. 10 से स्पष्ट है कि अध्ययन किये गये परिवारों में से 17.29 प्रतिशत परिवारों द्वारा ही सरई बीज का संग्रहण किया जाता है।

(4) चिरौंजी

सर्वेक्षित सौंता परिवारों के कुछ परिवारों द्वारा चिरौंजी का संकलन भी किया जाता है। सर्वेक्षित कुछ क्षेत्रों में चार के पौधे पाये जाते हैं। चार पेड़ के फलों को तोड़कर आंगन में सुखाया जाता है। सुखने के पश्चात् “जाता” से दलकर/दरकर चिरौंजी को अलग कर दिया जाता है, जिसे साप्ताहिक बाजार या दुकानों में नगद विक्रय या वस्तु विनियम किया जाता है, जिसका बाजार मूल्य लगभग 400-800 रु. प्रति किलो पाया गया।

सर्वेक्षित सौंता परिवारों में 7.52 प्रतिशत परिवारों द्वारा चिरौंजी का संकलन करना पाया गया।

(5) बांस की वस्तुएँ

बिलासपुर, कोरबा क्षेत्र में निवासरत कुछ सौंता परिवारों द्वारा बांस की बनी वस्तुएँ जैसे- सुपा, झहुवा, टूकना, चरिहा बनायी जाती है। जंगल से प्राप्त बांस को लाकर विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ बनाकर साप्ताहिक हाट-बाजार सा स्थानीय बिचौलियों को बेचकर अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु धन/रुपये प्राप्त करते हैं।

सर्वेक्षित सौंता परिवारों में से 34.59 प्रतिशत परिवारों द्वारा बांस की वस्तुएँ बनाना पाया गया।

सौंता जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन



बांस से शिकार उपकरण (चोरिया) बनाता एक सौंता व्यक्ति



चुरकी, टुकनी, सुपा बनाने के लिए बांस से सीक तैयार करते सौंता जाति के लोग

(6) अन्य वनोपज

सौंता परिवारों द्वारा अन्य वनोपजों जैसे—तेन्दु, बेर, आम, शहद, आंवला, बबूल बीज, हर्रा—बेहड़ा, कंदमूल आदि का संग्रहण भी समय—समय पर किया जाता है जिसमे से कुछ का उपयोग वस्तु विनियम एवं नगद

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय इकाई बिलासपुर (छ.ग.)

सौँता जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

अर्थोपार्जन के लिए तो कुछ का स्वयं उपभोग हेतु किया जाता है। सर्वेक्षित परिवारों में से 14.29 प्रतिशत परिवारों द्वारा इनका संग्रहण किया जाना पाया गया।

(स) मजदूरी

सौँता जाति में कृषि भूमि की धारिता कम होने के कारण भूमिहीन परिवारों द्वारा अन्य कृषकों के खेतों में मजदूरी कार्य कर अपनी जीविका चलाते हैं। कृषि भूमि असिंचित होने के कारण मानसूनी वर्षाकाल में ही अपने खेतों में कृषि कार्य करते हैं, शेष समय वे अन्य लोगों की मजदूरी अथवा वनोपज संकलन आदि का कार्य करते हैं। मजदूरी कार्य से पुरुषों व महिलाओं को नगद मजदूरी या इसके बदले इतने मूल्य का धान (मजदूरी में) दिया जाता है।

इसके अलावा स्थानीय पंचायतों/मनरेगा अन्तर्गत शासकीय मजदूरी कार्य भी समय-समय पर किया जाता है, जिससे इन्हें शासकीय दरों पर मजदूरी मिलती है। वन विभाग द्वारा कराये गये कार्यों में भी मजदूरी करने जाते हैं।

(द) पशुपालन

सौँता समुदाय वर्तमान में कृषि, कृषि मजदूरी, वनोपज के साथ-साथ आवश्यकतानुसार पशुपालन में भी संलग्न पाये गये। पशुओं हेतु इनके घरों में पृथक से आवास होता है, जिसे “कोठा” कहा जाता है। पशुओं को वर्षाकाल में जंगल में चराना प्रतिबंधित होने के कारण हरी घास काटकर खिलाया जाता है। शेष समय में धान का पैरा आदि खिलाया जाता है। पशुओं के चराने हेतु परिवार के वृद्ध महिला/पुरुष या बच्चे वनों में जाते हैं। सौँता समुदाय गाय, बैल, भैंसा, बकरी एवं मुर्गी आदि का पालन भिन्न-भिन्न उद्देश्यों से करते हैं।

सर्वेक्षित सौँता परिवारों में पाले जाने वाले पशुओं का विवरण तालिक क्र. 11 में दर्शित अनुसार है :-

सौता जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

तालिका क्रमांक-11

पशुपालन में संलग्नता

क.	पशु	पशु संख्या	संलग्न परिवार		प्रति परिवार औसत पशु संख्या	कुल पशुधन सम्पत्ति (रु. में)	प्रति परिवार औसत पशुधन सम्पत्ति (रु. में)
			संख्या	प्रतिशत			
1	गाय	165	73	54.89	2.26	907500.00	12431.51
2	बैल	196	81	60.90	2.42	1666000.00	20567.90
3	भैंस-भैसा	13	05	03.76	2.60	162500.00	32500.00
4	बकरा / बकरी	185	54	40.60	3.43	407000.00	7537.04
5	मुर्गी-मुर्गा	362	72	54.14	5.03	54300.00	754.17
6	अन्य	—	—	—	—	—	—
कुल सर्वेक्षित परिवार — 133							

(1) गाय

सौता समुदाय में गाय पालने का कार्य कृषि कार्य हेतु बछड़े पैदा करने के लिए सामान्यतः किया जाता है, साथ ही साथ परिवार के लिए दूध की भी प्राप्ति होता है। दूध की अधिकता होने पर 15–20 रु. प्रति लीटर के हिसाब से विक्रय कर दिया जाता है।

सर्वेक्षित परिवारों में से 54.89 प्रतिशत परिवारों में गाय पालते पाया गया। इन परिवारों के पास औसतन 12431.51 रु. प्रति परिवार पशुधन सम्पत्ति पायी गई।



आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय इकाई बिलासपुर (छ.ग.)

(2) बैल

सौंता समुदाय में मुख्यतः बैलों का पालन कृषि कार्य के उद्देश्य से किया जाता है। तालिका क्र. 11 से स्पष्ट है कि कुल सर्वेक्षित परिवारों में से 60.90 प्रतिशत परिवारों के पास बैल उपलब्ध है, पशु-बाजार मूल्य के आधार पर इन परिवारों के पास औसतन 20567.90 रु. की बैल पशुधन सम्पत्ति पायी गई है।

(3) भैंस / भैंसा

सौंता समुदाय में कृषि कार्यों हेतु भैंसा का पालन किया जाता है। कृषि कार्यों हेतु बैलों की तुलना में भैंसा ज्यादा बलिष्ठ होता है। कृषि कार्यों जैसे-कोपर एवं धान ढोने हेतु गाड़ी आदि के लिए भैंसा ज्यादा उपयुक्त होता है। सर्वेक्षित परिवारों में मात्र 03.76 प्रतिशत परिवारों के पास भैंसा पाया गया। 32500.00 रु. की औसतन भैंसा पशुधन सम्पत्ति के रूप में प्रति परिवार पायी गई।

(4) बकरा / बकरी

सौंता समुदाय में बकरी पालन का उद्देश्य देवी-देवता की पूजा में बलि देना एवं सामूहिक भोज आदि के लिए किया जाता है।

तालिका क्र. 11 से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित 40.60 प्रतिशत परिवारों द्वारा बकरा / बकरी का पालन करता पाया गया। प्रति परिवार 4-5 बकरियां औसत रूप से पायी जाती है। प्रति परिवार 7537.04 रु. की औसत बकरा / बकरी सम्पत्ति पायी गई।

(5) मुर्गा / मुर्गी

इस समुदाय में मुर्गीपालन का कार्य कुल देवी-देवताओं, धार्मिक कर्मकाण्डों, जन्म, विवाह आदि विशेष अवसरों पर पुजाई (बलि) देने, अतिथि सत्कार एवं आर्थिक लाभ लेने आदि हेतु किया जाता है। इन्हें घर के बरामदे या आंगन में “गोधरा” बनाकर रखा जाता है।

सर्वेक्षित सौंता परिवारों में 54.14 प्रतिशत परिवारों द्वारा मुर्गीपालन किया जाता है। प्रति परिवार 5-6 मुर्गियां औसतन पायी गई। बाजार मूल्य के आधार पर प्रति परिवार औसतन 754.17 रु. की मुर्गी सम्पत्ति पायी गई है।

उपरोक्त के अलावा कुछ परिवारों द्वारा सुअर, बंदर, कुत्ते तथा तोता आदि भी पाले जाते हैं।

सौता जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

(इ) शिकार व मत्स्य आखेट

सौता समुदाय के वनों में निवास क्षेत्र व मांसाहारी जीवनशैली के कारण कभी-कभी समुदाय के लोगों द्वारा वन भ्रमण एवं मनोरंजन की दृष्टि से छोटे जीव-जन्तुओं, जैसे-जंगली सुअर, बरहा, पक्षी आदि का शिकार कर लिया जाता है। शासकीय तौर पर प्रतिबंध के बाद इन क्रियाकलापों को बंद कर दिया गया है।

समूहिक शिकार हेतु 4-5 सदस्यों द्वारा आपस में तिथि एवं समय निर्धारित कर लिया जाता है तथा प्रातःकाल में ही जंगल निकल पड़ते हैं। शिकार हेतु धनुष-बाण, टंगिया, फांदा आदि लेकर निकलते हैं। शिकार में जो भी मिलता है, उसका वितरण बराबर मात्रा में तैयार कर शिकार में सम्मिलित सदस्य आपस में बंटवारा करते हैं तथा जिस शिकारी द्वारा पहला वार शिकार (जन्तु जानवर) को लगता था, उसे अन्य की तुलना में थोड़ा अधिक भाग दिया जाता है। शिकार केवल पुरुष सदस्यों द्वारा ही किया जाता है।

वर्षाकाल में नदी, नालों, तालाबों व खेतों में मत्स्य आखेट किया जाता है, जिस व्यक्ति का जाल होता है, उसे एक भाग अलग से दिया जाता है। इस जाति में प्राप्त शिकार का उपयोग स्वयं के उपभोग हेतु किया जाता है। मत्स्य आखेट में महिलाओं की सहभागिता पायी जाती है।



मत्स्य आखेट करती सौता लड़कियां

(ई) शासकीय / अर्द्धशासकीय नौकरी

सौता समुदाय में बहुत ही कम लोग शासकीय या अर्द्धशासकीय नौकरी में हैं। सर्वेक्षित परिवारों में केवल 00.75 प्रतिशत परिवारों में ही नौकरी करने वाले सदस्य पाये गये हैं।

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय इकाई बिलासपुर (छ.ग.)

(फ) अन्य स्त्रोत

अन्य स्त्रोत के रूप में इस समुदाय में कला-कौशल के रूप में बांस की बनी वस्तुएं जैसे— सूपा, झहुआ, टूकना आदि का कार्य, राजमिस्त्री, निजी कंपनियों में मजदूरी करना आदि है। इससे इनको थोड़ी बहुत आर्थिक मदद प्राप्त होती है। सर्वेक्षित परिवारों में 06.77 प्रतिशत परिवार अन्य स्त्रोत से भी आर्थिक लाभ लेते पाये गये।



सौंता जनजाति परिवार ईंट बनाते हुए

सौता जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

3.5 समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय

तालिका क्रमांक-12
समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय

क.	आय के स्रोत	आय प्राप्त करने वाले परिवार		कुल आय (रु. में)	प्रति परिवार औसत आय (रु. में)
		संख्या	प्रतिशत		
1	कृषि				
2	मजदूरी	119	89.47	1753500.00	14735.29
3	वनोपज	129	96.99	2248100.00	17427.13
4	पशुधन	129	96.99	508477.00	3941.68
5	शिकार/मत्स्यखेट	14	10.53	53100.00	3792.86
6	शासकीय/अशा .	—	—	—	—
7	नौकरी	1	0.75	192000.00	192000.00
	अन्य	62	46.62	358800.00	5787.10
योग				5113977.00	38450.95
कुल सर्वेक्षित परिवार – 133					

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित सौता परिवारों को समस्त स्रोतों से प्रति परिवार औसत वार्षिक आय 38450.95 रु. प्राप्त हुई, जिसमें शासकीय सेवा में कार्यरत व्यक्तियों की औसत वार्षिक आय (192000.00 रु.) को छोड़कर, सर्वाधिक 96.99—96.99 प्रतिशत परिवारों को मजदूरी से जिसका औसत वार्षिक आय 17427.13 रु. व वनोपज संकलन से औसत प्रति परिवार 3941.68 रु. वार्षिक आय, 89.47 प्रतिशत परिवारों को कृषि से 14735.29 रु. की औसत वार्षिक आय, पशुधन विक्रय से 10.53 प्रतिशत परिवारों को 3792.86 रु. की औसत वार्षिक आय एवं अन्य स्रोतों से 46.62 प्रतिशत परिवारों को 5787.10 रु. की औसत वार्षिक आय प्राप्त होना पाया गया।

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय इकाई बिलासपुर (छ.ग.)

सौंता जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

शासकीय तथा अर्द्धशासकीय सेवा में संलग्न केवल 01 परिवार 0.75 प्रतिशत परिवार के सदस्यों को 192000.00 रु. की औसत वार्षिक आय प्राप्त होना पाया गया।

3.6 कुल वार्षिक आय में समस्त मदों की सहभागिता

तालिका क्रमांक-13

कुल वार्षिक आय में समस्त स्रोतों की सहभागिता

क्र.	आय क स्रोत	कुल आय (रु. में)	कुल आय से प्रतिशत
1	कृषि	1753500.00	34.29
2	मजदूरी	2248100.00	43.96
3	वनोपज	508477.00	09.94
4	पशुधन	53100.00	1.04
5	शिकार/मत्स्यखेट	—	—
6	शासकीय/अशा. नौकरी	192000.00	3.75
7	अन्य	358800.00	7.02
कुल योग		5113977.00	100.00

तालिका से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित सौंता परिवारों की कुल वार्षिक आय में सर्वाधिक सहभागिता 43.96 प्रतिशत मजदूरी से, 34.29 प्रतिशत सहभागिता कृषि उपज से, 09.94 प्रतिशत सहभागिता वनोपज संकलन एवं विक्रय से, 03.75 प्रतिशत सहभागिता शासकीय सेवा की पायी गई। जबकि पशुधन विक्रय की सहभागिता क्रमशः 01.04 प्रतिशत मात्र है वहीं अन्य स्रोतों की सहभागिता 07.02 प्रतिशत पायी गई।

3.7 कुल वार्षिक आय की वितरण

सर्वेक्षित सौंता परिवारों में कुल वार्षिक आय का वितरण को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है :-

सौता जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

तालिका क्रमांक-14

वार्षिक आय अनुसार परिवारों का वर्गीकरण

क.	आय समूह (रूपए में)	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	0 से 10000	—	—
2	10001 — 20000	2	1.50
3	20001 — 30000	24	18.05
4	30001 — 40000	64	48.12
5	40001 — 50000	33	24.81
6	50000 रु. से अधिक	10	07.52
योग		133	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित सौता परिवारों में से 48.12 प्रतिशत परिवारों की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 30001 रु. से 40000 रु. के बीच रही, 24.81 प्रतिशत परिवारों की वार्षिक आय 40001—50000 रु. के मध्य पायी गई। जबकि 07.52 प्रतिशत परिवारों की ही आय 50000 रु. से अधिक की वार्षिक आय पायी गई। सर्वेक्षित परिवारों में 1.50 प्रतिशत परिवारों की कुल वार्षिक आय 10001—20000 रु. है।

सर्वेक्षित सौता परिवारों की समस्त स्त्रोतों से औसतन प्रति परिवार वार्षिक आय 38450.95 रु. पायी गई। सर्वेक्षित सौता परिवार में किसी परिवार की न्यूनतम वार्षिक आय 18450 रु. व अधिकतम 218000 रु. की वार्षिक आय पायी गई।

3.8 व्यय

सौता समुदाय द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न मदों में व्यय किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से भोजन, धार्मिक कर्मकाण्ड, सामाजिक कार्यों जैसे— जन्म, विवाह, मृत्यु, आवास, कपड़े, शिक्षा व अन्य व्यय जैसे— स्वास्थ्य, साप्ताहिक हाट—बाजार, मादक पेय पदार्थ, तम्बाकू, गुड़ाखू, आदि में किया जाता है। सर्वेक्षित परिवारों द्वारा व्यय मदों की विस्तृत जानकारी निम्न तालिका में दर्शाये अनुसार हैं :—

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय इकाई बिलासपुर (छ.ग.)

सौता जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

तालिका क्रमांक-15
वार्षिक खर्च में सहभागिता

क्र.	मद	परिवार		वार्षिक व्यय (रु. में)	प्रति परिवार औसत व्यय रु. में
		संख्या	प्रतिशत		
1	भोजन				
2	मकान	133	100.00	1746000.00	13127.82
3	कपड़े	128	96.24	300000.00	2343.75
4	शिक्षा	133	100.00	701500.00	5274.44
5	जन्म	38	28.57	109500.00	2881.58
6	विवाह	19	14.29	169000.00	8894.74
7	मृत्यु	7	5.26	179500.00	25642.86
8	धार्मिक कार्य	7	5.26	79000.00	11285.71
9	आभूषण	131	98.50	210500.00	1606.87
10	चिकित्सा	50	37.59	237000.00	4740.00
11	मद्यपान	133	100.00	509000.00	3827.07
12	अन्य आकस्मिक	131	98.50	361500.00	2759.54
	खर्च	4	3.01	17000.00	4250.00
कुल सर्वेक्षित परिवार - 133				4619500.00	34733.08

उपरोक्त तालिका अनुसार सर्वेक्षित सौता परिवारों का समस्त मदों में प्रति परिवार औसत वार्षिक व्यय 34733.08 रु. पाया गया, जिसमें प्रति परिवार औसत रूप से भोजन संबंधी व्यय 13127.82 रु., आवास निर्माण एवं मरम्मत आदि में 96.24 प्रतिशत परिवारों द्वारा औसतन 2343.75 रु., कपड़े आदि के लिए प्रति परिवार औसत रूप से 5274.44 रु वार्षिक व्यय करते पाये गये हैं। शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मद पर मात्र 28.57 प्रतिशत

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय इकाई बिलासपुर (छ.ग.)

सौता जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

परिवारों द्वारा औसत रूप से 2881.58 रु. वार्षिक व्यय करना पाया गया। सामाजिक कार्य जैसे जन्म संस्कार में 14.29 प्रतिशत परिवारों द्वारा औसत व्यय 8894.74 रु., विवाह के लिए 05.26 प्रतिशत परिवारों द्वारा औसत व्यय 25642.86 रु. एवं मृत्यु संस्कार में 05.26 प्रतिशत परिवारों द्वारा औसत व्यय 11285.71 रु वार्षिक व्यय करना पाया गया। धार्मिक कर्मकाण्ड (त्यौहार, पूजापाठ, भोज आदि) में 98.50 प्रतिशत परिवारों द्वारा औसत व्यय 1606.87 रु. करना पाया गया। सर्वेक्षित परिवारों में आभूषण के लिए 37.59 प्रतिशत परिवारों द्वारा औसत रूप से 4740 रु वार्षिक व्यय, चिकित्सा में 100.00 प्रतिशत परिवारों द्वारा औसत रूप से 3827.07 रु वार्षिक व्यय एवं मादक पेय पदार्थ के लिए 98.50 प्रतिशत परिवारों द्वारा औसत रूप से 2759.54 रु वार्षिक व्यय करते पाये गये हैं वहीं अन्य मदों विशेषकर साग-भाजी, राशन आदि सामग्रियों पर 3.01 प्रतिशत परिवारों द्वारा औसत रूप से 4250 रु. वार्षिक व्यय करना पाया गया।

3.9 कुल वार्षिक व्यय में विभिन्न मदों की सहभागिता

तालिका क्रमांक-16
वार्षिक खर्च में सहभागिता

क्र.	व्यय मद	वार्षिक खर्च	
		रूपये	प्रतिशत
1	भोजन		
2	मकान	1746000.00	37.80
3	कपड़े	300000.00	6.49
4	शिक्षा	701500.00	15.19
5	जन्म	109500.00	2.37
6	विवाह	169000.00	3.66
7	मृत्यु	179500.00	3.89
8	धार्मिक कार्य	79000.00	1.71

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय इकाई बिलासपुर (छ.ग.)

सौंता जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

9	आभूषण	210500.00	4.56
10	चिकित्सा	237000.00	5.13
11	मद्यपान	509000.00	11.02
12	अन्य आकस्मिक खर्च	361500.00	7.83
		17000.00	0.37
	योग	4619500.00	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित सौंता परिवारों द्वारा समस्त मदों में किये गये कुल वार्षिक व्यय में सर्वाधिक 37.80 प्रतिशत भाग भोज्य पदार्थों पर किया जाता है। मकान पर 06.49 प्रतिशत भाग, कपड़े पर 15.19 प्रतिशत भाग, सामाजिक कार्यों (जन्म, विवाह एवं मृत्यु) पर 9.26 प्रतिशत भाग व धार्मिक कर्मकाण्डों पर 04.56 प्रतिशत भाग व्यय किया जाता है। आभूषण पर कुल वार्षिक व्यय का 05.13 प्रतिशत भाग एवं मद्यपान पर 07.83 प्रतिशत भाग व्यय करते पाये गये हैं। जबकि शिक्षा एवं चिकित्सा जैसे महत्वपूर्ण मदों पर क्रमशः 02.37 प्रतिशत एवं 11.02 प्रतिशत भाग ही व्यय करना पाया गया।

3.10 कुल वार्षिक व्यय का वितरण

तालिका क्रमांक-17
वार्षिक खर्च का वर्गीकरण

क.	व्यय खर्च (रुपयों में)	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	0 से 10000	—	—
2	10001 — 20000	6	4.51
3	20001 — 30000	47	35.34
4	30001 — 40000	54	40.60
5	40001 — 50000	17	12.78
6	50000 से अधिक	9	06.77
	योग	133	100

सौँता जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

उपरोक्त तालिका अनुसार सर्वेक्षित सौँता परिवारों में से सर्वाधिक 40.60 प्रतिशत परिवारों का समस्त मदों में वार्षिक व्यय 30001-40000 रु. तक, 35.34 प्रतिशत परिवारों का 20001-30000 रु., 4.51 प्रतिशत परिवारों का वार्षिक व्यय 10001-20000 रु., 12.78 प्रतिशत परिवारों का वार्षिक व्यय 40001-50000 रु. तक पाया गया। सर्वेक्षण में 06.77 प्रतिशत परिवार ऐसे भी पाये गये जिनका वार्षिक व्यय 50000 रु. से अधिक पाया गया। कुल सर्वेक्षित परिवारों का समस्त मदों में औसत वार्षिक व्यय 34733.08 रु. पाया गया।

3.11 ऋण की स्थिति

सौँता समुदाय की अर्थव्यवस्था कृषि, कृषि-मजदूरी, वनोपज आदि पर आधारित होता है। कृषि का परम्परागत साधन, एक फसल एवं मानसूनी वर्षा पर आश्रित होने के कारण इनमें ऋण ग्रस्तता पायी गई। इनके समस्त स्रोतों से इतनी आय प्राप्त नहीं होती है कि वे अपने परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। वहीं दूसरी ओर सामाजिक, धार्मिक कार्य के लिए आकस्मिक व्यय हेतु ऋण पर निर्भर रहना पड़ता है। सर्वेक्षित परिवारों में ऋण की स्थिति निम्नानुसार पायी गयी :-

तालिका क्रमांक-18

ऋण की स्थिति

क.	ऋण की स्थिति	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	ऋणग्रस्त	10	07.52
2	ऋणविहीन	123	92.48
कुल योग		133	100.00

इस प्रकार सर्वेक्षित सौँता परिवारों में से 07.52 प्रतिशत परिवार ऋण ग्रस्त पाये गये। जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न स्रोतों से ऋण लिये हुए हैं।

3.12 ऋण का उद्देश्य एवं स्रोत

तालिका क्रमांक-19

ऋण का उद्देश्य व स्रोत

क.	श्रेणी	ऋण का उद्देश्य					ऋण का स्रोत			
		कृषि कार्य	स्वास्थ्य	सामाजिक	अन्य	योग	साहूकार	शा. संस्थान	रिश्तेदार	योग
1	संख्या	6	1	2	1	10	3	4	3	10
2	प्रतिशत	60.00	10.00	20.00	10.00	100.00	30.00	40.00	30.00	100.00

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि ऋणग्रस्त परिवारों में से सर्वाधिक 60.00 प्रतिशत परिवारों ने कृषि कार्यो जैसे— खाद, बीज, बैल आदि हेतु ऋण लेना पाया गया, 10.00 प्रतिशत परिवारों द्वारा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं हेतु ऋण लेना पाया गया, 20.00 प्रतिशत परिवारों द्वारा सामाजिक कार्यो की पूर्ति हेतु एवं 10.00 प्रतिशत परिवारों ने अन्य आवश्यक कार्यो, जैसे—वाहन, गृह निर्माण आदि के लिये ऋण लेना पाया गया है।

सर्वेक्षित सौता परिवारों में ऋण ग्रस्त परिवारों में से 30.00 प्रतिशत परिवारों ने स्थानीय साहूकारों से निजीतौर पर ऋण लिया गया है। 40.00 प्रतिशत परिवारों ने शासकीय संस्थाओं जैसे—ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक आदि से तथा शेष 30.00 प्रतिशत परिवारों द्वारा अपने घनिष्ठ रिश्तेदारों या मित्रों से ऋण लिया गया है।

3.13 श्रम विभाजन

सौता समुदाय में दैनिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक कार्यो में सभी सदस्यों की भूमिकाएं तय होती हैं तथा इनमें काम का विभाजन कर दिया जाता है। परिवारों में निम्नानुसार श्रम विभाजन पाया गया :—

(अ) पुरुष वर्ग में श्रम विभाजन

(1) बच्चे

सौता समुदाय में बच्चे प्रायः पशु चराने, वनोपज संकलन एवं घर में अपने छोटे भाई—बहनों की देखरेख आदि करते हैं।

(2) युवा पुरुष

युवा पुरुष घर के प्रमुख कार्यो जैसे घर निर्माण, छत छाना, पशु चराना, पशुओं को चारा देना, साफ-सफाई करना, हल चलाना, मजदूरी, मिंजाई, भण्डारण शिकार आदि कार्यो में संलग्न रहते हैं। साथ ही साथ धार्मिक कार्य का सम्पादन करते हैं।

(3) वृद्ध पुरुष

सौता समुदाय में वृद्धजनों को पशु चराना, बच्चों की देखरेख, आर्थिक कार्यो में बीज डालना, शिकार आदि धार्मिक कार्यो में पूजापाठ, बलि देना एवं राजनैतिक कार्यो में संलग्न रहते हैं।

(ब) महिला वर्ग में श्रम विभाजन

(1) लड़किया

इस समुदाय की लड़कियाँ घरेलू दैनिक कार्यो जैसे—झाड़ू लगाना, पानी भरना, भोजन पकाना, कपड़े धोना, पशु चराना, वनोपज संकलन एवं छोटे भाई बहनों के देखरेख करने में अपना योगदान देती है।

(2) महिलायें

सौता महिलायें हल चलाने, छत छाने, शिकार करने, बलि देने, कर्मकाण्ड करने एवं राजनैतिक कार्य को छोड़कर सभी दैनिक घरेलू कार्यो, आर्थिक कार्यो में सहभागिता करती है।

(3) वृद्ध महिलायें

वृद्ध महिलायें प्रायः घरेलू कार्यो जैसे – झाड़ू, लिपाई, पशुओं को चराना, पशुओं को चारा देना, कोठा की साफ-सफाई, धान कुटाई, निंदाई एवं बच्चों की देखरेख आदि कार्यो में अपना सहयोग देती है।

3.14 बाजार व्यवस्था

सौता समुदाय में साप्ताहिक हाट-बाजार का विशेष महत्व है। स्थानीय सौता परिवार के लोगों द्वारा अपनी दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं का क्रय या विक्रय नगद या वस्तु-विनिमय के माध्यम से किया जाता है। वस्तु विनिमय द्वारा आवश्यक दैनिक सामग्रियों जैसे— नमक, तेल, मिर्च, हल्दी, धनिया, लेहसुन, प्याज, गुड़, चाय, शक्कर आदि विनिमय में किया जाता है, जबकि नगद में टमाटर, भाटा, साग-भाजी आदि क्रय किया जाता है।

सौता जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

बुर्जुग व्यक्ति या महिलाएँ दैनिक सामग्रियाँ, तम्बाकू, बीड़ी, कपड़े, साफ करने के सोडा एवं महिलाएँ सौन्दर्य सामग्री आदि खरीदती हैं। साथ ही बाजार से शिकार एवं मादक पेय पदार्थ आदि का क्रय भी किया जाता है।

साप्ताहिक हाट-बाजार में आस-पास के गांव के सगे संबंधी परस्पर मेल-जोल, सुख-दुख का आदान-प्रदान किया जाता है। बाजार संदेश एवं निमंत्रण देने का एक सशक्त माध्यम भी होता है।

नाप-तोल की मानक सामग्री

सौता समुदाय के लोग वनोत्पादों, कृषि ऊपजों, दैनिक उपभोग की वस्तुओं का क्रय या विक्रय करने अपनी स्वयं की एक नापतौल मानक प्रणाली का उपयोग करते पाये गये, जो निम्नलिखित है :-

स्थानीय मानक नाप तौल प्रणाली	संबंधी/वस्तु	मात्रा
कोस	दूरी	3 किमी
जुड़ी	साग-भाजी, मुनगा	250 ग्राम, 500 ग्राम
सेर	सब्जी, फल आदि	लगभग 3 किलो
आधा सेर	सब्जी, फल आदि	1.5 किलो लगभग
खण्डी	धान, मुंगफली, महुआ आदि	20 किलो लगभग
एक बौगा	धान/महुआ	30 किलो लगभग
एक गांडा	धान/महुआ	1 बौगा = 1.5 खण्डी
एक चुण्डी	धान/महुआ	20 बोरी
एक भाग	मछली	100 ग्राम लगभग
	साग-भाजी	250 ग्राम लगभग

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय इकाई बिलासपुर (छ.ग.)

अध्याय —4

सामाजिक संरचना

किसी समुदाय द्वारा समूह निर्माण के विभिन्न तरीके संयुक्त रूप से सामाजिक संरचना के जटिल प्रतिमान का निर्माण करते हैं। सामाजिक संरचना के विश्लेषण में सामाजिक प्राणियों की विविध प्रकार की मनोवृत्तियों तथा रुचियों के कार्यों को प्रकट करते हैं अथवा जो सामाजिक संबंध बार-बार दोहराये जाते हैं और तुलनात्मक रूप से स्थायी होते हैं वे समाज की संरचना का निर्माण करते हैं। इसमें जाति, गोत्र, नातेदारी प्रयायें राजनैतिक तथा आर्थिक व्यवस्था आदि सम्मिलित होते हैं। सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत स्थायी प्रकृति की होती है जिसमें परिवर्तन अत्यंत धीमी गति से होता है।

4.1 जाति

जाति व्यवस्था प्राचीन काल से ही भारतीय सामाजिक व्यवस्था एवं संगठन की प्रमुख विशेषता रही है। जाति समाज का खण्डात्मक विभाजन है। जिसकी सदस्यता जन्म के आधार पर निर्धारित हो जाती है तथा अंतर्विवाही समूह होता है। एक जाति के सदस्य विवाह, भोजन, व्यवस्था तथा सामाजिक सहवास संबंधी नियमों का पालन करते हैं। जाति अपने सदस्यों को एक विशेष सामाजिक प्रस्थिति प्रदान करती है जिसमें आजीवन परिवर्तन नहीं किया जा सकता। विभिन्न जातियों में जातिगत विशिष्टता के आधार पर उच्चता एवं निम्नता संबंधी सामाजिक दूरी पायी जाती है।

सौता जनजाति अपने आप में एक पृथक जाति समुदाय हैं जिसकी अपनी अलग जाति व्यवस्था है जो सामाजिक स्तरीकरण में ब्राम्हण, क्षत्रीय व वैश्व जातियों से अपने को निम्न मानते हैं किन्तु शुद्र वर्ण की जातियों से स्वयं को उपर मानते हैं। वही आसपास निवास करने वाली अन्य जनजातीय समुदायों को समानता की दृष्टि से देखते हैं। यह समुदाय उच्च जातियों के प्रति आदर भाव रखते हुए आदिवासी समुदाय की जातियों—गोड, कंवर, सवरा, बिंझवार आदि जातियों के प्रति बंधुत्व भाव रखते हैं। सौता जनजाति में स्वजातीय सदस्यों के प्रति एकता, बंधुता, आत्मीयता एवं संगठन की भावना होती है।

4.2 उपजाति

सौता जनजाति की कोई उपजाति नहीं पायी जाती है। लेकिन व्यवसायगत एवं आर्थिक आधार पर सौता समुदाय को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है।

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय इकाई बिलासपुर (छ.ग.)

सौंता जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

(1) **सौंता किसान** — सौंता जनजाति का वह भाग जिनके पास कृषि भूमि उपलब्ध है और अपनी जीविकोपार्जन हेतु कृषि कार्यों में संलग्न है वे सौंता किसान कहलाते हैं।

(2) **सौंता वनवासी** — सौंता जनजाति समुदाय का वह समूह जिनके पास कृषि भूमि उपलब्ध नहीं है और वे अपना जीविकोपार्जन वनोपज संकलन एवं बांस से बनायी गई वस्तुएं (जैसे—सूपा, टूकना, चरिहा, बौबा आदि) बेचकर अर्जित धन पर आधारित होता है सौंता वनवासी कहलाते हैं।

उपरोक्त दोनों उपजातियों में अंतर का आधार मात्र आर्थिक एवं वर्तमान व्यवसायिक आधार ही है। सामाजिक रूप से इनके गोत्र एक समान पाया जाता है तथा इन दोनों की उपजातियों में परस्पर खानपान एवं वैवाहिक संबंध पाया जाता है।



सौंता जनजाति के लोग

4.3 वंश—समूह

सौंता समुदाय पितृवंशीय वंश समूह व्यवस्था वाला समुदाय है इनके सामाजिक जीवन और संगठन का महत्वपूर्ण आधार वंश समूह होता है। डॉ. मुखर्जी के अनुसार “वंश समूह एक सामान्य ऐतिहासिक और वास्तविक पूर्वजों से संबंधित समस्त रक्त संबंधी वंशजों का समूह होता है। पितृवंशीय वंश समूह व्यवस्था के कारण इसमें पुरुष उसके भाई और उसकी संताने ही आती है जबकि उनकी बहन या उनके बच्चे उस वंश से बाहर चले जाते हैं।

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय इकाई बिलासपुर (छ.ग.)

सौंता जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

गोत्र एवं गोत्र चिन्ह

गोत्र एकाधिक वंशों का समूह होता है जो पिता पक्ष के समस्त रक्त संबंधियों से मिलकर बनता है। इस समुदाय के गोत्र पेड़-पौधा, जानवर एवं पक्षियों आदि पर आधारित होते हैं जो व्यक्ति जिस गोत्र का सदस्य होता है वह न तो जीव को मारता है और न ही उसको मिटाने की कोशिश करता है। बल्कि उसकी रक्षा करता है और उसको सम्मान की दृष्टि से देखता है। बल्कि उसकी रक्षा करता है और उसको सम्मान की दृष्टि से देखता है। प्रत्येक गोत्र के सदस्य अपनी उत्पत्ति एक कल्पित पूर्वज से मानते हैं जिसे टोटम या गोत्र-चिन्ह कहा जाता है।

इस समुदाय में धुर्वे, मरई, मरकाम, मरावी, मोहलिया, चिरहैया, पोर्ते, सघरिया, सोनवानी, छेदइया, तेलाशी, नंगबशिया, लवदरिया आदि गोत्र पाये जाते हैं। सर्वेक्षित सौंता समुदाय में पाये गये गोत्र का विवरण निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है :-

तालिका क्रमांक-20
सर्वेक्षित परिवारों में गोत्र विवरण

क.	गोत्र का नाम	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	धुर्वे	14	10.53
2	मरई	02	1.50
3	मरकाम	27	20.30
4	मरावी	10	7.52
5	मोहलिया	4	3.01
6	सिरहटिया	1	0.75
7	पोर्ते	8	6.02
8	सगरिहा	6	4.51
9	सोनवानी	19	14.29
10	छेदइया	25	18.80
11	तेलासी	07	5.26
12	नागवंशिया	9	6.77
13	लौदरिया	1	0.75
	कुल योग	133	100.00

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय इकाई बिलासपुर (छ.ग.)

सौता जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

उपरोक्त तालिका क्रमांक 20 से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित परिवारों में सर्वाधिक 20.30 प्रतिशत मरकाम गोत्र पाये गये हैं। इसके बाद 18.80 प्रतिशत छेदइया गोत्र के, 14.29 प्रतिशत परिवार सोनवानी गोत्र, 10.53 प्रतिशत परिवार धुर्वे गोत्र, 07.52 प्रतिशत परिवार मरावी गोत्र, 6.77 प्रतिशत परिवार नागवंशिया गोत्र, 6.02 प्रतिशत परिवार पोर्ते गोत्र, 05.26 प्रतिशत परिवार तेलासी गोत्र, 04.51 प्रतिशत परिवार सगरिहा गोत्र, 03.01 प्रतिशत परिवार मोहलिया गोत्र एवं सबसे कम 0.75 प्रतिशत परिवार सिरहटिया व लौदरिया गोत्र के पाये गये।

सौता समुदाय गोत्र बहिर्विवाही व्यवस्था वाला समाज है एक ही गोत्र के सभी सदस्य आपस में बंधुत्व का भाव रखते हैं, वहीं एक गोत्र का विवाह संबंध अन्य गोत्रों के साथ समाज द्वारा मान्यता प्राप्त है।

4.4 नातेदारी

1. नातेदारी के प्रकार

इस समुदाय में नातेदारी के दो प्रकार पाये जाते हैं।

(अ) रक्त संबंधी नातेदारी

इस प्रकार की नातेदारी के अंतर्गत ऐसे संबंधी जो समान रक्त के आधार पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जैसे— माता—पिता एवं उनकी संतान या दो भाईयों या दो भाई—बहन के बीच का संबंध रक्त संबंधों पर आधारित होता है।

(ब) विवाह संबंधी नातेदारी

इस प्रकार की नातेदारी के अंतर्गत न केवल विवाह संबंध द्वारा आबद्ध पति—पत्नी आते हैं बल्कि इन दोनों परिवारों के अन्य संबंधी भी आ जाते हैं जैसे पति—पत्नी, पति के माता—पिता, भाई—बहन, पत्नी के माता—पिता, भाई—बहन आदि जो विवाह संबंधों के दोनों पक्षों पर आधारित हैं।

सौता जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

नातेदारी-संबंध एवं संबोधन

क्र.	संबंध	नातेदारी शब्द	संबोधन
1.	पिता	बाप	ददा
2.	माता	मां	दाई
3.	बड़ा भाई	भाई	दादा
4.	बड़ी बहन	बहिन	दादी
5.	छोटा भाई	अनुज	नाम से
6.	छोटी बहन	बहिन	नाम से
7.	पिता के बड़े भाई	ताऊ	बड़े ददा
8.	पिता के छोटे भाई	काका	कका
9.	पिता के छोटे-बड़े भाई की पत्नी	ताई/काकी	काकी/ताई
10.	पिता की बड़ी बहन	बुआ	फूफू
11.	पिता की बड़ी बहन का पति	फूफा	मामा
12.	पिता का पिता	दादा	बबा
13.	पिता की माता	दादी	दयी
14.	माता के पिता	नाना	नना
15.	माता की माता	नानी	ननी
16.	माता की भाई	मामा	ममा
17.	माता के भाई की पत्नी	मामी	मामी
18.	माता की बहन	मौसी	मोसी
19.	माता की बहन का पति	मौसा	मोसा
20.	पत्नी	पत्नी	डौकी
21.	पत्नी के पिता	ससूर	बाबूजी
22.	पत्नी की माता	सास	माँ
23.	पत्नी की बहन	साली	सारी
24.	पत्नी का भाई	साला	सारा

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय इकाई बिलासपुर (छ.ग.)

2. नातेदारी की रीतियाँ

सौता समुदाय में नातेदारी व्यवस्था के अंतर्गत दो संबंधियों के बीच के संबंध व व्यवहार को प्रदर्शित करता है जिसकी कुछ नियम या रीतियाँ समाज में प्रचलित हैं।

(अ) परिहार

‘परिहार’ का शाब्दिक अर्थ है कि कुछ ऐसे संबंध या रिश्ते हैं जो दो व्यक्तियों के बीच एक निश्चित संबंध तो प्रदर्शित करते हैं किन्तु वे सामाजिक रूप से एक दूसरे से दूरी बनाये रखते हैं तथा पारस्परिक अन्तःक्रिया में यथा संभव प्रत्यक्ष भाग नहीं लेते। इस प्रकार की नातेदारी की रीतियाँ सौता समुदाय में भी पायी जाती हैं जिसमें कुछ विशेष संबंधियों के बीच परस्पर नियंत्रण रखा जाता है।

सास	—	दामाद
ससुर	—	बहु
जेठ	—	बहु (छोटे भाई की पत्नी)
मामी	—	भांजा
काकी	—	भतीजा
काका	—	भतीजी
दामाद	—	डेढ़सास

(ब) परिहास या निकटागमन

सौता समुदाय में परिहास संबंध को मजाकी संबंध भी कहते हैं। यह संबंध आपसी रिश्तों को निकटता तथा मजबूती प्रदान करने हेतु पाये जाते हैं। इस प्रकार के संबंध को सामाजिक मान्यता प्राप्त है ऐसे संबंधियों में निम्नानुसार रिश्ते मान्य हैं —

देवर	—	भाभी
जीजा	—	साला, साली
संमंधी	—	समधन
नाना—नानी	—	नाती, नातिन
दादा—दादी	—	पोता, पोती

सौता जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

(स) माध्यमिक सम्बोधन

सौता समुदाय में कुछ संबंधियों द्वारा परस्पर संबोधन हेतु किसी माध्यम जैसे—बच्चे, ग्राम आदि का सहारा लेकर संबोधित किया जाता है। इस प्रकार के माध्यमिक संबोधन पति—पत्नी, भाई—बहु, दामाद—सास, ससुर द्वारा उपयोग किया जाता है जैसे पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेती उसे जब अपने पति को बुलाना हो तो वह अपने पुत्र या अन्य संबंधी का सहारा लेती है जैसे—बुधारू के पिता यहां आओं।

वर्तमान में माध्यमिक संबोधन का प्रचलन कम हो रहा है। पति पत्नी को नाम से संबोधित करने लगे हैं। पत्नी शासकीय तथा आवश्यक कार्य पढ़ने पर पति का नाम लेने लगी है।

4.5 परिवार

परिवार सामाजिक संगठन की प्रारंभिक एवं मौलिक इकाई होती है, जो प्राणीशास्त्रीय संबंधों पर बने समूहों में एक छोटी एवं महत्वपूर्ण संगठन है। परिवार मानव विकास के प्रत्येक चरण में विद्यमान रहा है, जिसके अभाव में मानव समाज की कल्पना करना भी निरर्थक है। प्रत्येक समाज में सामाजिक संस्था के रूप में परिवार के स्वरूप एवं प्रकारों में भिन्नता दिखलायी पड़ती है, लेकिन संस्कृति के प्रत्येक स्तर में चाहे वह आदिम समाज हो अथवा आधुनिक किसी न किसी रूप में परिवार का अस्तित्व अवश्य पाया जाता है।

मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास, समाजीकरण एवं संस्कृतिकरण परिवार से ही प्रारंभ होता है। परिवार में दो या अधिक पीढ़ियों के सदस्य निवास करते हैं। सौता समुदाय में परिवारों में वरिष्ठ पुरुष मुखिया होते हैं। पारिवारिक जीवन का संचालन, निर्णय आदि मुखिया द्वारा किया जाता है।

(क) परिवार प्रकार

सर्वेक्षित सौता समुदाय में परिवार निम्न प्रकार के पाये गये :—

तालिका क्रमांक—21

परिवार का स्वरूप

क्र.	प्रकार	संख्या	प्रतिशत
1	एकल परिवार	74	55.64
2	संयुक्त परिवार	48	36.09
3	विस्तृत परिवार	11	08.27
योग		133	100.00

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय इकाई बिलासपुर (छ.ग.)

सौँता जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

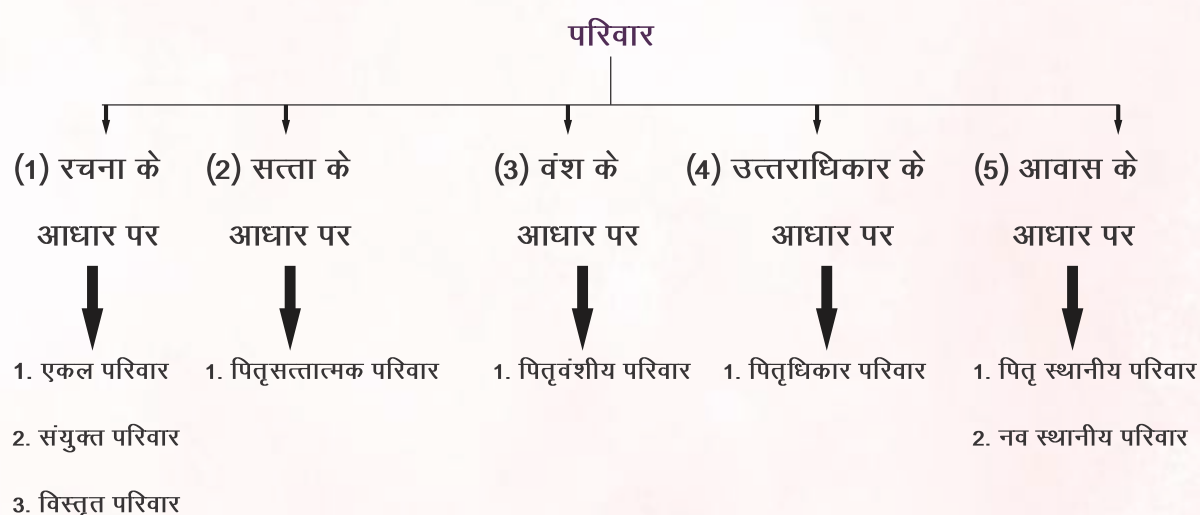
उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, कि सर्वेक्षित सौँता परिवारों में से सर्वाधिक 55.64 प्रतिशत परिवार एकल परिवार पाये गये जबकि 36.09 प्रतिशत संयुक्त परिवार एवं 08.27 प्रतिशत विस्तृत परिवार पाये गये।

सौँता समुदाय में संयुक्त परिवार, युवा सदस्यों के विवाह पश्चात् एकल परिवार में विघटित हो जाता है।

(ख) परिवार का वर्गीकरण

सौँता समुदाय में पाये जाने वाले परिवार के स्वरूप का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है :—

सौँता परिवार का वर्गीकरण



उपर्युक्त वर्गीकरण से सौँता परिवारों की रचना में एकल संयुक्त तथा बड़े परिवार पाये जाते हैं। परिवारों की सत्ता (मुखिया) पुरुष वर्ग के पास होती है अर्थात् पितृ सत्तात्मक परिवार है। इस समुदाय के परिवारों में वंश पुरुष के नाम पर चलता है अर्थात् पितृ वंशीय परिवार है तथा इन परिवारों में सम्पत्ति एवं सत्ता एवं हस्तांतरण पिता से पुत्र को प्राप्त होता है। अतः यह समुदाय पितृधिकार परिवार वाला समुदाय है। आवास के आधार पर पितृ-स्थानीय एवं नवस्थानीय परिवार पाये जाते हैं। सौँता दम्पति विवाह पश्चात् वर के पिता के आवास पर अथवा नये आवास में निवास करते हैं।

सौंता जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

(ग) धर्म

सौंता समुदाय धर्म विशेष पर आस्था रखता है। इनमें धर्म की प्रकृति में आत्मा / पूर्वजों की पूजा मुख्य रूप से पायी गई।

(घ) परिवार आकार

सर्वेक्षित सौंता समुदाय में परिवारों का आकार निम्नानुसार पाया गया :—

तालिका क्रमांक-22

परिवार आकार

क्र.	परिवार की सदस्य संख्या	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	01	3	2.26
2	02	25	18.80
3	03	23	17.29
4	04	23	17.29
5	05	27	20.30
6	06	16	12.03
7	07	5	3.76
8	08	5	3.76
9	08 से अधिक	6	4.51
	योग	133	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि अध्ययन किये गये सौंता परिवारों सर्वाधिक 20.30 प्रतिशत परिवारों में 05 सदस्य पाये गये। 18.80 प्रतिशत परिवारों में 02 सदस्य पाये गये। 17.29 प्रतिशत परिवारों 03 एवं 04 संख्या वाले परिवार पाये गये। 12.03 प्रतिशत परिवारों में 06 सदस्य संख्या वाले परिवार पाये गये। 4.51 प्रतिशत परिवार ऐसे भी पाये गये जहाँ की संख्या 8 से अधिक है। जबकि 2.26 प्रतिशत परिवार ऐसे भी हैं जिनमें केवल एकल सदस्य (विधवा/विधुर/परितृक्ता) पाये गये।

(ड) पारिवारिक संबंध

सौँता समुदाय में परिवार के सभी सदस्य आपसी सामंजस्य तथा तालमेल के साथ रहते हैं इन सदस्यों को उनके संबंधों के आधार पर निम्नानुसार दर्शाया जा सकता है :-

(1) माता—पिता

बच्चे के जन्म को परिवार की पूर्णता माना जाता है बच्चे के जन्म पश्चात् माता—पिता बच्चे की देखभाल, पालन—पोषण, दैनिक कार्यों के साथ—साथ जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों की औपचारिक शिक्षा प्रदान करते हैं। बाल्यावस्था से माता—पिता संतान को परिवार एवं समाज के अनुरूप विकसित करते हैं। बच्चों के विवाह योग्य होने पर विवाह संपन्न कराकर नवदंपत्ति को गृहस्थ जीवन में प्रवेश कराने के उपरांत माता—पिता अपने कर्तव्य की पूर्ति मानते हैं। विवाह पश्चात् माता—पिता बच्चों के गृहस्थ जीवन के व्यवस्थित होते तक उचित मार्गदर्शन देते हैं।

(2) पति—पत्नी

सौँता जनजाति में पति—पत्नी का संबंध मधुर, प्रेमयुक्त एवं दायित्वपूर्ण होता है। पति—पत्नी एक दूसरे के प्रति दायित्वों का निर्वहन जिम्मेदारी के साथ करते हैं। दोनों ही परिवार की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। पत्नी घर के दैनिक कार्यों के साथ बच्चों की देखभाल भोजन हेतु लकड़ी, वनोपज संकलन आदि कार्यों में सहयोग प्रदान करती है, दोनों मिलकर परिवार के बुजुर्ग सदस्यों की देखभाल भी करते हैं।

(3) पिता—पुत्र

पिता एवं पुत्र का संबंध स्नेह व अनुशासन का होता है पिता का व्यवहार पुत्र के प्रति बाल्यकाल में स्नेह पूर्ण, किशोर व युवावस्था में अनुशासित एवं विवाह पश्चात् मित्रवत होता है। पिता किशोरावस्था में पुत्र को आर्थिक कार्यों जैसे—हल चलाना, कृषि वनोपज संकलन एवं शिकार आदि में प्रशिक्षित करता है। पुत्र पिता के प्रति आदरभाव रखता है उनकी आज्ञापालन के साथ—साथ मार्गदर्शन भी लेता है। पिता वृद्धावस्था में अपनी सम्पत्ति पुत्रों में हस्तांतरित करता है व अपेक्षा करता है कि अब बेटा उनका लालन—पालन करें।

(4) पिता—पुत्री

पिता पुत्री का संबंध आत्मीय तथा वात्सल्यपूर्ण होता है। पुत्री को प्रारंभ से ही पराया धन मानकर पिता द्वारा पुत्री से अधिक स्नेह/वात्सल्य दिखाया जाता है। पुत्री का विवाह पश्चात् परिवार के सदस्यों से सामंजस्य

सौता जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

बनाने की सीख देता है। पुत्री विवाह पश्चात् पिता को अधिक स्नेह भाव व सेवा करती है।

(5) माता—पुत्र

माता—पुत्र का संबंध आत्मीयता तथा वात्सल्यपूर्ण होता है। माता का पुत्री के अपेक्षा पुत्र से भावनात्मक जुड़ाव अधिक होता है माता पुत्र का लालन—पालन, देखभाल करती है। माता—पुत्र को समाज परिवार के नियमों, परंपराओं की शिक्षा देती है। पुत्र माता की आज्ञा पालन कर उनकी देखभाल पूर्ण श्रद्धा से करता है।

(6) माता—पुत्री

माता—पुत्री का संबंध वात्सल्यपूर्ण होता है। माता पुत्री को बाल्यावस्था से ही घरेलू सामाजिक—आर्थिक कार्य सिखाती है। माता—पुत्री को पराया धन मानकर ससुराल के नये परिवेश में सफलतापूर्वक सामंजस्य बनाने हेतु शिक्षित करती है।

युवावस्था के पश्चात् माता—पुत्री का संबंध मित्रवत् हो जाता है। विवाह आयु के निकट आने पर दोनों में विछोह का भी डर देखा जा सकता है। किन्तु पुत्री के प्रति अपने कर्तव्य की पूर्ति का सुख भी रहता है।

(7) भाई—भाई

भाई—भाई के मध्य प्रेमपूर्ण एवं मित्रवत् संबंध होता है। छोटा भाई बड़े भाई का आदर व सम्मान करता है तथा बड़ा भाई छोटे भाई के प्रति स्नेह का भाव रखता है। पारिवारिक, सामाजिक तथा आर्थिक कार्यों का निर्वहन साथ साथ करते हैं तथा एक दूसरे की कठिनाईयों/समस्याओं को दूर करने में मदद करते हैं।

(8) भाई—बहन

भाई—बहन का संबंध प्रेमपूर्ण होता है। बड़ा भाई/बड़ी बहन छोटे भाई—बहनों को घरेलू कार्य सिखाती है तथा माता—पिता के आर्थिक कार्य में व्यस्त होने के कारण उनकी देखभाल एवं घर की देखरेख करता है।

(9) सास—बहू

सास—बहू का संबंध आदर, सम्मान, कर्तव्य तथा अपेक्षा पर आधारित होता है। सास अपनी बहू से आदर/सम्मान, पारिवारिक कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों के बखूबी निर्वहन की अपेक्षा रखती है। सास—बहू में आपसी तालमेल अच्छा रहने पर पारिवारिक जीवन अच्छा रहता है, किन्तु जब वे एक दूसरे की अपेक्षाओं की पूर्ति न कर पाने के कारण आपसी संबंधी तनावपूर्ण हो जाते हैं।

(10) देवर—भाभी

देवर भाभी का संबंध परिहास श्रेणी के अंतर्गत आता है। इनके आपसी संबंध स्नेहपूर्ण एवं मित्रवत होते हैं। उपरोक्त प्रकार के संबंधों में वर्तमान परिवेश में आमूल—चुल परिवर्तन दिखाई देते हैं। जो परिवार के सदस्यों के बीच आपसी समझ व सुझबुझ पर निर्भर करता है।

4.6 मित / मितान संबंध

सौता समुदाय वर्तमान परिवेश में ग्रामों में निवासरत अन्य जातियों से निकटता व पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देने अन्तर्जातीय संबंध दर्शाने वाले मित / मितान संबंध पाया जाता है। ऐसे संबंध समान लिंग आयु के दो सदस्य अपनी आपसी संबंध को अधिक घनिष्ठ एवं प्रगाढ़ बनाने के उद्देश्य से मित / मितान संबंध बनाते हैं। ग्राम देव या ग्राम देवी के सम्मुख पान—सुपाड़ी, धूप अर्पित कर नारियल की अदला—बदली कर मित / मितान संबंध स्थापित किया जाता है। जो किसी भी जाति से संबंधित हो सकता है जो एक दूसरे के सुख—दुख में पारिवारिक स्तर पर अपना योगदान देते हैं।

मित / मितान संबंध को आधुनिक परिवेश में जीवन भर का संबंध माना जाता है। मित—मितान आपस में बंधुत्व व्यवहार करते हैं तथा भादी—ब्याह, जन्म, मृत्यु विशेष त्यौहारों एवं अवसरों पर अपनी संपूर्ण भागीदारी निभाते हैं। सौता समुदाय आपसी जाति या अन्य जाति जैसे—गोड़, कंवर, भुईया, राउत, कुर्मी, तेली, मरार आदि जातियों के साथ मित—मितान संबंध रखते हैं।

4.7 अन्तर्जातीय संबंध

सौता निवासित ग्रामों में ब्राम्हण, रावत, महकूल, कंवर, गोड़, भूमिया, कुम्हार, कंवट, धोबी, लोहार, नाई, गांड़ा, घासी, सवरा आदि अन्य जातियाँ निवासरत हैं। इनमें आपस में ग्राम स्तर पर औपचारिक संबंध पाये जाते हैं जिसके कारण आयु, लिंग के आधार पर सम्मानपूर्वक एक दूसरे को नातेदारी शब्दों से संबोधित करते हैं। इन जातियों में जातिगत कार्यों के आधार पर पारस्परिक निर्भरता पायी जाती है। ग्रामीण परिवेश में एक दूसरी जातियों के त्यौहारों, उत्सवों, विवाह, मृत्यु संस्कार आदि में सहभागिता पायी जाती है वहीं ग्रामीण समाज व्यवस्था के तहत एक दूसरे की आवश्यक सेवाएं भी ली जाती हैं। जैसे—दैनिक उपयोग के लिए मिट्टी के बर्तन हेतु कुम्हार ग्राम में गाय बैल चलाने हेतु रावत, कोटवारी कार्य के लिए गाड़ा, लौह कार्य हेतु लोहार, बाल काटने के लिए नाई आदि जातियों की सेवा ली जाती है।

सौंता जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

सौंता जाति कृषि, कृषि मजदूरी तथा अन्य मजदूरी का कार्य करती है तथा उपरोक्त जातियों के घर समय-समय पर कृषि में सहयोग, मजदूरी एवं अन्य क्रियाकलापों में भी अपनी सेवाएं प्रदान करती है। इसके साथ-साथ सौंता निवासित ग्रामों में जन्म, खानपान तथा कार्यों के आधार पर जातियों में सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है।

1. सामाजिक अन्तर्जातीय संबंध

सौंता अपने घर शादी-ब्याह, उत्सव, जन्म-मृत्यु आदि संस्कारों में उच्च जातियों को आमंत्रित करते हैं जिसमें उच्च जातियों यथा संभव अपनी सेवाएं देती है। सामाजिक मान्यताओं, रीति-रिवाजों के तहत भोजन, पानी ग्रहण नहीं करते। अतः उच्च जातियों को कच्चा अनाज (चावल, दाल आलू, नमक आदि) दिया जाता है किन्तु उच्च जातियों के आयोजन में सौंता पुरुष भोजन ग्रहण करते हैं। उसी प्रकार का आमंत्रण निम्न जातियों को भी दिया जाता है, जिसमें सौंता समुदाय द्वारा दिया भोजन पानी ग्रहण करते हैं लेकिन सौंता लोग निम्न जातियों के घर भोजन-पानी ग्रहण नहीं करते हैं इसके बदले इन्हें वे कच्चा अनाज दे देते हैं।

इस समुदाय का सामाजिक अन्तर्जातीय संबंध ग्राम स्तर पर होता है जिसमें सामाजिक क्रियाकलापों में एक-दूसरे जाति के लोग अपनी एक निश्चित भूमिका के दायरे में क्रियाकलाप संपादित करते हैं।

आधुनिक परिवेश एवं शिक्षा आदि के प्रभाव के कारण कुछ उच्च जाति जैसे ब्राम्हण, मरार आदि को छोड़कर अन्य जातियों के साथ कहीं-कहीं पर परस्पर सामाजिक क्रियाकलापों में पुरुष वर्ग का खानपान प्रारंभ हो गया है।

1 आर्थिक-अन्तर्जातीय संबंध

इस समुदाय में किसी भी समाज या जातियों की आर्थिक प्रस्थिति का प्रभाव कम दिखाई देता है। अर्थोपार्जन के कार्य जैसे-कृषि मजदूरी, अन्य मजदूरी, वनोपज संकलन आदि के कार्य अन्य जातियों के साथ परम्पर किये जाते हैं। सौंता समुदाय के घर यदि कोई अर्थोपार्जन का कार्य हो तो अन्य जातियाँ के लोग कार्य करने आते हैं जिसके बदले उन्हें नगद या कच्चा अनाज (धान) मजदूरी के रूप में दिया जाता है। वहीं अन्य जातियों के घर सौंता लोग भी अर्थोपार्जन का कार्य करने जाते हैं।

3. धार्मिक अन्तर्जातीय संबंध

ग्राम स्तर पर आयोजित धार्मिक अनुष्ठानों जो ग्राम की खुशहाली, समृद्धि, प्राकृतिक विपदाओं के बचाव हेतु ग्राम देवी-देवता से संबंधित धार्मिक आयोजनों में सभी जातियों के साथ सौंता जातियों का भी योगदान रहता है लेकिन इस समुदाय के अपने पूर्वज देव, देवी-देवताओं से संबंधित पारिवारिक स्तर पर आयोजित धार्मिक कर्मकण्डों में अन्य जातियों की सहभागिता नहीं के बराबर होती है।

4.8 महिलाओं की स्थिति

सौंता समाज व्यवस्था में महिलाओं की स्थिति को निम्नांकित विवरण से समझा जा सकता है।

1. जीवन संस्कार के आधार पर

सौंता जनजाति में जन्म हेतु बालक शिशु को महत्व दिया जाता है इनमें मान्यता है कि बच्चे तो भगवान की देन होते हैं फिर भी प्रथम संतान के लिए लड़के की कामना की जाती है। लड़कियाँ तो विवाह पश्चात् ससुराल चली जाती हैं तथा उनके बुढ़ापे का सहारा, देखभाल करने वाला, मृत्यु होने पर मिट्टी देने वाला तथा वंशवृद्धि करने वाला लड़का होता है। इसी कारण बालक शिशु को प्राथमिकता दी जाती है।

विवाह हेतु सौंता जाति में कन्या से सहमति आवश्यक होती है यदि कन्या अनिच्छुक होती है तो लड़के पक्ष का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता है। यदि कन्या पलायन विवाह कर ले तो भी वर पक्ष को सामाजिक दंड के साथ-साथ “सूकदान” चुकाना पड़ता है। स्त्री के विधवा होने के पश्चात् भी पुर्नविवाह हेतु उसकी सहमति आवश्यक मानी जाती है। इस समुदाय की स्त्रियाँ शमशान नहीं जाती हैं।

2. वंश एवं सत्ता निर्धारण

सौंता समाज में जन्म लिये संतान का वंश निर्धारण उसके पिता पक्ष से होता है। परिवार की सत्ता व नियंत्रण पुरुष मुखिया के पास होता है। परिवार से संबंधित अहम् निर्णय पुरुष मुखिया द्वारा ही लिये जाते हैं। इस प्रकार सौंता समाज एक पितृवंशीय, पितृसत्तात्मक व्यवस्था वाला समुदाय है।

3. आर्थिक जीवन

सौंता महिलाएं पारिवारिक जिम्मेदारियों के निर्वहन के साथ-साथ आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। महिलाएँ प्रातः घर की साफ-सफाई, बच्चों की देखभाल व भोजन बनाने के पश्चात् वनोपज संकलन, मजदूरी, कृषि तथा शासकीय मजदूरी में भागीदारी बनते हैं। महिलाओं को स्व अर्जित धन के

सौता जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

व्यय में स्वतंत्रता नहीं होती है उसे वस्तु खरीदने के पूर्व या पश्चात् परिवार के मुखिया को इसकी सूचना देनी होती है।

4 राजनैतिक जीवन

सौता समुदाय की जातीय पंचायतों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं के बराबर है। उसे इन क्षेत्रों में प्राथमिकता नहीं दी जाती है। राजनैतिक संगठन में महिला केवल स्वयं के मामले में या किसी मामले में गवाही देने हेतु शामिल हो सकती है।

वर्तमान परिवेश में आधुनिकता के परिणामस्वरूप व संगठन की दृष्टि से सौता महिलाओं की सामाजिक संगठनों में जिम्मेदारियां तय की जा रही हैं किन्तु ग्राम स्तरों की जातीय पंचायतों में इनका प्रतिनिधित्व नहीं है।

5. धार्मिक जीवन

धार्मिक अनुष्ठान व पारिवारिक स्तर पर पूर्वज आदि की पूजा में महिलाओं की भागीदारी, सहभागिता नहीं के बराबर पायी गई। परिवार के धार्मिक अनुष्ठानों में कर्मकाण्डीय तैयारियाँ घर की महिला सदस्य करती हैं किन्तु इसमें उसकी प्रत्यक्ष सहभागिता नहीं रहती है।

6. शिक्षा

सौता समुदाय में कन्या शिक्षा की तुलना में बालक शिक्षा को प्राथमिकता दी जाती है। कन्या का घरेलू कार्यों में हाथ बटाने को ज्यादा उचित मानते हैं। प्राथमिक स्तर तक बालिकाओं को शिक्षा देने के पश्चात् घर के कामकाम, छोटे भाई-बहनों की देखभाल एवं विवाह लायक हो जाने पर उसका ब्याह करने आदि के कारण उच्च शिक्षा के पक्षधर नहीं है, अन्य ग्राम में जाकर शिक्षा प्राप्त करने वाली बालिकाओं की संख्या नगण्य है।

7. कन्या शिशु के प्रति व्यवहार

सौता परिवार अपने वंशवृद्धि के लिए कम से कम एक पुत्र की कामना अवश्य करता है। उनका मानना है कि वृद्धावस्था में पुत्र ही अपने माता-पिता को भोजन-पानी देता है तथा देखभाल करता है। पुत्र के हाथों उसकी मुक्ति होगी तथा यदि पुत्री ही पुत्री जन्म लेती है तो पुत्र की लालसा में दूसरा विवाह भी किया जाता है।

8. भोजन वितरण

सौता महिलाएँ परिवार के छोटे बच्चे, पति व अन्य वृद्ध सदस्यों को भोजन कराने के उपरांत ही भोजन ग्रहण करती हैं।

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय इकाई बिलासपुर (छ.ग.)

अध्याय —5

शैक्षणिक स्थिति

शिक्षा मानव समाज के विकास की प्रथम सीढ़ी है क्योंकि शिक्षा ही मानव या मानव समुदाय की प्रगति के लिए नये मार्ग का सृजन करती है। शिक्षा से ही मानव के विचारों का दायरा विस्तृत होता है और जीवन उद्देश्य की सार्थकता सिद्ध होती है। किसी भी समाज में चाहे वह जनजातीय समाज हो या गैर जनजातीय समाज हो महिलाओं का शिक्षित होना नितांत आवश्यक होता है जो परिवार के अंदर केन्द्र बिन्दु में रहकर अपनी भूमिका का निर्वहन करती है।

छ.ग. राज्य के अन्य समुदायों की तुलना में जनजातीय समुदायों का शैक्षणिक स्तर विशेषकर महिलाओं की शैक्षणिक स्तर पुरुषों की तुलना में कम है। सर्वेक्षित सौंता जनजाति में सर्वेक्षण के दौरान उनकी शैक्षणिक स्थिति का भी अध्ययन किया गया, जिसमें शैक्षणिक स्थिति निम्नानुसार पायी गई :—

1. साक्षरता

तालिका क्रमांक-23

शैक्षणिक स्थिति

क्र.	विवरण	पुरुष		महिला		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	शिक्षित	207	80.54	139	56.97	346	69.06
2	अशिक्षित	50	19.46	105	43.03	155	30.94
	योग	257	100.00	244	100.00	501	100.00

सर्वेक्षित 133 सौंता परिवारों की कुल जनसंख्या में से 0-5 उम्र समूह की जनसंख्या को छोड़कर 69.06 प्रतिशत व्यक्ति शिक्षित पाये गये, जिसमें सर्वाधिक 80.54 प्रतिशत पुरुष साक्षर है इनकी तुलना में महिलाओं की साक्षरता 56.97 प्रतिशत पायी गई। 30.94 प्रतिशत अशिक्षित व्यक्तियों में महिला निरक्षरता 43.03 प्रतिशत एवं पुरुष निरक्षरता 19.46 प्रतिशत पायी गई।

सौता जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

2. शिक्षा का स्तर

सर्वेक्षित सौता जनजाति की शैक्षणिक स्थिति में शिक्षा का स्तर निम्नलिखित तालिका में दर्शाये अनुसार पाया गया :-

तालिका क्रमांक-24

शैक्षणिक स्तर

क्र.	शिक्षा का स्तर	पुरुष		महिला		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	केवल साक्षर	14	6.76	3	2.16	17	4.91
2	आंगनबाड़ी	1	0.48	6	4.32	7	2.02
3	प्राथमिक	111	53.62	71	51.08	182	52.60
4	माध्यमिक	63	30.43	39	28.06	102	29.48
5	हाईस्कूल (10वीं)	12	5.80	16	11.51	28	8.09
6	हायर सेकेण्डरी (12वीं)	5	2.42	4	2.88	9	2.60
7	स्नातक	1	0.48	—	—	1	0.29
8	स्नातकोत्तर	—	—	—	—	—	—
	योग	207	100.00	139	100.00	346	100.00



सौता जनजाति निवासरत क्षेत्र में संचालित स्कूल

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय इकाई बिलासपुर (छ.ग.)

सौता जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

उपरोक्त तालिका के आधार पर सर्वेक्षित सौता परिवारों की कुल संख्या में से 69.06 प्रतिशत व्यक्तियों ने किसी न किसी स्तर से शिक्षा अर्जित की जिसमें पुरुषों का शैक्षणिक प्रतिशत (80.54 प्रतिशत) महिलाओं के शैक्षणिक प्रतिशत (56.96 प्रतिशत) की तुलना में अधिक पाया गया। सर्वाधिक 52.60 प्रतिशत व्यक्तियों ने प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा, 29.48 प्रतिशत व्यक्तियों ने पूर्ण माध्यमिक स्तर तक, 08.09 प्रतिशत व्यक्तियों ने हाई स्कूल तक, 02.60 प्रतिशत व्यक्तियों ने हायर सेकन्डरी स्कूल तक शिक्षा अर्जित की है। स्नातक शिक्षा प्राप्त करने वालों की संख्या क्रमशः 0.29 प्रतिशत पायी गई।

उपरोक्त तालिका से यह भी स्पष्ट है कि आंगनबाड़ी स्तर से 02.02 प्रतिशत बच्चों द्वारा शिक्षा अर्जित की जा रही है। वही सर्वेक्षित कुल जनसंख्या में से 04.91 प्रतिशत व्यक्तियों केवल साक्षर है जिसमें महिला साक्षरों की संख्या 02.16 प्रतिशत एवं पुरुषों की संख्या 06.76 प्रतिशत है।

2. शैक्षणिक स्थिति

तालिका क्रमांक-25

शैक्षणिक स्थिति

क.	शैक्षणिक स्थिति	साक्षर व्यक्ति					
		पुरुष		महिला		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	अध्ययन जारी	65	25.29	72	29.51	137	27.34
2	अध्ययन समाप्त	142	55.25	67	27.46	209	41.72
3	निरक्षर	50	19.46	105	43.03	155	30.94
		257	100.00	244	100.00	501	100.00

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सौता परिवारों में 41.72 प्रतिशत व्यक्तियों ने किसी न किसी स्तर की शिक्षा प्राप्त कर अध्ययन समाप्त कर दिया है। वहीं 27.34 प्रतिशत व्यक्तियों का ही अध्ययन वर्तमान में जारी है जिसमें पुरुषों की संख्या (25.29 प्रतिशत) की तुलना में महिलाओं की संख्या (29.51 प्रतिशत) अपेक्षाकृत अधिक दिखाई देती है। इसके अलावा 30.94 प्रतिशत व्यक्ति निरक्षर पाये गये जिनमें महिलाओं की संख्या (43.03 प्रतिशत) पुरुषों की संख्या (19.46 प्रतिशत) की तुलना में बहुत अधिक है।

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय इकाई बिलासपुर (छ.ग.)

अध्याय —6

जीवन—संस्कार

सभी समुदायों में नवजात शिशु के जन्म, विवाह एवं परिवार के सदस्य की मृत्यु होने पर एक पूर्व निश्चित नियम के अंतर्गत कुछ अनुष्ठानों को पूर्ण करना पड़ता है। परिवारों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति में भिन्नता के फलस्वरूप आयोजन के स्वरूप में विविधता दिखाई देती है किन्तु हर समुदाय में कुछ मूलभूत नियमों का पालन अवश्य किया जाता है। इन्हें जीवन संस्कार के नाम से जाना जाता है। सौता समुदाय में जीवन मुख्य रूप से तीन संस्कारों यथा जन्म संस्कार, विवाह संस्कार एवं मृत्यु संस्कार में विभाजित होता है जिसका विवरण निम्नांकित है:—

6.1 जन्म

सौता समुदाय में शिशु जन्म या जन्म संस्कार को समझने के लिये निम्न बिन्दुओं का चरणबद्ध उल्लेख किया जाना आवश्यक है :—

(1) ऋतुकाल

सौता समाज में बालिका को घरेलू कामकाज संभालने लायक व प्रथम मासिक धर्म आने पर उसे विवाह योग्य समझा जाता है।

(2) गर्भावस्था

सौता जनजाति में मासिक चक्र रुकने से गर्भावस्था या गर्भ के ठहरने का ज्ञान होता है। गर्भ निरोधक आदि किसी भी प्रकार का आधुनिक या पारंपरिक तरीका नहीं अपनाया जाता है। संतान उत्पन्न होना ईश्वर की ईच्छा व वंश बढ़ाने वाली प्रक्रिया समझा जाता है। गर्भधारण के 06 माह पश्चात् महिलायें प्रायः वन जाना, मजदूरी, कृषि मजदूरी आदि पर जाना छोड़ देती है इस दौरान वह शराब का सेवन भी नहीं करती है तथा दैनिक उपलब्धतानुसार ही भोजन ग्रहण करती है।

सौता जाति में गर्भावस्था के दौरान गर्भवती स्त्री गर्भ में पल रहे शिशु के लिए ग्राम देवी के समक्ष शिशु की रक्षा व सुरक्षित प्रसव की कामना करती है इस दौरान गर्भवती महिला को कुछ विशेष निषेधों का पालन करना पड़ता है। जैसे—चंद्रग्रहण या सूर्यग्रहण में निकलना या देखना, लहसून खाना, प्रतिबंधित जगह जैसे—ईमली पेड़ आदि स्थानों पर जाना निषेध होता है।

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय इकाई बिलासपुर (छ.ग.)

(3) प्रसव

सौता जनजाति में गर्भवती स्त्री का प्रसव घर पर ही कराया जाता है। प्रसव कार्य ग्राम की जानकार महिला द्वारा संपन्न कराया जाता है जिसे “सुईन” कहते हैं। इस कार्य में परिवार की अन्य वृद्ध महिलाएं सहयोग करती हैं। प्रसव पीड़ा प्रारंभ होने पर “सुईन” को बुलाया जाता है तथा प्रसव की तैयारियाँ पूर्ण कर ली जाती हैं। प्रसव हो जाने पर सुईन गर्म पानी से शिशु को साफ करती है। पूर्व में नाल काटने के लिए लड़के हेतु तीर तथा लड़की के लिए ‘छुरी’ (चाकु) का उपयोग करते थे। वर्तमान में नाल काटने के लिए ब्लेड का उपयोग किया जाता है, तत्पश्चात् महिलाओं द्वारा बाहर आकर बालक शिशु या कन्या शिशु की सूचना दी जाती है।

सौता प्रसुता महिला नवजात शिशु के साथ



सुईन द्वारा शिशु के नाल पर हल्दी व तिल का तेल लगाया जाता है तथा सुईन द्वारा ही प्रसुता की साफ-सफाई, शिशु को नहलाने, कपड़े धोने आदि संबंधित कार्य छठी तक संपन्न किये जाते हैं। प्रसव के लगभग 12-13 घंटे बाद पारंपरिक जड़ी-बूटियों द्वारा निर्मित “छवारी काढ़ा” (शक्तिवर्धक पेय) 1 बार प्रसूता को पीने को दिया जाता है। इनमें ऐसी मान्यता है कि इसके सेवन से शिशु के लिए माँ के भारीर में दूध का निर्माण होगा साथ ही माँ-शिशु का स्वास्थ्य ठीक रहेगा।

छवारी काढ़ा का निर्माण “जमनी पेड़ की छाल” “नागर केना जड़ी” “सांभर भंज जड़ी” मोहलाईन जड़ी” बरगद की जड़ी को पीसकर कुल्थी के साथ पानी में उबाला जाता है तथा काढ़ा निर्माण हो जाने पर उसे कुनकुना कर प्रसूता को एक बार में एक गिलास पीने को दिया जाता है।

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय इकाई बिलासपुर (छ.ग.)

सौता जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

इसके सेवन के पश्चात् दूसरे दिन से शिशु को दुग्ध पान प्रारंभ किया जाता है किन्तु शिशु को नवदुग्ध (कोलस्ट्रम) देने की प्रथा नहीं है। दुग्धपान कराने के पहले लसलसे पीले दूध को निचोड़कर धरती पर गिरा दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि पहले धरती माता को अर्पित करते हैं साथ ही यह भी भय रहता है कि शिशु इसे पचा नहीं पायेगा। प्रसव पश्चात् से प्रथम दुग्धपान तक की अवधि के मध्य शिशु को शहद या बकरी का दूध बीच-बीच में चटाया जाता है।

प्रसव के तीसरे दिन प्रसवा को मड़िया पेज आदि पीने को दिया जाता है तथा 4-5 वें दिन से भोजन के रूप में दाल, भात, बड़ी, हेडवा, कुल्थी या हिरवा खाने को दिया जाता है।

प्रसव पश्चात् काटी गई नाल को आंगन के कोने में या बाड़ी में गद्दा खोदकर गाड़ दिया जाता है जब शिशु की नाभि से नाल सुखकर गिर जाती है तब छठी संस्कार का आयोजन किया जाता है तब तक प्रसवा व उसके परिवार को अशुद्ध/अपवित्र माना जाता है। छठी संस्कार के बाद भी प्रसुता का डेढ़ माह तक रसोई में आगमन वर्जित रहता है।

(4) छट्ठी

प्रसव पश्चात् नाल सुखकर गिरने के बाद पाँचवे या छठवे दिन छठी मनायी जाती है। कभी-कभी नाल पूर्ण रूप से नहीं सुख पाती है फिर भी मान्यतानुसार छठी का संस्कार संपन्न करा दिया जाता है। इस दिन प्रसवा व शिशु को नहला-धुलाकर तेल, हल्दी लगायी जाती है। छठी के पूर्व संपूर्ण घर की साफ-सफाई एवं पुताई का कार्य कर लिया जाता है। इस दिन सभी स्वजातीय बंधुओं को आमंत्रित किया जाता है साथ ही अन्य जातीय बंधुओं एवं घनिष्ठ मित्रों आदि को भी आमंत्रित किया जाता है।

छठी के दिन “सुईन” द्वारा प्रसुता एवं नवजात शिशु को हल्दी तेल का लेप लगाकर नहलाया जाता है तथा संपूर्ण घर में हल्दी पानी का छिड़काव कर शुद्ध करने का कर्मकाण्ड किया जाता है तथा कुल देवी-देवता एवं पूर्वज देव की पूजा-अर्चना कर मुर्गा, शराब, पान, सुपाड़ी, धूप भेंट कर ईष्टदेव को वंशवृद्धि हेतु कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं तथा इस दिन प्रसुता के मायके से आया हुआ नवीन वस्त्र को प्रसुता एवं नवजात शिशु को पहनाया जाता है तथा आमंत्रण में आये सभी लोगों को भाराब पिलायी जाती है तथा सामूहिक भोजन कराया जाता है। छठी पश्चात् प्रसुता, नवजात शिशु एवं परिवार को आंशिक रूप से शुद्ध या पवित्र मान लिया जाता है।

(5) नामकरण

नामकरण छठी के दिन ही संपन्न होता है। सौंता समुदाय आत्मावादी समूह है तथा मृत्यु पश्चात् आत्मा के अस्तित्व को मानती है। परिवार में आये नवजात शिशु की पूर्वज या वंश आधार पर आत्मा की पहचान की जाती है। जिसमें घर के आंगन में कलश जलाते हैं, और कलश के सामने शिशु को बुआ अपने गोद में रखकर उसकी पितर खोज करते हैं, जिसमें दुध, दारू चावल, थाली में पानी रखकर दुबी द्वारा शिशु के चरण में पितर के नाम लेकर तर्पण किया जाता है। बच्चे का नामकरण बुआ, फूफू, दादा या दादी द्वारा किया जाता है इनमें शिशु का नाम प्रायः दिन, माह आदि के आधार पर रखा जाता है लेकिन वर्तमान परिवेश में आधुनिक नाम रखे जाते हैं।

(6) मुण्डन

नवजात शिशु का मुण्डन छठी के दिन ही संपन्न कराया जाता है। मुण्डन अन्य गोत्र के समजातीय वृद्ध पुरुषों से कराया जाता था लेकिन वर्तमान परिवेश में नाई द्वारा यह कार्य किया जाता है।

(7) बरही

शिशु जन्म के बारहवें दिन “बरही” का आयोजन किया जाता है। इस दिन घर की बहु-बेटियाँ कपड़े साफ करती हैं। सुईन द्वारा नवजात शिशु एवं प्रसुता को तेल-हल्दी का लेप लगाकर नहलाया जाता है। धार्मिक मुखिया द्वारा हल्दी पानी छिड़क कर शुद्धीकरण का कार्य किया जाता है। देवी-देवता, धर्म-देवता, पूर्वज देवता आदि में बकरा या मुर्गा की बलि एवं शराब का तर्पण किया जाता है। आमंत्रित अतिथियों द्वारा नवजात शिशु को शुभाशीश प्रदान कर क्षमतानुसार नये कपड़े या नगद रुपये दिये जाते हैं। आमंत्रित लोगों को शराब पिलायी जाती है, सामूहिक भोज में चावल, दाल, हरी सब्जी, मुर्गा एवं मड़िया आदि भी खिलाया जाता है। शिशु (बालक) की स्थिति में डेड माह व बालिका की स्थिति में एक माह बाद प्रसुता व उसके घर को पूर्ण रूप से शुद्ध या पवित्र माना जाता है।

(8) अन्न प्रासन (मुहजूठा)

नवजात शिशु 06 माह की उम्र तक पूर्णतया माता के स्तनपान पर निर्भर रहता है तथा छह माह पश्चात् उसका “मुंह जूठा” कराया जाता है। परिवार की आर्थिक स्थिति अनुसार भात या खीर बनायी जाती है इसमें भी करीबी रिश्तेदार एवं घनिष्ठ मित्रों को आमंत्रित किया जाता है। सभी की उपस्थिति में शिशु को खीर चटायी (खिलायी) जाती है। वर्तमान परिवेश में कुछ लोगो द्वारा मीठा खिलाकर भी मुहजूठा कराया जाता है। शिशु के मुंह

सौता जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

जूठा पश्चात् आमंत्रित लोगो को भोज दिया जाता है।

6.2 बाल्यावस्था

4-5 वर्ष की आयु तक शिशु अपने छोटे भाई बहनों के साथ रहकर खेलता है इसी दौरान उसका “कानबेध” (कर्ण-छेदन) किया जाता है। इस संस्कार में बालक के कान एवं बालिका के कान-नाक अनिवार्य रूप से छिदवाये जाते हैं इनमें मान्यता है कि किसी कारण वश कानबेधन न करने पर उसकी मृत्यु होने पर यमराज के दूत सब्बल से कर्ण बेधन करते हैं।

बाल्यावस्था से ही बालिका को घरेलू कार्यों का औपचारिक प्रशिक्षण दिया जाता है। बालक-बालिका अपने माता-पिता के साथ खेत वनोपज संग्रहण आदि में भाग लेते हैं।

6.3 युवावस्था

सौता जनजाति में लगभग 14-15 वर्ष की आयु में बालक एवं बालिका अपने-अपने कार्यक्षेत्र जैसे कृषि कार्य, मजदूरी, वनोपज शिकार एवं दैनिक गृहकार्य, छोटे भाई-बहनों की देखभाल आदि कार्यों में निपुण हो जाते हैं तथा उनको विवाह योग्य मान लिया जाता है।

6.4 विवाह

सौता जाति के जीवन चक्र का दूसरा महत्वपूर्ण संस्कार “विवाह” है जहां से नव विवाहित युगल पारिवारिक क्रियाकलापों को प्रारंभ करते हैं। यह समुदाय गोत्र बर्हि-विवाही समुदाय है अर्थात् ये अपने गोत्र के बाहर अन्य गोत्र से विवाह संबंध बनाते हैं समगोत्रीय विवाह इनमें निषेध होता है इनमें मान्यता है कि एक ही गोत्र के समस्त सदस्य आपस में एक पूर्वज की संतान अर्थात् भाई-बहन मानी जाती है।

इस समुदाय में विवाह प्रायः फागुन की रामनवमी से शुरू होकर बैशाख माह तक की अवधि तक संपन्न कराये जाते हैं।

इस समुदाय में विवाह हेतु पहल लड़के पक्ष के मुखिया द्वारा की जाती है। लड़के/लड़कियों के विवाह के लिए मामा-फुफू के परिवार को प्राथमिकता दी जाती है। सर्वेक्षित सौता परिवारों में वैवाहिक स्थिति निम्नानुसार पायी गई :-

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय इकाई बिलासपुर (छ.ग.)

तालिका क्रमांक-26

वैवाहिक स्थिति

क्र.	विवरण	पुरुष		स्त्री		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	विवाहित	143	49.48	147	51.22	290	50.35
2	अविवाहित	140	48.44	131	45.64	271	47.05
3	विधवा, विधुर, परित्यक्ता	6	02.08	9	03.14	15	02.60
	योग	289	100.00	287	100.00	576	100.00

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि कुल सर्वेक्षित जनसंख्या में से 50.35 प्रतिशत जनसंख्या विवाहित है, 47.05 प्रतिशत व्यक्ति अविवाहित एवं 02.60 प्रतिशत व्यक्ति विधवा / विधुर या परित्यक्ता की श्रेणी में पाये गये।

1. विवाह आयु

सौंता समुदाय में बालक-बालिकाओं के विवाह अपने दैनिक कार्यों में निपुण हो जाने तथा एक निश्चित आयु (युवावस्था) आने पर किये जाते हैं इनमें लड़कों का विवाह लगभग 18-21 वर्ष व बालिकाओं का विवाह 16-18 वर्षों के मध्य संपन्न करा दिया जाता है। सर्वेक्षित सौंता परिवारों में विवाहित सदस्यों की विवाह उम्र निम्नानुसार पायी गई।

तालिका क्रमांक-27

विवाह उम्र

क.	विवाह उम्र (वर्षों में)	विवाहित सदस्य					
		पुरुष	प्रतिशत	स्त्री	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1.	13-15	3	02.01	10	06.41	13	04.26
2.	16-18	17	11.41	91	58.33	108	35.41
3.	19-21	72	48.32	43	27.56	115	37.70
4.	21 से अधिक	57	38.26	12	07.69	69	22.62
	योग	149	100.00	156	100.00	305	100.00

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सौता समुदाय में सर्वाधिक 37.70 प्रतिशत बालक-बालिकाओं के विवाह 19-21 वर्ष में संपन्न हुआ है। 64.74 प्रतिशत लड़कियों के विवाह 18 वर्ष या उससे भी कम उम्र में होना पाया गया। वहीं 61.74 प्रतिशत पुरुषों का विवाह 21 वर्ष या उससे कम उम्र में संपन्न करा दिये गये। केवल 38.26 प्रतिशत पुरुषों का विवाह उम्र 21 वर्ष से अधिक की आयु में एवं 35.26 प्रतिशत स्त्रियों का विवाह 18 वर्ष से अधिक की आयु में होना पाया गया।

2. वैवाहिक दूरी

किसी भी समुदाय का संकेन्द्रण क्षेत्र विशेष में एक निश्चित भाग या खण्ड में होता है। धीरे-धीरे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इनका फैलाव होता जाता है। सौता जनजाति की अधिकार जनसंख्या भी एक विशेष क्षेत्र में अधिक है किन्तु वर्तमान में इनका फैलाव एक से अधिक क्षेत्र में पाया जाता है। अतः विवाह भी प्रायः आस-पास करते हैं जिससे आवागमन में सुविधा हो तथा सुख-दुख में आसानी से शामिल हो सकें। सर्वेक्षित सौता परिवारों में विवाह स्थान की दूरी निम्नानुसार पायी गई :-

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय इकाई बिलासपुर (छ.ग.)

तालिका क्रमांक-28

वैवाहिक दूरी

क.	दूरी (कि.मी. में)	पुरुष		स्त्री		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1	ग्राम में विवाह	12	8.05	12	7.69	24	7.87
2	01 — 10	14	9.40	16	10.26	30	9.84
3	11 — 20	34	22.82	34	21.79	68	22.30
4	21 — 30	24	16.11	24	15.38	48	15.74
5	31 — 40	34	22.82	35	22.44	69	22.62
6	41 — 50	11	7.38	12	7.69	23	7.54
7	50 से अधिक	20	13.42	23	14.74	43	14.10
	योग	149	100	156	100	305	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि सर्वेक्षित सौता जनजाति के विवाहित सदस्यों में सर्वाधिक 22.62 प्रतिशत सदस्यों का विवाह 31-40 कि.मी. की दूरी में संपन्न हुये। तत्पश्चात् 22.30 प्रतिशत सदस्यों का विवाह 11-20 कि.मी. की दूरी में, 9.84 प्रतिशत सदस्यों का विवाह 1-10 कि.मी. की दूरी में एवं 07.54 प्रतिशत सदस्यों का विवाह 41-50 कि.मी. की दूरी में विवाह संपन्न हुआ है। 07.87 प्रतिशत वैवाहिक सदस्यों का विवाह ग्राम में जबकि 14.10 प्रतिशत सदस्यों का विवाह 50 कि.मी. से भी अधिक की दूरी पर वैवाहिक संबंध होना पाया गया।

सौता समुदाय में विवाह हेतु कन्या की तलाश वर के पिता द्वारा सगे-संबंधियों की मदद से की जाती है। कन्या मिल जाने पर पहल वर पक्ष द्वारा की जाती है, पिता व उनके सहयोगी लड़के के साथ कन्या के घर एक बोतल भराब लेकर जाते हैं तथा कन्या के पिता के साथ बैठकर शराब पीते हुए शादी की बातचीत करते हैं। कन्या पसंद आ जाने पर वापस आकर परिवार के सदस्यों से अभिमत लेने के उपरांत पुनः लड़के का पिता कन्या के घर जाकर लड़की के पिता से कहता है कि आपकी कन्या पसंद है और मेरे लड़के के साथ विवाह के लिए “हाथ मांगता” हूँ। तत्पश्चात् कन्या के पिता भी परिवार की सहमति के बाद लड़के के घर देखने हेतु तिथि निश्चित कर लड़के के पिता को हाँ करता है। निश्चित तिथि पर लड़की के पिता एवं उसके घनिष्ठ रिश्तेदार लड़के के घर आते

सौता जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

है व पसंद आ जाने पर लड़के पक्ष वालों को नियत तिथि पर हरोनी या नारियल-सुपाड़ी हेतु आमंत्रित करता है तब लड़के के पिता एवं अन्य सदस्यों के साथ लुगाड़ा, चावल, दाल, चुड़ी व अन्य श्रृंगार सामान लेकर कन्या के घर तय तिथि पर आता है और इन वस्तुओं को अपने होने वाली बहू को देकर हरोनी/नारियल सुपाड़ी की रस्म अदा करते हैं जिसका अर्थ होता है कि “आपकी कन्या आज से हमारी हुई”। इसके बाद बैगा दोनों के विवाह बंधन में बंधने हेतु नारियल फोड़ते हैं।

इसके पश्चात् दोनों पक्ष मिलकर नारियल का प्रसाद एवं शराब का सेवन करते हैं इसी समय बैगा द्वारा विवाह हेतु निश्चित तिथि तय की जाती है जिसे “लगन-धरना” कहते हैं। साथ ही साथ सुकदाम/सुकधन (वधू मुल्य) चुकाने की बात पक्की कर ली जाती है। इसके पश्चात् दोनों पक्ष मिलकर कन्या के घर पर सामूहिक भोज करते हैं भोजन पश्चात् वर पक्ष को विदा कर दिया जाता है।

3. सुकधन/सुकपैसा (वधू मुल्य)

लड़के का पिता पुनः तीसरी बार तय तिथि पर कन्या के घर जाता है तथा “सुकधन/सुकपैसा” (वधू मुल्य) के रूप में $2\frac{1}{2}$ खाड़ी चावल (एक क्विंटल) लगभग 30 कि.ग्रा. दाल, 7 साड़ियाँ, 1 पाव तेल, 1 पाव हल्दी, गुड़, श्रृंगार समान, 51 रु. नकद तथा आर्थिक स्थिति अच्छी होने पर बकरा एवं कुछ गहने देता है।

पूर्व में सुकधन/सुकपैसा के रूप में बैल अथवा बकरा दिया जाता था किन्तु अब सामाजिक रूप से निर्णयानुसार बैल के स्थान पर बकरा तथा 101 रु. नगद दिये जाते हैं।

4. विवाह रस्म

इस समुदाय में विवाह तीन दिनों का होता है विवाह के प्रथम दिन “चुलमाटी” का कार्यक्रम होता है जिसमें वर अथवा वधु की बुआ, फूफू तथा अन्य महिलायें बैगा के साथ ग्राम के बाहर ठाकुरदेव को पान, सुपाड़ी, धूप, अगरबत्ती दिखाकर पूजा अर्चना की जाती है, शराब का तर्पण किया जाता है। तथा ठाकुरदेव के चरण की मिट्टी को फूफू अथवा बुआ द्वारा नये कपड़े पर उठाकर घर लायी जाती है। उसी समय पुरुष सदस्य वन में पूजा अर्चना कर सरई की लकड़ी, महुआ लकड़ी/डाल, जामुन डाल, आमडाल व बांस लाते हैं। महुआ लकड़ी पर दुल्हादेव की प्रतिकृति बनाकर आँगन के बीच में गाड़ दिया जाता है। जिसके चारों तरफ मंडप बनाकर ऊपर महुआ पत्ती/जामुन पत्ती आम डाल आदि से “छा” (छाजन) दिया जाता है।

मंडप के बीच में दुल्हादेव के चारों ओर धागे द्वारा 7 चक्कर (7 बार) धागा बांधा जाता है। मंडप को आम

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय इकाई बिलासपुर (छ.ग.)

सौता जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

पत्ती के तोरण से सजाया जाता है। जिसमें “बगई” की रस्सी का उपयोग किया जाता है। मण्डपोच्छादन के पश्चात् ठाकुरदेव के चरण से लायी मिट्टी से मंडप में कलश का निर्माण किया जाता है, तत्पश्चात् पूर्वज देव की नारियल, पान, सुपाड़ी व धूप दिखाकर पूजा—अर्चना की जाती है तथा शराब का तर्पण कर मुर्गे की बलि दी जाती है। तत्पश्चात् “तेल मड़वा” किया जाता है जिसमें वर पक्ष एवं वधू पक्ष को अपने—अपने घर में तेल पिलाया जाता है। तेल पिलाने के पश्चात् हरिद्रालेपन का कार्यक्रम होता है जिसमें वर एवं वधू को उनके घर में तेल हरदी का लेप किया जाता है। हल्दी सर्वप्रथम माता—पिता द्वारा लगाई जाती है तत्पश्चात् शेष सगे—संबंधी लगाते हैं इसके बाद सभी एक दूसरे को हल्दी लगाते हैं इस दौरान शराब का खूब सेवन किया जाता है तथा देर रात तक गीत, संगीत एवं नृत्य का आयोजन किया जाता है।

विवाह के दूसरे दिन देवतला पूजा, करस गोदाई (कलश सजावट) एवं हल्दी खेलने का कार्यक्रम होता है इस दिन धार्मिक मुखिया बैगा व शादी में शामिल महिलायें सुबह से देवतला (देवस्थल) जाती हैं ग्राम के बाहर देव स्थल पर बैगा द्वारा ग्राम देवी—देवता को धूप, अगरबत्ती एवं दीये जलाकर वर—वधू की सुखद जीवन यापन की कामना करते हुए शराब का तर्पण किया जाता है और तेल—हल्दी का बंदरन किया जाता है। देवाला से वापस आकर वर—वधू को तेल—हल्दी चढ़ायी जाती है। वधू पक्ष द्वारा कलश एवं मंडप को आकर्षक ढंग से सजाया जाता है।

तेल हल्दी चढ़ाने के बाद वर—वधू को गोद में उठाकर नाचते हैं तथा शराब का सेवन करते हैं तत्पश्चात् मंडप में उपस्थित जनों को सामूहिक भोज दिया जाता है जिसे “मड़वा भात” करते हैं।

विवाह के तीसरे दिन सुबह “हरदाही” खेली जाती है जिसमें परिहास संबंधी आपस में एक दूसरे को तेल हल्दी लगाते हैं तथा शराब का सेवन कर वर—वधू को गोद में उठाकर नाच गाना करते हैं। तत्पश्चात् वर—वधू को नहलाया—धुलाया जाता है और वर पक्ष दोपहर तक बारात जाने की पूरी तैयारी कर ली जाती है जबकि वधू पक्ष घर की साफ—सफाई एवं लिपाई बारातियों का स्वागत एवं विवाह संबंधी सभी तैयारियाँ कर ली जाती हैं।

लगभग 4—5 बजे सायं घर से बारात निकलती है और 7—8 बजे तक बारात पहुंच जाती है। दोनों पक्षों के वरिष्ठ सदस्य (सगे—समधी) एक दूसरे का स्वागत करते हैं। दुल्हे से मंडवा छुवा कर बारातियों के लिए तय किये गये स्थान या छायादार वृक्ष के नीचे ठहराते हैं जहां पर बारातियों को शराब का वितरण एवं नाश्ता दिया जाता है। तत्पश्चात् भोजन पकने तक बारातियों को आराम करने दिया जाता है। भोजन पकने के पश्चात् बारातियों को

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय इकाई बिलासपुर (छ.ग.)

सौता जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

पहले खिलाया जाता है बाद में सभी घराती लोग भोजन ग्रहण करते हैं इसके बाद मंडवा का कार्यक्रम शुरू होता है, दुल्हा धोती कुरता पहनता है जबकि दुल्हन साड़ी-ब्लाउज व विशिष्ट श्रृंगार करती है दोनों सिर पर "मौर" (छिन्द पत्तों की) पहनते हैं, दुल्हन को उसकी ढेढहीन एवं सखी-सहेलिया मड़वा में लाती है। विवाह की रस्में अन्य गोत्र का वरिष्ठ सौता व्यक्ति संपादित करता है। वर-वधू को महुआ या साल के बने पीढ़ा में बैठाया जाता है तथा वधू पक्ष के सभी संबंधी व ग्राम के लोग नवदंपत्ति को भेंट स्वरूप कुछ ना कुछ टिकावन करते हैं। साथ ही महिलाओं द्वारा गीत भी गाया जाता है।



सौता जनजाति में विवाह कार्यक्रम में वर-वधू

टीकावन पश्चात् सूर्योदय के पूर्व फेरों का समय होता है इस रस्म में मड़वा के समक्ष सिल-बट्टा रखा जाता है जिसके सामने "सुपली" (धान की लाई) हल्दी, हरी, चावल व पैसा रखा जाता है तथा दुल्हा-दुल्हन दाये से बायी ओर सिल-बट्टे के सात फेरे जीवन भर साथ रहने, सुख-दुख में सहयोग करने का प्रण (वचन) करते हुए फेरे लेते हैं तथा प्रत्येक फेरे में वर-वधू द्वारा बाये पैर से उस पर रखी सामग्री को सिल-बट्टे से थोड़ा-थोड़ा

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय इकाई बिलासपुर (छ.ग.)

सौता जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

गिराते हैं। सात फेरे समाप्त होने पर विवाह संपन्न माना जाता है तथा सुबह वर-वधू की मौर सेकाई के पश्चात् विदा कर दिया जाता है बारातियों के वापस लौटने पर घर की द्वारी पर वर (लड़के) की माता द्वारा पुनः दोनों की मौर सेकाई की जाती है तथा वधू का गृह प्रवेश कराया जाता है और गृह देवी-देवता एवं पूर्वज देव के सक्षम सुखद जीवन यापन की कामना कर बकरा या मुर्गा की बलि दी जाती है और सामूहिक भोज के पश्चात् विवाह संपन्न माना जाता है।

5. विवाह प्रकार

सौता समुदाय में निम्नलिखित विवाह की प्रथायें मान्यता प्राप्त हैं :-

1. ममेर-फूफेरे विवाह

सौता समुदाय में वर या वधू हेतु ममेरे-फूफेरे विवाह को प्राथमिकता दी जाती है। यदि अपने मामा-फूफा के यहा लड़का/लड़की न होने की स्थिति में अन्यत्र देखा जाता है।

2. उढ़रिया विवाह

सौता समुदाय में जब लड़का-लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं। और वे विवाह करना चाहते हैं किन्तु विवाह हेतु उनके परिवार के सदस्य सहमत नहीं होते हैं तो दोनों पलायन कर विवाह कर लेते हैं। कुछ दिनों पश्चात् वे दोनों वापस लौट आते हैं। दोनों परिवार के सदस्य लड़का-लड़की का जाति पंचायत में निर्णय हेतु मामले को प्रस्तुत करते हैं। मामले की सुनवाई कर दोनों को पति-पत्नी के रूप में मान्यता दी जाती है ऐसे मामलों में जातीय पंचायत दोनों से आर्थिक दण्ड वसूल करती है एवं सामाजिक भोज देने का आदेश देती है।

3. घर देखी विवाह

इस समुदाय में जब ममेरे-फूफेरे में विवाह योग्य लड़के-लड़कियाँ नहीं होती हैं तब घर देखी विवाह सामाजिक रीति-रिवाज से किया जाता है जिसमें शुरुवात वर पक्ष द्वारा लड़की देखने से की जाती है। प्रायः अधिकांश विवाह इसी प्रकार के होते हैं इस विवाह में माता-पिता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।

4. ढूकी विवाह

सौता समुदाय में यदि कोई लड़की किसी लड़के को पसंद करती है और उनका किसी कारणवश विवाह नहीं हो पाता है तो लड़की, लड़के के घर जबरदस्ती "घुस" जाती है ऐसे मामले में जातीय पंचायत में सामाजिक रूप से निर्णय किया जाता है तथा लड़के के विवाह हेतु रजामंदी करते हैं तथा कन्या की ईच्छानुसार उस लड़के के

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय इकाई बिलासपुर (छ.ग.)

सौता जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

विवाह कर दिया जाता है ऐसे वर-वधु को सामाजिक रूप से “बकरा भात” (बकरा एवं भोज) देना पड़ता है।

5. पुर्नविवाह (चूड़ी विवाह)

सौता समुदाय में विधुर, विधवा तथा निःसंतान विवाहित व्यक्ति के पुर्नविवाह का प्रचलन पाया जाता है। पुर्नविवाह हेतु स्त्री की इच्छा या सहमति आवश्यक होती है पुर्नविवाह, चूड़ी पहनाकर रश्म आदा के साथ किया जाता है।

पुर्नविवाह में वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष को सुकधन (वधू-मूल्य) के रूप में 1 खंडी चावल, 10 किलो दाल, 7 साड़ी, तेल, हल्दी एवं 101 रुपये नगद दिया जाता है।

पुर्नविवाह में वर अपने निकटस्थ संबंधियों के साथ कन्या के घर जाता है। वहां स्वागत के पश्चात् वर द्वारा लायी गयी चूड़ी वधु को पहना दी जाती है। इसके बाद भोजन कराकर वर-वधू की विदाई कर दी जाती है।

6. घरजिया विवाह

ऐसा विवाह प्रायः घर में पुत्र संतान न होने की स्थिति में किया जाता है। इसमें विवाह पश्चात् पति पत्नी के घर जाकर निवास करने लगता है। इस प्रकार के विवाह में सुकधन (वधू मूल्य) चुकाना नहीं पड़ता है।

7. देवर भाभी एवं जीजा साली विवाह

पति की मृत्यु के पश्चात् पति के छोटे भाई के साथ विधवा स्त्री का विवाह सामाजिक मान्यता प्राप्त है किन्तु इस विवाह हेतु दोनों की रजामंदी आवश्यक होती है इसी प्रकार पत्नी की मृत्यु पश्चात् यदि साली कुंवारी हो तो उनका विवाह भी सामाजिक रूप से मान्य होता है। दोनों की सहमति होने पर चूड़ी पहनाकर उन्हें सामाजिक रूप से पति-पत्नी मान लिया जाता है।

6.5 दाम्पत्य जीवन

सौता समुदाय में विवाह पश्चात् पति पत्नी दाम्पत्य जीवन व्यतीत करते हुये अपने परिवार के भरण-पोषण एवं आर्थिक गतिविधियों की समस्त जिम्मेदारियों को वहन करता है। पिता द्वारा हस्तांतरित भूमि आदि पर कृषि कार्य कर मजदूरी, वनोपज संग्रहण आदि के माध्यम से अपनी व बच्चों की आजीविका चलाते हैं और धीरे-धीरे वृद्धावस्था को प्राप्त होते हैं।

6.6 वृद्धावस्था

सौता समुदाय में पिता अपने बच्चों की शादी-ब्याह कर देने के बाद अपने आपको सामाजिक कर्तव्यों से

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय इकाई बिलासपुर (छ.ग.)

सौंता जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

मुक्त मानकर अपनी वृद्धावस्था का अनुभव करता है। उसका कार्य परिवार के सदस्यों को पारिवारिक, सामाजिक व आर्थिक कार्यों में दिशा-निर्देश देने का रह जाता है तथा सामाजिक जाति पंचायतों की बैठकों में जाना, उसका प्रतिनिधित्व करना, शादी ब्याह संबंधी रिश्ते सुझाना आदि कार्य कर अपना समय व्यतीत करता है। वही सौंता महिलायें सामान्य घरेलु कार्य जैसे— धान कुटना, वनोपज सुखाना, बहूओं एवं बेटियों को दैनिक कार्य संबंधी सुझाव देना व नाती पोते की देखभाल आदि कार्य करती है।

6.7 मृत्यु संस्कार

सौंता समुदाय में मृत्यु को जीवन की पूर्णता एवं नियति माना जाता है परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर स्त्रियां जोर-जोर से विलाप करती है जिसे सुनकर पड़ोसी एकत्रित होते हैं सभी निकटस्थ सगे-संबंधियों को सूचना दी जाती है इस समुदाय में मृत भारीर को दफनाने की प्रथा प्रचलित है, इनमें सूर्यास्त के बाद शव को दफनाया नहीं जाता है। सगे-संबंधियों एवं ग्रामीणों की उपस्थिति में दिन के समय शवाधान किया जाता है।

शव को ले जाने के पूर्व तेल हल्दी लगायी जाती है उसके नाक और कान में रुई डाल दी जाती है तथा भाव को सफेद कपड़ा (कफन) से ढंक दिया जाता है शव को ले जाने के लिए बांस की चैली (अर्थी) बनायी जाती है जिस पर मृतक के कपड़े (ओढ़ने, बिछाने) आदि को बिछाया जाता है जिसके उपर शव को पीठ के बल लेटाया जाता है, तत्पश्चात् मृतक के पुत्र व अन्य सगे-संबंधी कांधा देकर शमशान घाट ले जाते हैं। दफनाने हेतु 5-6 फीट लम्बा, 2-3 फीट चौड़ी और 4-5 फीट गहरी कब्र (गड्ढा) खोदी जाती है।

1. माटी देना

मृत शरीर को गड्ढे (कब्र) में उत्तर दिशा में सिर व पैरों को दक्षिण दिशा पर रखा जाता है। भाव के समीप उसके कपड़े, कुछ पैसा व खाने पीने की वस्तुएं रखी जाती है। इसके पश्चात् पांच अथवा सात बार कब्र की परिक्रमा की जाती है। मृतक को मिट्टी देने का प्रथम अधिकार बड़े पुत्र को होता है तत्पश्चात् सगे-संबंधी एवं उसी गोत्र के लोग व अन्य लोग मिट्टी डालते हैं।

शव को दफनाने के पश्चात् सभी नदी, नाले अथवा तालाब में घाट के किनारे मृतक के नाम की “ऊरई जड़ी” को गाड़ते हैं और सभी नहाने के पश्चात् तीन-तीन अंजली जल “ऊरई जड़ी” पर डालते हैं तथा मृत आत्मा की भांति के लिए प्रार्थना करते हैं।

घर से शव यात्रा के प्रस्थान पश्चात् महिलायें शव रखे स्थान की साफ-सफाई कर गोबर से लिपाई करती

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय इकाई बिलासपुर (छ.ग.)

सौता जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

है और उपस्थित सभी महिलायें नहाने हेतु उसी घाट पर नहाकर “ऊरई जड़ी” पर पानी डालती हैं नहाने व पानी डालते के पश्चात् साडी के आंचल से पानी लेकर घर आती हैं और मृतक की आत्मा की शांति के लिए भाव रखे स्थान पर अर्पित करती हैं।

2. तीज नहान

मृत्यु के तीसरे दिन के संस्कार को “तीज नहान” कहा जाता है। इस दिन अन्य गोत्र की बहू-बेटी, बुआ या फूफू घर की साफ-सुफाई एवं लिपाई-पुताई करते हैं, कपड़े धोते हैं। भोजन एवं पानी लाने का कार्य अन्य गोत्र के पुरुषों द्वारा किया जाता है। इस दिन शवाधान में शामिल सभी व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाता है। पहले सभी पुरुष नहावन हेतु नदी, नाला या तालाब के उसी घाट पर जाते हैं जहां पर “ऊरई जड़ी” गाड़ी हुई होती है सभी स्नान पश्चात् अंजली में मृत आत्मा की भांति के लिए जल अर्पित करते हैं। तत्पश्चात् यह प्रक्रिया महिलाओं द्वारा भी की जाती है। इसके बाद तीज नहावन में आये सभी लोगों का धार्मिक मुखिया द्वारा हल्दी पानी का छिड़काव कर शुद्धीकरण किया जाता है।

इसी दिन मृत्यु को प्राप्त पुरुष की सेवा (पत्नी) की चूड़िया अन्य महिलाओं द्वारा उतारी जाती है तथा उसके हाथों में सिल्वर या गिलेट धातु की चूड़ी पहनायी जाती है। तत्पश्चात् तीज नहान में शामिल सभी लोगों को शराब पिलाकर मृत आत्मका की शांति के लिए सामूहिक रूप से “मिट्टी भात” (भोज) कराया जाता है इस दिन मृतक परिवार का आंशिक शुद्धीकरण हो जाता है।

3. दशगात्र/दशकर्म

इस समुदाय में पुरुष मृत्यु होने पर दशवे दिन और महिला मृत्यु के नौवें दिन दशगात्र/दशकर्म मनाया जाता है जिसमें सगे-संबंधियों के अलावा ग्राम के अन्य जातियों के परिचितों को मृत्यु भोज हेतु बुलाया जाता है। इसी दिन अंतिम संस्कार किये व्यक्ति व मृतक के अन्य रक्त संबंधी पुरुष सदस्यों का मुण्डन किया जाता है पहले पुरुषों द्वारा उसी नदी, नाला, तालाब के घाट पर जहां ऊरई जड़ी को गाड़ा गया होता है नहाने के पश्चात् आत्मा शांति हेतु जल अर्पित किया जाता है बाद में महिलाओं द्वारा इसी प्रक्रिया को दोहराया जाता है।



सौंता समाज में दशगात्र कार्यक्रम

मृतक के परिवार द्वारा दशगात्र में शामिल सभी लोगों को सामर्थ्य अनुसार दाल-भात, साग-सब्जी एवं शराब आदि का सामूहिक भोज कराया जाता है। सामूहिक भोज के पूर्व कुल देवी-देवता एवं पूर्वज देव की नारियल, धूप अगरबत्ती आदि से मृत आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना की जाती है। हल्दी एवं चंदन पानी से घर, आंगन आदि जगहों पर तथा दशगात्र में शामिल सभी लोगों पर छिड़काव कर शुद्धीकरण किया जाता है। पुरुष सदस्यों में चंदन का टीका (तिलक) भी लगाया जाता है। इस दिन मृतक के भांजा (भांजा) को दैनिक उपयोग की वस्तु एवं दाल चावल दिया जाता है। यह एक पवित्र कार्य माना जाता है।

सौंता जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

इनमें दशकर्म के दिन सभी कार्य निवृत्त होने के बाद कांसा की थाली में आटा रखकर उसे ढक दिया जाता है और उसे लेकर ग्राम के बाहर शमशान घाट की ओर मृतक का नाम लेते हुए किसी नातेदार द्वारा आवाज देते हुए बुलाया जाता है। जब उस आटा को खोला जाता है और देखा जाता है कि उस आटा में किस प्राणी के पैर का निशान आया है और जिस प्राणी के पैर का निशान आता है मृत आत्मा का उस कुल या योनी में पुनर्जन्म होना मान लिया जाता है।



दशगात्र कार्यक्रम के दौरान मृत्युभोज

सौंता समुदाय में जब किसी व्यक्ति के किसी अंग के घाव में कीड़ा हो जाने पर उस परिवार को अशुद्ध माना जाता है। जैसा मृत्यु हो जाने के पश्चात् कोई परिवार दशकर्म तक अशुद्ध रहती है। वैसा ही उस परिवार को अशुद्ध माना जाता है जिसका शुद्धिकरण सौंता बैगा द्वारा मारन (सुअर) एवं पटकन (काली मुर्गी) की बलि चढ़ा पूजा पाठ कर किया जाता है। और सोन-सोनवानी (सोन डूबा हुआ जल) को बैगा खूम्हरी (बांस की बड़ी टोपी) को पहना हुआ करता है। उस खूम्हरी के उपर सोनडूबा हुआ जल को उढ़ेला जाता है। तब अशुद्ध परिवार खूम्हरी से गिरते हुए जल को पीया जाता है। जिसे फूल-फूलवारी में शुद्धीकरण होना कहा जाता है।

मृत्यु के छः माह बाद “छमाशा” एवं एक वर्ष बाद “बरसी” मनायी जाती है। इसके बाद उसको “पितर” के रूप में मान लिया जाता है।

आकस्मिक मृत्यु, दुर्घटना से हुई मृत्यु, पुरानी बीमारी, फैलने वाली बीमारी व कुष्ठ रोग आदि से मृत व्यक्ति को जलाया जाता है। मृत जन्में नवजात शिशु या जन्म के बाद शिशु की मृत्यु हो जाने पर बाड़ी आदि में दफनाया जाता है।

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय इकाई बिलासपुर (छ.ग.)

अध्याय —7

जाति पंचायत संगठन

7.1 संगठन का स्वरूप

मानव समाज में संगठन तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिए सामाजिक प्रतिमान तथा सामाजिक नियंत्रण के अनेक साधन होते हैं। सभी समुदायों में ये साधन अनौपचारिक, अचेतन, अप्रत्यक्ष एवं सहज होते हैं। इन समुदायों में सामाजिक व्यवस्था को बनाये रखते के लिए विशिष्ट जाति पंचायत संगठन पाया जाता है, जो प्रथाओं तथा धार्मिक रीति से सामंजस्य बनाकर कार्य करता है। सर्वेक्षित सौंता समुदाय में भी ऐसा संगठन पाया गया, जिसका स्वरूप निम्नानुसार होता है :—

1. ग्राम स्तरीय जाति पंचायत।
2. क्षेत्रीय जाति पंचायत / परगना जाति पंचायत।
3. केन्द्र स्तरीय पंचायत / महा पंचायत

1. ग्राम स्तरीय जाति पंचायत

सौंता निवासित प्रत्येक ग्रामों में पृथक-पृथक जाति पंचायत होती है, जिसमें सौंता जाति के ही व्यक्ति सदस्य होते हैं, जिनका प्रमुख “मुखिया” कहलाता है। मुखिया योग्य अनुभवी तथा जानकार शयाना व्यक्ति होता है जिसका सर्वसम्मति से चयन किया जाता है। साथ ही साथ तीन-चार वृद्ध अनुभवी व्यक्ति पंच का कार्य करते हैं। पंचायत में उपरोक्त के अलावा कोटवार और चपरासी का पद भी होता है, जो बैठक आयोजन की सूचना जाति के सभी लोगों तक अथवा लोगों की समस्याओं आदि को जाति के मुखिया तक पहुंचाने का कार्य करता है।

ग्राम स्तरीय जातीय पंचायत में जातीय स्तर के मुद्दे सर्वसम्मति से न्यायपूर्ण तरीके से हल किये जाते हैं। मुखिया एवं पंच जातिगत नियमों के जानकार व समझदार होने के साथ-साथ निर्णय देने की क्षमता रखते हैं। इस समुदाय की जातीय पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी नहीं पायी जाती है।

ग्राम स्तरीय जाति पंचायत के कार्य

ग्राम स्तरीय जाति पंचायत के कार्य निम्नलिखित होते हैं :—

1. जातीय ग्राम देवी-देवताओं एवं मनाये जाने वाले त्यौहारों, उत्सवों की तिथि एवं दिन का निर्धारण करना।

सौता जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

2. आपसी लड़ाई झगड़ों का सर्व-सम्मति से निपटारा करना ।
3. विषमजातीय प्रेम-प्रसंगों से उपजी समस्याओं का निराकरण करना ।
4. सामाजिक नियमों के तहत जातिगत लोगों के बीच परस्पर सहयोग एवं संगठन को मजबूत करना ।
5. जाति में प्रचलित मान्यताओं, प्रथाओं, रीति-रिवाजों को जातिगत सदस्यों में लागू करना व नियमित क्रियान्वित करना ।
6. परगना स्तर एवं केन्द्रीय स्तर की पंचायतों के निर्देशों पर दृष्टि रखना एवं उनसे सामंजस्य स्थापित करना ।



जाति पंचायत बैठक के दौरान चर्चा करते हुए

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय इकाई बिलासपुर (छ.ग.)

2. क्षेत्रीय जाति पंचायत / परगना जाति पंचायत

क्षेत्रीय स्तर की जातीय पंचायत का निर्माण 15–18 ग्रामों को मिलाकर किया जाता है, जिसका मुखिया “यान” कहलाता है। प्रत्येक ग्रामों के “मुखिया” क्षेत्रीय पंचायत के क्रियाशील सदस्य होते हैं जिसमें क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली समस्याओं का निराकरण सर्वसम्मति से “यान” द्वारा किया जाता है इसमें भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम होता है। ग्राम स्तर की जाति पंचायत के निर्णय से असंतुष्ट पक्ष मुद्दे क्षेत्रीय जाति पंचायत में लेकर आते हैं।

क्षेत्रीय जातीय पंचायत में सभी छोटे–बड़े मामले शामिल किये जाते हैं। साधारणतः प्रयास किया जाता है कि मामलों को ग्राम स्तर पर ही निपटा लिया जाये अथवा दोनों पक्षों का समझौता करा दिया जाये। सभी सौंता ग्रामों के मुखिया के अलावा इस स्तर की पंचायत में भी चपरासी और कोटवार का पद भी होता है, जो बैठक आदि की सूचनाएँ सदस्यों तक पहुँचाता है।

क्षेत्रीय जाति पंचायत के कार्य

1. क्षेत्र में घटित बड़े अपराधों का निपटारा करना।
2. विवाह संबंधी नियमों का पालन कराना।
3. विवाह, तलाक, झगड़े आदि का निपटारा करना।
4. जातिगत, उत्थान के कार्य करना।
5. बारात, सुकपैसा आदि संबंधित नियमों को सरल बनाना।
6. जातिगत देवी–देवताओं के वार्षिक कर्मकाण्ड की व्यवस्था करना।
7. ग्राम स्तरीय जाति पंचायतों के अनसुलझे मामलों का निपटारा करना।
8. केन्द्रीय पंचायत के नियमों व निर्णयों का पालन करवाना व उससे समन्वय बनाए रखना।

3. केन्द्रीय जातीय पंचायत (महासभा)

समस्त क्षेत्रीय पंचायतों को मिलाकर केन्द्रीय जातीय पंचायत या महासभा का गठन किया जाता है। महासभा प्रमुख को ‘अध्यक्ष’ कहा जाता है, जिसका चुनाव सभी क्षेत्रीय पंचायत व ग्राम स्तरीय पंचायतों की प्रमुखों

सौंता जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

द्वारा सर्वसम्मति से किया जाता है। अध्यक्ष से अपेक्षा की जाती है कि वह नियमों का जानकार हो, निर्णय क्षमता, ईमानदार हो तथा वह लोगों से पारस्परिक संबंध बनाए रखें। महासभा की बैठक का आयोजन वर्ष में प्रायः एक बार किया जाता है, किन्तु विशेष परिस्थिति में एक से अधिक बार आयोजित की जा सकती है।

महासभा में अध्यक्ष के अलावा उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिव, कोषाध्यक्ष व सदस्य होते हैं। महासभा के पद परम्परागत नहीं होते हैं। आर्थिक स्थिति को भी देखते हुए ग्राम स्तरीय एवं क्षेत्रीय स्तरीय पंचायतों को मामलों का निचले स्तर पर निपटारे हेतु निर्देशित किया जाता है। इसमें निचले स्तर के पंचायतों के अनसुलझे मामलों का निराकरण किया जाता है।



बैठक के उपस्थिति सौंता जनजाति के लोग

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय इकाई बिलासपुर (छ.ग.)

केन्द्रीय जाति पंचायत (महासभा) के कार्य

1. ग्राम व क्षेत्रीय स्तरीय पंचायतों के अनसुलझे मामलों को सुलझाना।
2. सामाजिक नियमों, निशधों, मान्यताओं में एकरूपता लाने का प्रयास करना।
3. जातिगत उत्थान के लिए नियम बनाना व उसके हितों की रक्षा करना।
4. बाल विवाह एवं अधिक वधू मूल्य प्रथा आदि संबंधित कार्यों को निशेध करना।
5. जातिगत नियमों, रीति-रिवाजों को कठोरता से ग्राम स्तर व क्षेत्रीय स्तर पर लागू करवाना।
6. अन्तर्जातीय विवाह संबंधी मामलों का निपटारा करना।
7. जाति के सदस्यों में सहयोग की भावना जागृत करना तथा अन्य जातियों के साथ परस्पर सहयोग बनाये रखने हेतु निर्देशित करना आदि।

उपरोक्त सभी प्रकार की जाति पंचायतों के पद अवैतनिक होते हैं। जमा किये गये कोष के माध्यम से केवल सामाजिक चपरासी को सूचना आदान-प्रदान करने के बदले सहयोग राशि प्रदान की जाती है।

7.2 जाति पंचायत में महिलाओं की भागीदारी

सौंता समुदाय की जातीय पंचायतों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं के बराबर है। उन्हें इन क्षेत्रों में प्राथमिकता नहीं दी जाती है। जाति पंचायतों में महिला केवल स्वयं के मामले में या किसी मामले में गवाही देने हेतु भागिल हो सकती है।

वर्तमान परिवेश में आधुनिकता के परिणामस्वरूप व संगठन की दृष्टि से सौंता महिलाओं की सामाजिक संगठनों में जिम्मेदारियां तय की जा रही हैं किन्तु ग्राम स्तरों की जातीय पंचायतों में इनका प्रतिनिधित्व नहीं है।

7.3 जाति पंचायत में दण्ड प्रावधान

सौंता समुदाय की जाति पंचायतों में आपसी लड़ाई झगड़े, निषेधों की अनुज्ञा, वैवाहिक नियमों में व्यवधान, अन्तर्जातीय विवाह, तलाक आदि मसलों पर दोषी व्यक्ति को दण्ड का प्रावधान है इनमें दण्ड के प्रकार निम्नलिखित हैं :-

1. आर्थिक दण्ड
2. समाज के बहिष्कृत करना
3. आर्थिक दण्ड और बहिष्कार दोनों एक साथ

सौंता जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

1. आर्थिक दण्ड

सौंता समुदाय में जाति पंचायत द्वारा अपराध आधारित अर्थदण्ड दोषी व्यक्ति को सुनाये जाते हैं इसमें अर्थदण्ड की राशि मुद्दे आधारित होती है, जो 101 रु. से लेकर 5000 रु. तक हो सकती है। ग्राम स्तर पर आपसी लड़ाई झगड़े, चोरी, शराब पीकर मारपीट, बैठक में सम्मिलित न होना, निषेधों का उल्लंघन आदि साधारण अपराध पर 101 रु. से लेकर 1000 रु. तक अर्थदण्ड लगाया जाता है वहीं बड़े अपराध पर यह राशि 3 से 4 गुना बढ़ा दी जाती है।

2. बहिष्कार

सौंता समुदाय में समाज के निर्धारित मापदण्ड के विपरीत किसी भी मुद्दे पर दोषी व्यक्ति को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। इसके अंतर्गत बड़े अपराध जैसे—गौ हत्या, बलात्कार, अन्तर्जातीय विवाह आदि अपराधों पर समाज से बहिष्कृत करने का प्रावधान है, इसके अंतर्गत उस परिवार के किसी भी सदस्य को बातचीत, भोजन पानी, रोटी—बेटी का संबंध प्रतिबंधित कर दिया जाता है।

3. अर्थदण्ड एवं बहिष्कार

इस प्रकार के दण्ड विशेष सामाजिक अपराधों जैसे निम्न/उच्च अन्तर्जातीय विवाह करना, विवाह पूर्व गर्भधारण करना, भाग कर शादी करना, गौ हत्या करना, बलात्कार करना, पूर्व घोषित क्षतिपूर्ण आदेश का उल्लंघन आदि परिस्थितियों में निर्धारित किये जा सकते हैं।

उपरोक्त दण्ड के अतिरिक्त दोषी व्यक्ति को सामाजिक भोज आदि का आयोजन करना होता है। भोज में बकरा, मुर्गा एवं शराब आदि अनिवार्य रूप से खिलाना होता है।

दण्ड का परिपालन

सौंता समुदाय में जाति पंचायत द्वारा दोषी व्यक्ति को सुनाये गये दण्ड का पालन उसे हर परिस्थिति में करना होता है। क्योंकि दोषी व्यक्ति समाज में अकेला कभी नहीं रह सकता। उसे और उसके परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति एवं सामाजिक सुरक्षा आदि के लिए समाज पर ही निर्भर रहना पड़ता है। दण्ड की राशि अधिक होने पर उसे कम करने अथवा किस्तों में चुकाने के लिए जाति पंचायत से निवेदन कर सकता है। लेकिन सामाजिक भोज एवं जुर्माना का दण्ड उसे तत्काल चुकाना पड़ता है।

सौंता जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

यदि समजातीय वर्ग में गर्भधारण या विवाह का मामला आता है, तो प्रारंभ में लड़की और उसके परिवार को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। तत्पश्चात् लड़के का पता लगाकर अर्थदण्ड और सामाजिक भोज लेकर विवाह करा दिया जाता है एवं उनके परिवार को समाज में शामिल कर लिया जाता है।

यदि कोई परिवार दण्ड स्वरूप समाज से बहिष्कृत हो जाता है। तो उस परिवार का कोई व्यक्ति किसी भी सौंता समुदाय के सामाजिक कार्यक्रम में जूठा-पत्तल उठाता है ऐसा विभिन्न कार्यक्रम में किया जाता है तो परिणाम स्वरूप सौंता समाज खुश होकर उस परिवार को सौंता समाज में अपना लिया जाता है और उसकी जाति बहिष्कार की सजा समाप्त हो जाती है।

यदि अन्तर्जातीय वर्ग में गर्भधारण का मामला हो और लड़का दूसरे जाति का हो तो उस लड़की को पूर्णकालिक समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। यदि समाज का व्यक्ति दूसरे जाति में विवाह करता है, जो उसे दोनों प्रकार से दण्डित किया जाता है और सामाजिक भोज कराने के पश्चात् पुनः सामाजिक सदस्यता प्रदान कर दी जाती है।

यदि लड़का निम्न जाति वर्ग की लड़की से विवाह कर लेता है तो लड़के को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। उसे अर्थदण्ड एवं सामाजिक भोज लेकर पुनः सदस्यता प्रदान की जाती है। लेकिन उसकी पत्नी को समाज स्वीकृत नहीं करता, किन्तु उनके बच्चे को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर अपनी जाति में शामिल कर लिया जाता है।

इस समुदाय में शराब पीकर गाली गलौच, मारपीट, चोरी करने आदि मामलों में 101 रु. से लेकर 1000 रु. तक अर्थदण्ड लगाया जाता है।

यदि किसी दम्पति में तलाक की स्थिति आती है और लड़के की गलती हो तो उसे वधू धन वापस करने के साथ 1001 रु. व सामाजिक भोज से दण्डित किया जाता है। और यदि लड़की की गलती हो तो उसे 1001 रु. नगद व सामाजिक भोज से दण्डित किया जाता है। सामाजिक भोज में दोषी व्यक्ति को बकरा अथवा मुर्गा, दाल-भात, सब्जी आदि के साथ शराब की भी व्यवस्था करना पड़ता है।

7.4 प्रथागत कानून अंतर्गत निर्धारित जुर्माना अथवा दण्ड :-

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय इकाई बिलासपुर (छ.ग.)

सौंता जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

1. पुरुष द्वारा अन्य समाज की लड़की से विवाह करने पर—

सौंता जनजाति का कोई लड़का अन्य समाज की लड़की से विवाह कर लेता है तो उसे समाज से बाहर कर दिया जाता है। इनके द्वारा समाज को दण्ड स्वरूप कच्ची-पक्की (एक दिन शाकाहारी या मांसाहारी खाना) खिलाने पर इनकी संतानों को समाज में मिला लिया जाता है।

2. अविवाहित लड़का-लड़की के घर से भाग जाने पर —

सौंता जनजाति के प्रथागत नियम में लड़का-लड़की के घर से भाग कर रहने लगते हैं। तो उसे समाज के पदाधिकारियों द्वारा एक बैठक बुलाकर उसका निराकरण सामाजिक नियम के अनुसार उन्हें विवाह करने की अनुमति दी जाती है। उन्हें दण्ड स्वरूप आर्थिक क्षमता अनुसार 5000-10000 रु. तक जमा करना पड़ता है।

3. महिला द्वारा अन्य समाज के पुरुष से विवाह करने पर —

समाज की कोई लड़की अन्य समाज के लड़के से विवाह कर लेती है तो उसे समाज से पूर्ण रूप से बहिष्कृत कर दिया जाता है। जबकि लड़की के माता-पिता को समाज द्वारा निर्धारित दण्ड के रूप में 2500 रु. जमा करना पड़ता है।

4. विवाहित महिला को भगाने पर (बुंदा) —

सौंता जनजाति में कोई व्यक्ति यदि किसी विवाहित महिला को भगाकर ले जाता है ऐसे व्यक्ति को समाज में बने रहने के लिए महिला के पूर्व पति को 5000 रु. दण्ड तथा विवाह का खर्च देना पड़ता है।

सौंता समाज में पुरुष पत्नि के रहते हुए दूसरी पत्नि बनाता है तो उसे भी बूँदा देना होता है जिसमें 10000 रु. का दण्ड शादी का खर्च व समाज को भोज का प्रावधान है।

5. कनटूट्टी —

सौंता जनजाति में महिला या पुरुष अपने कान में आभूषण धारण करने हेतु कान में छेद कराते हैं जब छेद आभूषण पहनने या किसी भी कारण से पूरी तरह खुल जाता है तो उसे कनटूट्टी कहते हैं ऐसी स्थिति में दंड के रूप में 100-500 रु. जुर्माना व सामाजिक को भोज करवाया जाता है।



सौंता जनजाति में प्रथागत कानून के तहत बैठक करते हुए

1. फूलपरी –

सौंता जनजाति में किसी व्यक्ति को चोट लगने या किसी कारण “घाव” बन जाता है घांव के कारण वहां कीड़ा पड़ जाने पर उसे फुलपरी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति का समाज से बाहर कर दिया जाता है समाज में बने रहने के लिए सामाजिक भोज खिलाना पड़ता है।

2. चोरी करने पर –

सौंता जनजाति में किसी भी व्यक्ति पर यदि चोरी का आरोप सिद्ध हो जाता है तो उसे दण्ड स्वरूप 100–500रु. भरना पड़ता है।

3. तलाक —

समाज में विवाह पश्चात पुरुष व महिला किसी भी कारण से तलाक की मांग करता है उस स्थिति में सर्वप्रथम बैठक कर समझाइस दी जाती है उनके नहीं मानने पर जिस सदस्य के द्वारा तलाक मांगा गया है उसे 10000 रु. दण्ड (शादी के खर्च के हिसाब से) जमा करना पड़ता है।

4. वाद—विवाद की स्थिति में —

सौंता जनजाति में वाद—विवाद की स्थिति में बैठक बुलाकर दोनों पक्षों से बयान लेते हुए समझौता करवा दिया जाता है। नहीं मानने की स्थिति में दोनों पक्षों को स्वतंत्र कर दिया जाता है कि वे न्यायालय जाकर मामले का निराकरण करा सके।

5. भय—भसूर :—

सौंता समाज में यदि बहू के द्वारा अनपे जेठ को छू लेती है तो उसे भय—भसूर कहते हैं। इस प्रकार के मामलों में बहू को दण्ड के रूप में नारियल देने का प्रावधान है।

6. समधी—समघन छुआछूत —

सौंता जनजाति में किसी परिवार के समधी—समघन एक दूसरे को छू लेते हैं तो यहां पर दंड के रूप में नारियल व 500 रु. दंड का प्रावधान है।

7. गौमरी —

सौंता समाज के किसी व्यक्ति के हाथों किसी गांव की हत्या हो जाने पर उसे गौमरी कहा जाता है ऐसे मामले में दण्ड स्वरूप बेलपान (क्रियाक्रम) कर मुण्डन होने के पश्चात शुद्धि होना पड़ता है उसके बाद सामाजिक भोज भी देना पड़ता है।

अध्याय —8

धार्मिक जीवन

सौता जनजाति भी धर्म, प्रकृति, आत्मा, अलौकिक शक्ति तथा देवी-देवताओं पर विश्वास करती है। वे आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, और मृत्यु उपरांत अलग-अलग शरीर के माध्यम से पुनर्जन्म में उनका विश्वास है। आत्मा के रूप में पितृदेव (पूर्वज) अपने वंशज की सुरक्षा एवं मार्गदर्शन करते हैं। सौता जनजाति इन शक्तियों के समक्ष समर्पण कर अपने प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्य की पूर्णता हेतु कामना करते हैं तथा कार्य सिद्ध होने पर पारंपरिक रीति-रिवाजों, मान्यताओं व विश्वासों के आधार पर देवी-देवताओं की पूजा, अर्चना एवं बलि भेंट आदि के माध्यम से कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं।

जनजातीय धर्म उनके सामाजिक, आर्थिक एवं जीवन के विभिन्न संस्कारों से जुड़ा हुआ होता है, जो सामुदायिक एकीकरण एवं सामाजिक समरसता बनाये रखने की उत्तम व्यवस्था है। जनजातियों में पर्व एवं उत्सव अपने आराध्य देवी-देवताओं की पूजा-अर्चना व स्तुति लोकनृत्य एवं गीत संगीत के माध्यम से करते हैं। सौता जनजाति में धर्म दैनिक-जीवन, सामाजिक-आर्थिक एवं जीवन के अन्य संस्कारों में गुथा हुआ है। सौता समुदाय में निम्नानुसार देवी-देवता की पूजा की जाती है :-

8.1 गृह देवी-देवता

सौता जनजाति में गृह देवी-देवता गोत्र के अनुसार होते हैं। प्रत्येक गोत्र के व्यक्ति अपनी-अपनी उत्पत्ति विभिन्न पूर्वजों से मानते हैं। प्रत्येक गोत्र के सदस्य आभार स्वरूप त्यौहारों, उत्सवों आदि पर पूर्वज देव की पूजा अर्चना करते हैं। प्रत्येक घर में गृह देवी-देवताओं के प्रतीकात्मक रूप में चार स्थलों पर वास होते हैं, जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

1. पूजा कक्ष

प्रत्येक घर के भीतरी कक्ष में एक कोने पर देवी-देवताओं को स्थापित किया जाता है, जिसमें धरती माता, नांगा बैगा, ठाकुरदेव, ठकुराईन, बुढ़ादेव एवं मरखी माता, पूर्वज देव प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त हिन्दू देवी-देवताओं को भी स्थापित किया जाता है। सभी त्यौहारों में इन गृह देवी-देवताओं की पूजा-अर्चना की जाती है।

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय इकाई बिलासपुर (छ.ग.)

सौता जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

शादी-ब्याह, जन्म संस्कार आदि अवसरों पर “दूल्हा देव” व धरम देवता आदि की पूजा मुर्गा, नारियल, सुपाड़ी, धुप एवं शराब आदि से की जाती है तथा पारिवारिक शांति, समृद्धि व मार्गदर्शन की याचना की जाती है।

2. कोठा

पशुशाला (कोठा) में पशुओं की रक्षा करने वाली गोरया देवी का निवास स्थान होता है, जिसकी कार्तिक एकादशी में मनाये जाने वाले “देव उठनी” (गोवर्धन पूजा) एवं पोला त्यौहार में काली मुर्गी की बलि देकर विशेष पूजा की जाती है।

3. रसोई घर (रंधनी कुरिया)

सौता जनजाति के प्रत्येक घर में रंधनी कुरिया (रसोई घर) में अन्ह्यारिन पाट की पूजा की जाती है। इनका निवास “चुल्हा” में माना जाता है, जिनको भोजन पकने के पश्चात् भोग लगाकर ही घर के सदस्यों द्वारा भोजन किया जाता है।

4. आंगन

सौता परिवार के हर आंगन में “धरम धजा” “दलिहारानी”, “बघोरी दऊ”, “लंगूरवीर” देवताओं को वास होता है। परिवार के मुखिया द्वारा प्रत्येक त्यौहार में इन देवताओं को पूजा कर आवश्यकतानुसार बलि दी जाती है। ये देवता घर, बाड़ी, आंगन की सुरक्षा व बुरी आत्माओं से बचाव करते हैं।

उपरोक्त के अलावा प्रत्येक घर में पूर्वज देव के प्रतीकात्मक रूप में पितर देव या पाठ की स्थापना की जाती है, जिसकी अश्विन माह के चौदश के दिन विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। हिन्दू धर्म के सम्पर्क में आने के कारण हिन्दू देवी-देवताओं जैसे—लक्ष्मीनारायण, गणेश, दुर्गा माता, शंकर भगवान, श्रीराम, श्री कृष्ण आदि की भी पूजा पाठ की जाती है।



सौता जनजाति का ग्राम में देवस्थल

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय इकाई बिलासपुर (छ.ग.)

8.2 ग्राम देवी-देवता

इनमें ग्राम स्तर पर सौंता समुदाय के अपने आराध्य देवी-देवता पाये जाते हैं, जिनकी विशेष अवसरों पर पूजा अर्चना की जाती है। ग्राम की खुशहाली, समृद्धि एवं आपदाओं से रक्षा के उद्देश्य से इनकी स्थापना की जाती है।

इनके ग्राम देवी-देवता में ठाकूर देव, मरखी माता (माता चौरा), डिहारिन माता, परऊ बैगा, भैंसासुर, बूढ़ा देव, समलाई माता बंजारी माता, धरमदेव, गौरादेव, ढेगादेव, आदि है।

ग्राम देवी-देवताओं की पूजा अर्चना ग्राम की अन्य जातियों के साथ मिलकर की जाती है।

1. ठाकूर देव

यह ग्राम का मुख्य देवता है जो कि अन्य देवी-देवताओं को उनके कार्यों के लिए निर्देशित करता है तथा ग्राम की सुरक्षा एवं समृद्धि का कार्य करता है, इसे ग्राम की सभी जातियों में समान रूप से आराध्य माना जाता है। हरेली, नवाखाई आदि त्यौहारों में बकरा, मुर्गा, नारियल, धूप, सुपाड़ी, गुलाल एवं शराब आदि अर्पित किया जाता है।

2. मरखी माता (माता चौरा)

सिवरिया माता को ग्राम की सीमा में स्थापित किया जाता है, जो कि ग्राम में फैलने वाली बीमारियों के प्रकोप, जादू-टोना आदि से ग्राम की रक्षा करती है। सिवरिया देवी की वार्षिक पूजा नारियल, धूप, अगरबत्ती आदि से की जाती है।

3. डिहारिन माता

यह ग्राम की रक्षा करने वाली देवी के रूप में जानी जाती है, जो कि दैवीय प्रकोप, बुरी आत्माओं एवं प्राकृतिक आपदाओं से ग्रामीणों की सुरक्षा करती है। हरियाली, पोला आदि त्यौहारों में नारियल, धूप अगरबत्ती, चावल, शराब आदि से विशेष पूजा की जाती है।

4. बूढ़ा देव

इन्हे महादेव के नाम से भी जाना जाता है। बूढ़ा देव को ग्राम का प्रमुख देवता माना जाता है। विश्वास किया जाता है कि ग्राम के सभी सदस्यों के क्रियाकलापों पर इनकी दृष्टि रहती है। अतः ये ग्राम को नियंत्रित करते हैं। बूढ़ा देव ग्राम को प्राकृतिक तथा अति मानवीय भाक्तियों से सुरक्षा करते हैं। हरेली त्यौहार व नवाखाई उत्सवों में नारियल, मुर्गा, गुलाल, सुपाड़ी, शराब आदि अर्पित किया जाता है।

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय इकाई बिलासपुर (छ.ग.)



सौंता जनजाति के लोग बुढ़ा देवस्थल पर पूजा करते हुए

5. धरती माता

इनका निवास ग्राम की बाहरी सीमा पर वन से लगा होता है। इनकी मान्यतानुसार धरती माता वनों में हिंसक जानवरों से रक्षा, पालतू पशुओं की रक्षा, वन में शिकार दिलाने व वन आधारित जीविकोपार्जन के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। इनकी फागुन माह में नारियल, सुपाड़ी, धूप, अगरबत्ती एवं मुर्गा आदि अर्पित कर पूजा की जाती है।

6. समलाई माता

इनका निवास ग्राम के बाहर “देवतला” पर स्थित होता है, दैवीय प्रकोप, बुरी आत्माओं एवं प्राकृतिक आपदाओं से ग्रामीणों की सुरक्षा करती है। इन्हें अलग-अलग ग्रामों में पृथक-पृथक नामों से पूजा जाता है। हरेली त्यौहार में इनकी पूजा-अर्चना की जाती है।

इसके अतिरिक्त ढेगा देवता को गांव की रखवाली हेतु, जराही-भराही देव को सुख-दुख हेतु, भैंसासुर को खेत-खलिहान के लिए, राऊत राय को पशुओं की देखरेख के लिए एवं पुरऊ बैगा की ग्राम तथा जानवरों को

सौंता जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

सुख-दुख हेतु, भैंसासुर को खेत-खलिहान के लिए, राऊत राय को पशुओं की देखरेख के लिए एवं पुरऊ बैगा की ग्राम तथा जानवरों को बीमारियों से रक्षा के लिए प्रत्येक त्यौहारों पर पूजा अर्चना की जाती है।

8.3 प्रमुख त्यौहार

सौंता समुदाय द्वारा निम्नलिखित त्यौहार मानये जाते हैं :-

1. अक्ती (अक्षय तृतीया)

यह त्यौहार बैशाख माह में शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन मनाया जाता है। इसे धान बुवाई प्रारंभ करने एवं अच्छी फसल प्राप्ति के उद्देश्य से मनाया जाता है। प्रत्येक घर में दिया जलाकर, दूध छिड़ककर धरती माता की नारियल, धूप, अगरबत्ती आदि में पूजा अर्चना की जाती है तथा अच्छी फसल की कामना करते हुए खेतों में बुवाई प्रारंभ करते हैं।

2. हरेली

हरेली त्यौहार सावन माह की अमावस्या को मनाया जाता है। इसे ग्राम देवी-देवता एवं कुल देवी-देवताओं की पूजा कर ग्राम की सुरक्षा के लिये मनाया जाता है। इस दिन ग्राम के पुरुष सदस्य “देवतला” में “बैगा” (धार्मिक मुखिया) के साथ उपस्थित होते हैं। बैगा वन से भेलवा पेड़ की टहनी एवं कर्मा पेड़ की टहनियों को लाकर “देवालय” में नारियल, धूप, अगरबत्ती, चावल आदि से देवताओं की पूजा करता है तथा सफेद बकरा या मुर्गा की बलि चढ़ाकर भेलवा व करमा की टहनी को गाड़ देता है। देवालय का प्रसाद



हरेली के दौरान कृषि उपकरण की पूजा करते हुए

केवल पुरुष सदस्यों द्वारा ग्रहण किया जाता है। बैगा प्रत्येक घर के द्वार में बुरी आत्माओं के प्रकोप से बचाव हेतु भेलवा व कर्मा की टहनी लगाता है। पुरुष सदस्यों द्वारा गृह देवी-देवताओं की पूजा के पश्चात् कृषि

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय इकाई बिलासपुर (छ.ग.)

सौता जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

उपकरणों की पूजा नारियल फोड़कर की जाती है तथा घर में बनाये गये पकवान का भोग लगाया जाता है और उत्सव मनाया जाता है।

3. कर्मा

कर्मा त्यौहार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। यह त्यौहार सुख-शांति, समृद्धि एवं निरोगी रहने हेतु मनाया जाता है। ग्राम मुखिया के आंगन में “करमा वृक्ष” की “डार” (डाली) गाड़ कर बैगा (धार्मिक मुखिया) द्वारा धूप, अगरबत्ती, नारियल आदि से पूजा-अर्चना की जाती है।

लड़कियाँ एवं महिलाएँ करमा डाल के पास मक्का, गेहूँ आदि का “जवारा” लगाती है तथा दोपहर में बैगा द्वारा “करमदेव” का गुणगान कर उनकी लीलाओं की कहानी सुनायी जाती है, जिसके बाद प्रसाद वितरण होता है। घर वापस आकर महिलाएँ पकवान बनाती हैं और करम देव को भोग लगाकर सभी लोग रात भर करमा डाल के चारों ओर पारम्परिक लोकगीत एवं लोकनृत्य करते हैं और सुबह करमाडाल को हर्षोल्लास के साथ पूरे ग्राम में घूमाकर पूजा-अर्चना कर नदी, नाला या तालाब में विसर्जित कर देते हैं।

4. नवरात्र

यह उत्सव चैत माह के नवरात्र के अवसर पर समाज के प्रमुखों के माध्यम से माता चौरा में मांदर, नगांडा एवं मंजीरा की थाप के साथ पर देवी वंदना किया जाता है। जिसमें किसी के उपर माता आने पर उसे कील वाले पीढ़े पर बैठाया जाता है, और उनके मांग अनुसार बकरे की बली दी जाती है, और उसी के कहे अनुसार पूजा पाठ को सम्पन्न कराया जाता है।

5. नवाखाई

नवाखाई भादों के शुक्ल पक्ष की नवमी में “नये अनाज” की खुशी में मनाया जाता है। इस दिन पुरुष सदस्य “देवालय” (देवस्थल) में एकत्रित होते हैं। बैगा ग्राम देवी-देवताओं की पूजा-अर्चना धान की नई बालियों, नारियल, धूप, अगरबत्ती आदि से कर प्रसाद वितरण करता है। बैगा ग्राम के प्रत्येक घर की चौखट में नये धान की बालियाँ बांधता है।

परिवार का मुखिया इस दिन उपवास कर देवी-देवताओं की पूजा नये अनाज, मुर्गे अथवा बकरा की बलि आदि देकर करता है एवं नये अनाज से बने प्रसाद को ग्रहण करता है।

6. छेरछेरा

छेरछेरा त्यौहार पूस माह की पूर्णिमा को हर्षोल्लास से मनाया जाता है। यह त्यौहार कृषि कार्य कर अनाज के भण्डारण की खुशी में मनाया जाता है। इस दिन सौंता सदस्य टोलियों में घर-घर घूमकर अनाज मंगाते हैं तथा देवी-देवताओं को मुर्गा आदि की बलि चढ़ाकर धूप, अगरबत्ती, गुलाल आदि से पूजा-अर्चना करते हैं और खुशियां मनाते हैं।

इसके अतिरिक्त सावन पुन्नी (श्रावण मास में), पोला (भादो माह की अमावस्या को) पूर्वज देव का पितृ पक्ष (आश्विन माह में), जात्रा आदि मनाया जाता है। हिन्दू संस्कृति के सम्पर्क में आने के कारण ये लोग हिन्दू त्यौहारों जैसे— दशहरा, दीपावली, होली, रामनवमी, रक्षाबंधन नवरात्रि आदि को भी उत्साह के साथ मनाते हैं।



छेरछेरा त्यौहार के दौरान छेरछेरा मांगती सौंता जनजाति के स्कूली छात्राएं

8.4 आत्मा एवं जादू-टोना

सौंता समुदाय आत्मवादी विचारधारा में विश्वास करता है। ये आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं और मृत्यु उपरांत अलग-अलग शरीर के माध्यम से पुनर्जन्म में इनका विश्वास है। ये मानते हैं कि पितर आत्मा के रूप में अपने वंशजों की सुरक्षा एवं मार्गदर्शन करते हैं।

सौंता जनजाति में मृत्यु पश्चात् मृत व्यक्ति की आत्मा को पूर्वजों की आत्मा से मिलाकर पितर के रूप में स्थापित किया जाता है तथा उनकी पूजा-अर्चना की जाती है इसी प्रकार शिशु जन्म पश्चात् छट्ठी के दिन अनेक विधियों से पुनर्जन्म में पूर्वज का नाम ज्ञात किया जाता है।

भूत-प्रेत

यह जाति भूत-प्रेत पर भी विश्वास करती है। सौंता जनजाति सदस्य मानते हैं कि जंगली पशुओं द्वारा शिकार हुए व्यक्ति, विवाह योग्य अविवाहित सदस्य की आकस्मिक मृत्यु अथवा दुर्घटनावश आयु पूरी न होने के कारण, उनकी आत्मा भटकती रहती है, जो लोगों को परेशान करती है। सौंता सदस्य इस प्रकार की बुरी आत्माओं को भूत-प्रेत, चुड़ैल, मटिया, मसान, रक्शा आदि नामों से जानते हैं।

ये मानते हैं कि भूत-प्रेत आदि का निवास श्मशान, इमली पेड़ के नीचे, नदी नाला एवं तालाब किराने, सुखे पेड़ आदि में होता है। ऐसे स्थानों पर गर्भवती महिलाओं व सामान्य व्यक्तियों को रात्रि के समय जाने की मनाही होती है। साथ ही ऐसे स्थानों पर मल-मूत्र त्याग से भूत-प्रेत सताते हैं। सामान्यतः भूत-प्रेत अमावस्या व पूर्णिमा के समय अधिक विचरण करते हैं। भूत-प्रेत से ग्रस्त व्यक्ति सामान्य व्यवहार नहीं करता है। पागलों जैसी हरकत करता है, आंखों का रंग बदलता है, आवाज में भरीपन जा जाता है, शरीर सूखने लगता है। यदि किसी महिला की प्रसाव के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसकी प्रेत आत्मा जब गर्भवती महिला को पकड़ती है, तो उसकी संतान मृत पैदा होती है या वह बांझ हो जाती है। ऐसी अवस्था में बैगा या गुनिया द्वारा वस्तु स्थिति ज्ञात की जाती है, उसकी पृष्टि के बाद वह धार्मिक जादुई कर्मकाण्ड कर वह भूत-प्रेत के प्रभाव से मुक्त करता है।

जादू-टोना

सौंता जनजाति जादू-टोना पर भी अत्यधिक विश्वास करते हैं। जादू-टोना का कार्य करने वाले पुरुष सदस्य को “टोन्हा” और महिला को “टोन्ही” या “डायन” कहा जाता है। ग्राम में ऐसे लोगों से दूर रहने या औपचारिक संबंध रखने की सलाह दी जाती है।

सौंता जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

जादू-टोना करने वाला व्यक्ति जिस पर जादू-टोना करना होता है उसके पैर की धूल, बाल, कपड़ों के टूकड़ो आदि के माध्यम से उस पर जादू करता है व अपने वश में कर इच्छानुसार कार्य कराता है। जादू-टोने से ग्रसित व्यक्ति असामान्य व्यवहार करता है।

बैगा (गुनिया) पता लगाकर जादू-टोना का उपचार अलौकिक शक्तियों से ही करता है। वह अपनी अलौकिक शक्तियों का उपयोग जादू-टोना ग्रसित व्यक्ति पर करता है, जिससे प्रभावित व्यक्ति पर जादू का असर धीरे-धीरे कम होने लगता है। इसके लिए बैगा नीबू काटना, मुर्गा काटना जैसे अनेक कर्मकाण्ड एवं मंत्रोच्चार करता है।

8.5 रोग निदान एवं उपचार

सौंता जनजाति किसी भी प्रकार की अस्वस्थता या बीमारी को अलौकिक या आत्मीय घटना मानती है तथा उसका उपचार भी उसी माध्यम से कराने का प्रयास करती है। इनका वनों से घनिष्ठ संबंध होने के कारण इनको वनौषधियों का भी ज्ञान है तथा समय-समय पर स्थानीय या लोग औषधी के माध्यम से उपचार कराते हैं।

इनमें किसी भी प्रकार की अस्वच्छता होने पर पूर्वज आत्माओं का नाराज होना, देवी-देवताओं का कुपित होना, सामाजिक-धार्मिक निषेधों का उल्लंघन करना, भूत-प्रेत लगना, नजर या टोटका लगना आदि को कारण माना जाता है। अतः उपचार हेतु अपनी सामाजिक मान्यता प्राप्त पारंपरिक चिकित्सकों “बैगा” की मदद लेते हैं।

रोग का निदान “बैगा” (गुनिया) द्वारा किया जाता है। बैगा रोग या अस्वस्थता को तीनों प्रकार की नैदानिक प्रविधियां अथवा जादुई धार्मिक कर्मकाण्ड, नाड़ी देखकर व लक्षण आधारित प्रविधियों द्वारा पता करता है एवं उपचार झाड़-फुंक एवं वनौषधियों के माध्यम से करता है। बैगा द्वारा बुखार, उल्टी, पेट दर्द, घाव, सर्पदंश, बिच्छू दंश, कुत्ता काटने, अनियमित मासिक धर्म, खाना हजम आदि की औषधियां दी जाती हैं। उपचार पश्चात् बैगा को स्थिति अनुसार, मुर्गा, नारियल, चावल एवं नगद “चढ़ावा” दिया जाता है। पारम्परिक उपचार कराने पर स्वास्थ्य सुधार न होते पर आधुनिक चिकित्सा पद्धति द्वारा उपचार करवाते हैं।

8.6 शुभ एवं अशुभ विचार

सौंता जनजाति शुभ एवं अशुभ विचारों को मानती है। इस समुदाय में भरा हुआ पानी लेकर आती हुई महिला को देखना, देवी-देवता का सपना देखना, जवारा धरना, धान बुआई करते देखना “शुभ” माना जाता है।

अ शुभ विचारों में खाली घड़ा को पानी भरने ले जाते देखना, सियार का रास्ता काटना, शनिवार को घर से बाहर निकलना, कौवा जोड़ा को देखना, उल्लू की आवाज सुनना, बांयी आंख का फड़कना, बायें पैर का ठोकर

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय इकाई बिलासपुर (छ.ग.)

सौता जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

खाना आदि “अशुभ” माना जाता है। कुत्ते द्वारा काटते हुए देखना, सांप काटना, घर बनाना, मकड़ी काटने आदि का स्वप्न देखना भी अशुभ माना जाता है।

8.7 विभिन्न सम्प्रदायों का प्रभाव

सौता जनजाति के धार्मिक जीवन में आंतरिक एवं बाह्य सम्पर्क का प्रभाव दिखाई देता है। यह जाति ग्राम में गोड़, कंवर, बिंझिया, सवरा आदि जनजातियों के साथ निवास करने के कारण एक-दूसरे के देवी-देवताओं, त्यौहार विधि को अंगीकृत कर चुकी है।

सौता जनजाति का राजपूत, तेली, अहीर, यादव, मरार आदि जातियों के साथ निवासित होने के कारण इन पर हिन्दू देवी-देवताओं की पूजा, व्रत, त्यौहार आदि का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगत होता है।

अध्याय —9

लोक-परम्पराय

सौता समुदाय की लोक परम्परा में लोकगीत, लोक नृत्य व उनके वाद्ययंत्रों का विशेष महत्व होता है। विशिष्ट अवसरों जैसे फागून में फाग गीत, भादो-आश्विन माह में करमा नृत्य, विवाह के समय विवाह गीत, कृषि कार्य के रोपाई, निंदाई एवं कटाई गीत, ददरिया गीत व नृत्य आदि प्रमुख हैं। यह समुदाय नृत्य व गीत के माध्यम से अपनी भावनाएँ व्यक्त करते हैं। पूर्व में नृत्य व गीतों को अपने पारम्परिक वाद्य यंत्र “नटकी बाजा” एवं थाली से ताल भी देते थे, वर्तमान में मादर एवं मंजीरा का प्रयोग होने लगा है।



सौता जाति के वाद्य यंत्र

करमा, ददरिया, विवाह गीत, फाग गीत आदि का सामूहिक रूप से गायन किया जाता है, प्रयास किया जाता है कि सुरों में एकरूपता एवं लयबद्धता बनी रहे। समुदाय में पाये जाने वाले लोक गीतों में करमा गीत, ददरिया गीत एवं बार गीत मुख्य हैं, जिसका विवरण निम्नांकित है :-

1. करमा गीत

1. आघू आघू बाध रेंगए, पाछू म फेकारी
दलिहा अ आगी धरय, चोरिया ढढारी तोला,
लिखा देहे होलिया हजारी, आघू आघू बाध रेंगय पाछू में
फेकारी डीलवा ले चढ़ के देखे करवा शिकारी

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय इकाई बिलासपुर (छ.ग.)

2. तरकारी ले ले, कुंदरू, करेला
काय साग रांधय, चिंगरी पताल खा के जाबो हाट
रूपया मा धोती, चवन्नी में टोपी लेदे
ले ले केरा, पान, चोगी नइये ले दे बीड़ी पान
3. धाने ल देहे अनबिजिहा बैलाल देहे गलिया
बेटी ल देहे फूल सुन्दरी नई कश्य बूता काम
4. जलहल म आगी बारे, पटपर म नागर जोते
बिरछाल खुम्हारी ओढ़ाए ते दिन बीर लछन
कहाये पांच देव पंडवन ल देहे हसिलापुर ल बैठक ।

भावार्थ :

1. आगे—आगे में शेर चल रहा है और उसके पीछे शिकारी लगा हुआ है। जंगल में आग लगी हुई है, तुमको शिकार हेतु चोरिया एवं ठठारी देंगे तब तुम बंजारी माता का सुमरन कर जाओगे। काना शिकारी चोटी पर चढ़कर शिकार की ताक में लगा हुआ है।

2. हम लोग तो जंगली लोग हैं, कुंदरू एवं करेले की सब्जी खाते हैं या शिकार खाते हैं। हम लोग तो झींगा एवं टमाटर की सब्जी खाकर हाट बाजार जायेंगे और रूपया में धोती तथा चवन्नी में टोपी लेंगे और हम लोगों के लिए केला, पान, बीड़ी, आदि ले दो।

3. मेरे पास कुछ काम नहीं है, मुझे धान को दे दो, मैं उसे बैलों से खेत को जोतकर बुआई कर दूंगा। हमारी फूल—जैसी बेटी के लिए अच्छा वर तलाश करूंगा क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं है।

4. सागर में आग जलायें और पर्वत में हल चलायें, ऐसे बीर योद्धा लक्ष्मन हैं जो बिरछा को खुम्हरी से ढक देते हैं। कौरव एवं पांडव के बैठक में देवतुल्य पांचों भाई पाण्डवों को हसिलापुर को बंटवारा में मिला है।

2. ददरिया गीत

1. थेपी रे टांगी पुजारा, कानी रे दुबक के आगे
छेनी लेबे जवाला ला – थेपी रे टांगी पुजारा
गहिला न पानी भरी नहीं जाबें, झर जाबे रे गंगा
झन जाबे तिरीथ, मन बोधन ला यहीं मनाले
माटी के मुरीत हावे, बुले आबे जवारा
चुड़ी ला पहने लमाये, बहिया, तोर अलग घटोंदा
दोना रे आमा के छहिया थेपी रे टांगी पुजारा
2. नवा तरईया ओला टापू पुछे, सपना में सपना ले चिरिया ला
बैइहा जागे मा गुम्छा, चढ़ाये चढ़गे डोगरी ला
चढ़ीगे मझान तैकार बार भेजथस निम्बू के अधान
आघूमा नगरिया फादे ला, लबरिया पेजहारिन नई दिखने

भावार्थ

1. अपने शिकार के उपकरणों को तेज कर ला और शिकार के लिए छिप-छिप कर आगे बढ़ो, अपने औजारों को तेज कर लो। गहरा पानी में जल भरने मत जाओ और न गंगा जाओ कहीं तीर्थ-व्रत भी मत जाओ, अपने मन को यही मनाले सब कुछ यही है यह शरीर इस मिट्टी से बनी है और एक दिन इसी में मिल जाना है। चूड़ी को पहनकर बाहों को मत दिखाओं क्योंकि तुम्हारी अलग राह है। हम लोग तो आम की छांव में रहने वाले हैं।



सौंता महिलाएं नृत्य की दौरान

सौंता जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

2. नया तालाब बना हुआ है जिसके बीच में एक टापू हैं। इस टापू में चिड़िया बैठकर सपना देख रही है, चिड़िया सोच रही है कि अब तो दोपहर हो गयी है और मैं उस जंगल की मुड़ेरपर पहुंचते-पहुंचते अचेत हो जाऊंगी। हल चलाने वाले व्यक्ति का समय खत्म हो रहा है और तुम अभी पेज और नीबू के अचार को भरी दोपहरी में ला रही हो।

3. कहावत एवं लोकोक्तियाँ

सौंता समुदाय में अनेक लोकोक्तियां एवं कहावतें प्रचलित हैं, ये लोकोक्तियां व कहावतें दैनिक जीवन, आर्थिक कार्य, सामाजिक व धार्मिक जीवन, पशु-पक्षी आदि से जुड़ी हुई हैं, जिसे लम्बे समय से जन समुदाय द्वारा बोल-चाल में उपयोग किया जा रहा है। ये लोकोक्तियाँ एवं कहावत वार्तालाप के समय अपनी बात सटीक एवं संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने में मदद करती है। सौंता समुदाय में उपयोग की जाने वाली कुछ कहावतें एवं लोकोक्तियां निम्नानुसार है :-

1. जान, अन्जान से धंध ला जान, जोन जान डालिस वा चतुर भयान।

इसका तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति इस मुहावरा को बता पाता है, वह बुद्धिमान पुरुष होगा।

2. बाप झलन्गा, बेटा-पोन्दा, नाती निन्धा

यह एक पहेली है, जिसमें बाप महुआ का पेड़ होता है। बेटा महुआ का फूल होता है तथा बीज नाती होता है।

3. एक मंदिर के दो दरवाजा, वहां से निकले शंभू राजा।

यह भी एक पहेली है, जिसका उत्तर नाक है।

4. कौवा के करें ले ढोर न मरे।

अर्थात् कौआ के चिल्लाने से पशु नहीं मरता है जिसका तात्पर्य होता है कि किसी के बड़बड़ाने या कुछ कहने से दूसरे का कुछ नहीं बिगड़ता है।

5. सास बहुरिया का एक टेव, हांडी बासी ला खाईस देव।

अर्थात् सास और बहु की आदत एक जैसी होती है। घर की वस्तु गुम/चोरी हो जाये तो दोष देवी/देवताओं को ठहराते हैं।

ये कहावतें एवं लोकोक्तियां सौंता समुदाय के प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक परिवेश से संबंधित होती है, जिसे इनके द्वारा अपनी बात को सटीक एवं संक्षिप्त रूप में दैनिक बोल-चाल में उपयोग किया जाता है।

अध्याय —10

परिवर्तन एवं समस्याएं

10.1 परिवर्तन

सौंता जनजाति के सर्वेक्षण के दौरान उनके सामान्य जन-जीवन में शिक्षा, संचार, आवागमन, अन्य संस्कृतियों के साथ सम्पर्क तथा नयी तकनीकों के प्रयोग के कारण जीवन शैली, रहन-सहन आदि में परिवर्तन स्पष्ट परिलक्षित होता है। इन नवीन आयामों के कारण प्राचीन रीति-रिवाज, परम्पराओं एवं भौतिक संस्कृति में बदलाव दिखाई देता है। सौंता जाति में परिवर्तन को निम्न बिन्दुओं में दर्शाया गया है :-

1. भौतिक संस्कृति में परिवर्तन

इस समुदाय में परंपरागत आवास के स्थान पर नयी शैली के आवास का निर्माण होने लगा है। दीवारों हेतु मिट्टी के स्थान पर ईंट, पत्थर आदि का उपयोग किया जाने लगा है। आवास में छत के नीचे इमारती लकड़ी का पटाव देखा जा सकता है। दीवारों की पुताई “छुही” के स्थान पर चूने से दिखाई देने लगी है। अधिकांश घरों में “दिये” के स्थान पर रोशनी हेतु एकलबत्ती बिजली की व्यवस्था हो गई है।

दैनिक उपयोग की वस्तुओं में मिट्टी के बर्तनों के स्थान पर स्टील, कांसा, पीतल व एल्युमिनियम के बर्तनों का उपयोग होने लगा है। वर्षाकाल आदि में छाता, रेनकोट, जूते, चप्पल आदि का उपयोग होने लगा है। घरों में प्लास्टिक की चटाई, कुर्सियाँ, डिब्बे, बाल्टियाँ देखी गईं। कई परिवार दीवाल घड़ी, टी.वी, रेडियो, पंखा, मोबाइल, साइलक आदि का उपयोग करने लगे हैं।

शारीरिक स्वच्छता एवं सौन्दर्य प्रसाधन में दातून के स्थान पर टूथब्रश व टूथपेस्ट, स्नान हेतु बाजार से खरीदे गये खुाबूदार साबून, कपड़े धोने हेतु डिटरजेंट पावडर, श्रृंगार हेतु सुगंधित तेल, पावडर, बिंदिया, क्लिप का उपयोग करने लगे हैं। वस्त्रों में जींस, टी-शर्ट, पैजामा, कुर्ता, सलवार, रंग-बिरंगी साड़िया आदि का उपयोग करने लगे हैं।

मनोरंज एवं वाद्ययंत्रों में पारम्परिक “नकरी बाजा” आदि का स्थान टी.वी., सीडी प्लेयर, रेडियो, लाउडस्पीकर ले रहे हैं।

आवागमन के साधनों में सायकल, ट्रेक्टर, बस, जीप, आदि का उपयोग किया जाने लगा है।

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय इकाई बिलासपुर (छ.ग.)

2. आर्थिक परिवर्तन

सौंता जनजाति के द्वारा कृषि पूर्व में गोबर खाद का प्रयोग किया जाता था लेकिन अब कुछ परिवारों द्वारा गोबर खाद के साथ-साथ रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों का उपयोग किया जा रहा है। जुताई हेतु बैल-नागर के साथ-साथ ट्रैक्टर का उपयोग भी किया जा रहा है।

यह जाति पूर्व में वनोपज संग्रहण, शिकार तथा सीमित कृषि पर आश्रित थे, लेकिन वर्तमान परिवेश में अधिकतर परिवारों के पास कृषि भूमि है। इसके अलावा, ये कृषि मजदूरी, मनरेगा अन्तर्गत मजदूरी एवं वनोपज विक्रय आदि का कार्य भी कर रहे हैं।

इस समुदाय में पूर्व में वस्तु विनिमय प्रथा प्रचलित थी, किन्तु वर्तमान में अधिकांश परिवारों द्वारा नगद व्यवहार किया जाता है।

ये अब कृषि कार्यों हेतु ऋण के लिये साहूकारों पर ही आश्रित नहीं है, वरन् इनके द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक, व्यावसायिक बैंक तथा सहकारी समितियों से ऋण लिया जा रहा है।

3. सामाजिक परिवर्तन

- (i) सौंता जनजाति में पूर्व में पारिवारिक सुरक्षा की दृष्टि से संयुक्त परिवारों को उचित माना जाता था। लेकिन अब संयुक्त परिवार विघटित हो रहे हैं।
- (ii) अन्तर्जातीय सम्पर्क बढ़ने से यात्रा, निवास, खान-पान संबंधी नियमों में परिवर्तन आया।
- (iii) पूर्व में घर का मुखिया पारिवारिक निर्णय लेने को स्वतंत्र था, जिसे सभी स्वीकार्य करते थे, किन्तु आधुनिक परिवेश में पारिवारिक निर्णय आपसी सहमति के आधार पर होने लगा है।

4. जीवन संस्कार में परिवर्तन

- (i) पूर्व में प्रसव पारम्परिक दाई द्वारा सम्पन्न कराया जाता था, किन्तु वर्तमान में प्रशिक्षित दाई/नर्स की देखरेख में प्रसव कराने लगे हैं। अब इनके परिवारों द्वारा अस्पतालों में प्रसव कराया जाने लगा है।
- (ii) बच्चों के टीकारण के प्रति जागरूकता देखने को मिलती है।
- (iii) जन्म एवं मृत्यु संस्कारों में भी नाई आदि की सेवा लेने लगे हैं।
- (iv) जन्म एवं विवाह संस्कारों में आधुनिक वाद्ययंत्रों का उपयोग किया जाने लगा है।

सौता जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

- (v) पूर्व में इनमें विवाह की आयु अपेक्षाकृत कम थी। वर्तमान परिवेश में शिक्षा एवं अन्य जातियों के प्रभाव के फलस्वरूप विवाह आयु में वृद्धि हुई है।
- (vi) वर्तमान में आंगनबाड़ी तथा स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के फलस्वरूप माता एवं शिशु के पोषण की स्थिति में सुधार दिखाई देता है।

5. शैक्षणिक स्थिति में परिवर्तन

- (i) सौता जाति में पूर्व में बालिका शिक्षा दर कम थी, जिसमें धीरे-धीरे सुधार हो रहा है।
- (ii) पूर्व में इस जाति के लोग अपने बच्चों को प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा को पर्याप्त मानते थे, परंतु शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता एवं अन्य संस्कृतियों के प्रभाव के कारण अब ये लोग उच्च शिक्षा की ओर उन्मुख हुये हैं।

6. राजनैतिक जीवन में परिवर्तन

- (I) परम्परागत जातीय पंचायतों में स्त्रियों की भूमिका नहीं होती थी, किन्तु वर्तमान परिवेश में समाज द्वारा गठित संस्थाओं में स्त्रियों की भागीदारी पायी जाती है। साथ ही आधुनिक ग्राम पंचायतों में स्त्रियां विभिन्न पदों में आसीन हैं।
- (ii) पूर्व में जातीय पंचायत का पद या मुखिया परम्परागत होता था, किन्तु वर्तमान में इनका प्रतिनिधित्व पढ़े लिखे लोग करने लगे हैं।
- (iii) पूर्व के जातीय पंचायतों का आधुनिकीकरण कर इसे मंडल, महासभा आदि नामों से जाना जाता है।

7. धार्मिक जीवन में परिवर्तन

सौता जनजाति मौलिक रूप से प्रकृति, आत्मा अलौकिक शक्तियों पर विश्वास करती है एवं अपने पूर्वज देव, ग्राम-देव व अन्य देवी-देवताओं की पूजा करती है, किन्तु हिन्दू संस्कृति के सम्पर्क के कारण अब ये लोग श्री राम, गणेश, हनुमान, राधा-कृष्ण आदि देवी-देवताओं की भी पूजा करते हैं।

8. नृत्य संगीत एवं त्यौहारों में परिवर्तन

इस जनजाति में कर्मा नृत्य, ददरिया नृत्य एवं लोक गीतों का प्रचलन धीरे-धीरे कम हो रहा है। शादी, ब्याह व अन्य उत्सवों पर फिल्मी गीत, लाउडस्पीकर, सीडी प्लेयर आदि का प्रचलन देखा जा सकता है।

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय इकाई बिलासपुर (छ.ग.)

सौंता जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

अपने परम्परागत लोकगीतों एवं नृत्यों में युवा वर्ग की रुचि कम हो रही है। प्राचीन त्यौहारों के साथ-साथ हिन्दु त्यौहारों जैसे—होली, दीपावली, दुर्गा उत्सव आदि भी मनाने लगे हैं।

10.2 समस्याएँ

सौंता जनजाति में पायी जाने वाली समस्याएं निम्नलिखित हैं :—

1. सामाजिक समस्याएं

सौंता जनजाति में अधिकांश महिला-पुरुषों में नशे की लत (नशाखोरी) प्रमुख समस्या है। त्यौहारों, उत्सवों या विशेष अवसरों पर इनके द्वारा मादक पदार्थ के रूप में शराब (महुए की बनी) का सेवन किया जाता है, जो स्वास्थ्य के साथ-साथ, आर्थिक एवं सामाजिक रूप से भी नुकसानदायक है।

इस समुदाय में विवाह के लिए निर्धारित आयु के पूर्व ही अधिकांश युवक-युवतियों का विवाह कर दिया जाता है।

2. आर्थिक समस्याएं

- (i) सौंता जनजाति की कृषि भूमि असिंचित व मानसूनी वर्षा पर निर्भर है। फलस्वरूप वर्ष में एक फसल ही ले पाते हैं। साथ ही पारम्परिक पद्धति व उपकरणों से कृषि कार्य करते हैं।
- (ii) वनोपज के पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने एवं उसका उचित मूल्य न मिलने के कारण भी इनकी आय कम है।
- (iii) इनकी वार्षिक आय से पारिवारिक आवश्यकताओं व आकस्मिक व्यय की पूर्ति नहीं हो पाती है। अतः इन्हें साहूकारों आदि से कर्ज लेना पड़ता है। इस प्रकार ऋणग्रस्तता भी इनकी एक प्रमुख समस्या है।
- (iv) इनकी अर्थव्यवस्था में मजदूरी का महत्वपूर्ण योगदान है, किन्तु पर्याप्त रोजगार के अवसर का न मिल पाना भी एक समस्या है।

3. शैक्षणिक समस्याएं

सौंता जनजाति में शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव है। अधिकांश सदस्य प्राथमिक स्तर तक ही शिक्षित है। इस जनजाति में बालिका साक्षरता की दर दयनीय है, जिसका प्रमुख कारण प्राथमिक शिक्षा के पश्चात् आर्थिक गतिविधियों जैसे वनोपज संकलन का कार्य, घरेलू काम-काज, एवं छोटे भाई-बहनों की देखरेख आदि है।

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय इकाई बिलासपुर (छ.ग.)

4. स्वास्थ्य समस्याएं

सौता जनजाति में जादू-टोना, भूत-प्रेत संबंधी अनेक भ्रांतियां तथा अंधविश्वास व्याप्त है। किसी भी प्रकार के रोग से ग्रस्त होने की स्थिति में ये अपने पारम्परिक वैद्य/बैगा के पास ही जाते हैं। इन क्षेत्रों में प्रभावी स्वास्थ्य सुविधाओं का न होना भी एक महत्वपूर्ण समस्या है।

सौता परिवारों में प्रसव घर पर ही अप्रशिक्षित दाई "सुईन" से करवाते हैं, जिसमें जच्चा-बच्चा दोनों को खतरा बना रहता है। सौता जनजाति निवासित क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल एवं स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है।

////////////////////



संचालनालय, आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान
सेक्टर-24, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

फोन : 0771-2960530, E-mail : trti.cg@nic.in, web. : www.cgtrti.gov.in